खण्ड-468, अंक-3
शनिवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(1 मार्च, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 468 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	... ...	क-ङ
प्रदेश के भू-गर्भ जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	...	1
प्रदेश सरकार के कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह द्वारा मंत्री पद का दर्जा और सचिवालय के शासकीय प्रधान होने के दायित्वों से मुक्ति के अनुरोध को शासन द्वारा स्वीकार करने तथा 88 हजार प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति 6 हजार उर्दू शिक्षकों के चयन सम्बन्धी सूचना एवं प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में सफाई हेतु एक-एक सफाई कर्मी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री की घोषणा	... ...	1-6
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) तथा अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	... ...	6-53
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	... ...	53-61
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक तथा रेशम विभाग) (स्वीकृत)	... ...	61-85
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	... ...	85-99
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-60 वन विभाग (स्वीकृत)	... ...	100-105
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	...	105-106

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये उ0 प्र0 विधान सभा की विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना	107-108
वर्ष 2008-2009 में उ0 प्र0 विधान सभा की विभिन्न समितियों में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	108-109
जनपद मऊ में घाघरा नदी के किनारे ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	109
वाराणसी में रामनगर स्थित पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के निवास को एक स्मारक के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	110
जनपद बलरामपुर के ग्राम गालिबपुर की अधिग्रहीत भूमि पर लोक निर्माण विभाग का नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सागर अकेला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	110-111
जनपद मुफ्फरनगर में किसानों के निजी नलकूपों के नये विद्युत कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य...	111-112
प्रदेश के हजारों प्रशिक्षण प्राप्त उर्दू प्रशिक्षुओं को मानदेय न दिये जाने एवं वर्ष 2006 के द्वितीय बैच के उर्दू प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	112-119
प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत नियुक्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जनवरी, 2006 से जून, 2006 तक का वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	120-123
जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ की शाखा संग्रामगढ़ को ग्राम सभा संग्रामगढ़ की सीमा के अन्तर्गत रखे जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	123-125

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर स्थित सघन सहकारी समिति लिमिटेड, बल्लामजरा कार्यालय में लाखों रुपये का कथित घोटाला करने वाले पूर्व सचिव के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल वारिस खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य ...	125-126
जनपद रामपुर की तहसील मिलक की भवरकी में सैजनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	126-127
प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा कम बिजली उपभोग करने के बाद भी निर्धारित यूनिट के अनुसार विद्युत मूल्य लिये जाने में हो रही धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	127
जनपद वाराणसी के रामनगर में गंगा नदी के दायें तट पर किले के समीप घाट के अधूरे निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	127-129
वाराणसी नगर में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध खुली देशी व विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स के नवीनीकरण को रोकने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आबकारी मंत्री का केवल वक्तव्य	129-130
जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम महिउद्दीनपुर कनावली में ग्राम प्रधान एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित पट्टे की भूमि को प्राइवेट कम्पनी को बेचे जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	130-131
अनुक्रमणिका	132-147

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 01 मार्च, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-275

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	[illegible]
अनिल कुमार मौर्य, श्री	[illegible]पुर
अनिल चौधरी, डा0	[illegible]
अनीस अहमद खाँ उर्फ	
फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल वारिस खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ	
महन्त दुबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बा[illegible] प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक गंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ	
कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी

आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
कार्शाराम, श्री	रामपुर
कुबेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददन मिश्रा श्री	श्रावस्ती
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा

मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" कुंवर, श्री	प्रतापगढ़
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बर्न्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम , श्री	बिजनौर

शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर	सुखलाल, श्री	पीलीभीत
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया	सुभाष, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
संजय कपूर, श्री	रामपुर	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
संध्या, कुमारी	मैनपुरी	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सत्य प्रकाश अग्रवाल		सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर	सैयूयदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं	हरिओम, श्री	जालौन
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़		

नोट–लोक निर्माण मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

मद संख्या-1, 2 व 3 में कुछ नहीं है।

प्रदेश के भू-गर्भ जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 का वक्तव्य स्थगित है।

प्रदेश सरकार के कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह द्वारा मंत्री पद का दर्जा और सचिवालय के शासकीय प्रधान होने के दायित्वों से मुक्ति के अनुरोध को शासन द्वारा स्वीकार करने तथा 88 हजार प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति, 6 हजार उर्दू शिक्षकों के चयन सम्बन्धी सूचना एवं प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में सफाई हेतु एक-एक सफाई कर्मी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री की घोषणा

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि पूरे सदन को यह विदित है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मेरी सरकार के कैबिनेट सेक्रेट्री श्री शशांक शेखर सिंह को मंत्री जी दर्जा दिये जाने और सचिवालय का शासकीय प्रधान बनाये जाने के मामले को लेकर काफी आपत्ति जताई थी जिस पर मैंने इसके जवाब में यह कहा था कि यह मामला अभी माननीय कोर्ट में विचाराधीन है इसलिये इस पर फिलहाल कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, यह मैंने कहा था। लेकिन इसी प्रकरण से जुड़े मामले को लेकर कल जो मुझे मेरे कैबिनेट सेक्रेट्री द्वारा चिट्ठी प्राप्त हुई है उसी चिट्ठी की जानकारी आज मैं माननीय सदन को देने जा रही हूं जिससे काफी हद तक मेरी सरकार के कैबिनेट सेक्रेट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठायी गयी आपत्ति का उन्हें जरूर संतोषजनक जवाब मिल जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन को यह अवगत कराना चाहती हूं कि कल दिनांक 29 फरवरी को मेरी सरकार के कैबिनेट सेक्रेट्री श्री शशांक शेखर सिंह ने अपनी स्वेच्छा से मंत्री का दर्जा और सचिवालय के शासकीय प्रधान होने के दायित्वों से उन्हें मुक्त किये जाने का लिखित अनुरोध किया है। तत्पश्चात् उनके आवेदन को स्वीकार करते हुये शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 2008 के द्वारा श्री शशांक शेखर सिंह को मंत्री का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें सचिवालय का शासकीय प्रधान बनाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व के आदेशों को निरस्त करते हुये अब मुख्य सचिव को सचिवालय

का शासकीय प्रधान बना दिया गया है। इस सम्बन्ध में रूल्स आफ बिजनेस में भी यथावश्यक संशोधन किये जा रहे हैं। अतः नेता प्रतिपक्ष की इस आपत्ति में मैं समझती हूं कि अब कोई बल नहीं है, जो उन्होंने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर आपत्ति रेज की थी।

इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है उसकी जानकारी मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहती हूं जिससे उत्तर प्रदेश में खासतौर से अनुसूचित जाति में जो बाल्मीकि समाज है उनको रोजी-रोटी के साधन तो मिलेंगे ही नौकरी तो मिलेगी ही लेकिन इससे देहातों की भी दशा सुधारने में काफी हद तक मदद भी मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमारे प्रदेश में लगभग 1 लाख 8 हजार राजस्व ग्राम हैं और इनमें सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर गन्दगी व्याप्त रहती है। इससे ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है और अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती है मैंने स्वयं प्रदेश के कई गांवों में भ्रमण के दौरान यह खराब स्थिति देखी है। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मी का एक स्थायी पद सृजित किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उस पद पर सफाई कर्मी की नियुक्ति करके सफाई की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इसमें यथासम्भव उसी राजस्व ग्राम में निवासी की ही नियुक्ति की जायेगी। इससे सभी गांवों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होगी और साथ ही लगभग एक लाख आठ हजार लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध होगा। यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आते ही हमारी सरकार ने 88 हजार प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह भी जानकारी पूरे सदन को है। यह रिक्त पद समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की घोर उदासीनता के कारण नहीं भरे गये थे। माननीय अध्यक्ष जी, अब तक 60 हजार प्राइमरी शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। शेष रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही शीघ्र ही पूरी की जा रही है। साथ ही 6 हजार उर्दू शिक्षकों के चयन को माननीय उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से पैरवी न करने के कारण निरस्त कर दिया था, यह जानकारी भी पूरे सदन को है। लेकिन मेरी पार्टी की सरकार ने इस पर तुरन्त अपील दायर करके प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की, जिससे उर्दू शिक्षकों का चयन को सका। माननीय अध्यक्ष जी, यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपकी इजाजत से माननीय सदन को दी है, धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने अवगत कराया कि उन्होंने श्री शशांक शेखर को कैबिनेट सेक्रेट्री बना करके मिनिस्टर का दर्जा दिया था। वह तो परम्पराओं का घोर उल्लंघन था,

कि एक मिनिस्टर भी यदि वह स्टेट मिनिस्टर होगा तो वह एक पायलट को सलाम करेगा और नमस्ते करेगा। लोकतंत्र के अन्दर इतना मजाक किया गया है कि इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं होगी। यहां बहुत से मिनिस्टर हैं जिनको लोगों ने पैर छूते देखा है एक एक सीनियर पॉयलट के। हमने विरोध किया है और यही विरोध नहीं, माननीय नेता सदन बतायेंगी कि किडनी काण्ड में स्पष्ट नाम आ गया है। सी0बी0आई0 के जज के सामने एक डाक्टर ने बयान दिया है कि इसके अगुवा थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सेक्रेट्री और नाम लेकर कहा है और उसके बाद हम देख रहे थे टी0वी0 पर जैसे ही न्यायालय से निकले उस डाक्टर ने सारे प्रेस को बता दिया। यह अलग है कि कुछ प्रेस वाले आज आपकी मुट्ठी में है। हमने इसकी भी चिन्ता नहीं की है कि किस तरह से आपने कुछ लोगों को किन रखा है कि जैसे चाहो, कोई खबर ही न निकलने पाये। एक नहीं कई अखबार ऐसे हैं जिनको रोका गया है, लेकिन बहुत दिनों तक एक पत्रकार को आप मुट्ठी में नहीं रख पायी। यह मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि 1975 में हालात क्या थे, दो घण्टे 35 मिनट तक बोले चौधरी चरण सिंह जी खिलाफ और एक अंग्रेजी अखबार ने भी लिखा और उसको आधी पंक्ति में खत्म कर दिया। हम लोग जेलों में थे, तब पढ़ा था। इन्दिरा जी बहुत ही लोकप्रिय नेता थीं जिनको हम जानते हैं कि कितना मुकाबला करना पड़े, वह भी अंत में पत्रकारों को अपनी मुट्ठी में नहीं रख पायी और सैकड़ों पत्रकार उस इमरजेंसी का विरोध करके जेल गये हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को [illegible] महीने जेल में रहे हैं। एक अखबार ने हिम्मत की, वह दिल्ली में छप गया, यहां [illegible] गया। इससे स्पष्ट है कि नेता, [illegible]न, दिल्ली का अखबार शायद 25 फरवरी का अखबार है, उस अखबार को मंगाकर पढ़ लें। मैं पूछना चाहता हूं कि नोयडा में किडनी काण्ड हुआ है, आपने क्या कार्यवाही की और क्यों नहीं की ? हमें पता है कि क्यो इस्तीफा देना पड़ा, वह हमें पता है कि क्यों देना पड़ा ? जहां तक यह सरकार समझती है, मुख्य मंत्री समझती है कि रिपोर्ट उनके खिलाफ आयी है।

* श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्दिरा जी इस देश की महान नेता थीं, आज वह इस दुनिया में नहीं हैं। एक स्वस्थ परम्परा रही है कि जब कोई इस दुनिया में न रहे और एक महान नेता हो तो उसके किसी द्वारा किये गये किसी भी कार्य-कलाप को जो अपनी बात की यहां पर सफाई न दे सके उसके बारे में चर्चा न हो। मैं आग्रह करूंगा कि यह आक्षेप है कि मुट्ठी में नहीं रख सकीं। **कृपया आग्रह है कि इन्दिरा जी के संदर्भ में इस तरह की जो बात कही गयी है तो उसे इस कार्यवाही का हिस्सा न बनायें। नेता, प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वह इसे वापस ले लें।**

*** वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।**

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैंने कहा कि इन्दिरा जी बहुत ही लोकप्रिय नेता थी जब मैं स्वीकार करता हूं कि लोकप्रिय नेता थीं तो हमने कौन सी गलत बात कही है ? मैंने कहा कि इन्दिरा जी लोकप्रिय नेता थीं उसके बाद भी आपको आपत्ति है! अध्यक्ष महोदय, एक शब्द भी नहीं है जो कार्यवाही से निकालने लायक हो, पता नहीं क्या सुनते हैं ? इनके अन्दर यह डर है कि हमारी दिल्ली में कोई शिकायत न हो जाए। मान्यवर, मैंने सबसे पहले कहा कि लोकप्रिय नेता थी, कई सभाओं में भी कहा है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही हम कहना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि अखबारों में क्यों नहीं छप रहा है, मामूली घटना है ? यह नोयडा की घटना है, उत्तर प्रदेश की घटना है। एक वरिष्ठतम अधिकारी का नाम आया। वह भी जनता के सामने नहीं सी0बी0आई0 के जज के सामने नाम आया है। आपने उस पर क्या कार्रवाही की, इस पर कार्रवाही क्यों नहीं की ? अब आप कैसे कह सकती हैं कि जुडीशियरी में पैरवी नहीं की ? आप कैसे कह सकती हैं हमने पैरवी की है। यह रिकार्ड में है। आपने पहले ही आरोप लगा दिया। हमने तो शुरुआत की थी। कितने महीने हो गए, अब तो 10 महीने होने जा रहे हैं, 10 महीने में दव्वा पैदा हो सकता है। हमारे फटाफट निर्णय होते थे। लेकिन आपके तो 10 महीने में जाने क्या हुआ है बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार की उदासीनता थी और भी जो बात कही गयी है बाल्मीकि समाज के बारे में आपने जो बात रखी वह हमारी ही योजना थी। बीच में बहुत सारे लोगों को लगा भी दिया था लगे भी हैं और भी उनकी मांगों पर विचार कर रहे थे, कुछ बाधाएं आ गई। इस बीच आपकी सरकार आ गई। बाधाएं आपके सामने भी आयेंगी इसमें नई बात कुछ भी नही है। अभी चार दिन पहले मैं एक बाल्मीकि की शादी में गया था, आपको तो शादी में जाने से सख्त नफरत है, चाहे आपकी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता की मौत हो जाय दाह संस्कार में न जाना मामूली बात है क्या यही मानवता है। बताएं बी0आर0 वर्मा को कितनी बार देखने गई। मैं तीन बार उनको अस्पताल में देखने गया। आपका वह करीबी था, विधान सभा का अध्यक्ष रहा, उन्हें देखने नहीं गई। मैं जब बाल्मीकि की शादी में गया था तो वहां दो मण्डल के सारे नेता आए स्वागत किया इसलिए चिन्ता व्याप्त हो गयी। इसलिए जो आपने घोषणा की है यह तो हमारी जीत है। हम तो 1970 में बाल्मीकि के घर नाश्ता करने चले गये थे, 60-70 लोग साथ थे। पांच-छः लोग गए थे उसमें मलैरिया थे, सूरज शर्मा थे, हम कितना मानते हैं दलितों को। 1957 में हमारा बहिष्कार कर दिया था समाज से एक रामस्वरूप जाटव था उसका कोल्हू चल रहा था, मैंने वहां पर जाकर रस पिया, मटर, पकौड़ी खाई, उसके बाद हमारा समाज से बहिष्कार किया गया। समाजवादी पार्टी का ही जाति तोड़ो आन्दोलन चला था। इनको आगे बढ़ाने का काम किसने

किया। इनको आगे उठाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इनको को-आपरेटिव विभाग में आरक्षण किसने दिया। बहुत सारे अफसरों ने हमारे सामने बाधा खड़ी करने का प्रस्ताव किया, हमने कहा कि हर सोसायटी में आरक्षण होगा। हमसे कहा गया कि यह विधान सभा है, लोक सभा है, लेकिन हमने बाधाओं को दूर किया। आपने तो को-आपरेटिव को भंग किया, को-आपरेटिव के अध्यक्ष को भंग किया। लोकतंत्र में आप क्या-क्या कहलाना चाहते हैं। हमारी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनको आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। आज मेरी ही बातें मानी गई हैं।

कुमारी मायावती-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने दो-तीन बातें माननीय सदन के सामने रखीं हैं और जिनके बारे में मैं 'रिप्लाई' देना बहुत जरूरी समझती हूं। वैसे तो और भी बातें रखी हैं, उनके बारे में तो मैं नहीं बोलना चाह रही हूं लेकिन सबसे पहले मैं माननीय सदन को यह बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार के एक अधिकारी के ऊपर किडनी कांड में उसका जो नाम होना इनवाल्व बताया गया है इस आधार पर कि एक पेपर में उसको लेकर खबर छापी गई थी। इसी के साथ यह भी बताया गया, यह कहा गया, आरोप लगाया गया गवर्नमेन्ट के ऊपर कि यह जो खबर थी यह तो बड़े पैमाने पर पब्लिश होनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी अखबारों में लेकिन गर्वनमेन्ट ने मीडिया को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

संशोधन कर लीजिये, कुछ मीडिया वालों को कहा है।

कुमारी मायावती-

अच्छी बात है, आपने माना है कुछ मीडिया के लोगों को तो मैं यह समझती हूं कि यह शायद अपना तजुर्वा माननीय सदन के सामने इन्होंने रखा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वह क्या करती थी ? मैं तो ऐसी बातों की तरफ कभी ज्यादा ध्यान नहीं देती हूं, ऐसे गलत काम कभी हमारी गवर्नमेन्ट नहीं करती है। लेकिन जिस गवर्नमेन्ट ने किया होगा उनको दूसरे लोग भी वैसे ही नजर आते हैं और जहां तक मीडिया का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है और मीडिया के ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाना मैं समझती हूं कि यह लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप लगाना है। इसकी मैं निन्दा करती हूं। यह उचित नहीं है। इसके साथ-साथ जहां तक किडनी कांड को लेकर यह कहना कि मेरे एक अधिकारी इसमें इनवाल्व थे तो जैसे ही मुझे यह जानकारी मिली कि अखबार में ऐसी खबर छपी है तो यदि मुझे अपने अधिकारी को बचाना होता तो मैं अपनी सरकार की ओर से यह मामला सी0बी0आई0 जांच के लिये नहीं देती। जैसे ही मुझे यह जानकारी मिली कि हमारे एक अधिकारी के नाम को

उछाला जा रहा है तो मैंने तुरन्त की कोई देरी किया बिना ही यह मामला सी0बी0आई0 को जांच के लिये दे दिया कि सी0बी0आई0 इसकी जांच करें। कोई एम0एल0ए0, मंत्री, सांसद, अधिकारी या कोई साधारण व्यक्ति इसमें इनवाल्व हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इससे बड़ी निष्पक्षता सरकार की तरफ से क्या हो सकती है ? माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक वीकर सेक्शन के मामले में हमारी गवर्नमेन्ट ने क्या कुछ किया है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूं। उसकी पूरी जानकारी पूरे माननीय सदन को भी है और विपक्ष को भी है। विपक्ष को भी है खासतौर से। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ....। श्री बरखू राम जी हमारे बीच में नहीं हैं, वह स्पीकर के पद पर भी आसीन रहे हैं। बैकवर्ड क्लास से यह ताल्लुक रखते थे उनके बारे में यह कहना कि गवर्नमेन्ट या पार्टी ने ध्यान नहीं रखा, खासतौर से पार्टी ने ध्यान नहीं रखा तो नेता, प्रतिपक्ष को मालूम नहीं है कि जब वह बीमार थे तो पी0जी0आई0 में खुद उनको देखने गई थी। उनके देहान्त के बाद उनके बच्चों से मिलने के लिए गई थी गनर के लिए कहा। मैं सरकार में नहीं थी। मैंने अपनी पार्टी की ओर से पांच लाख रुपये की मदद की थी। तो बिना तथ्य को जाने इस तरह की बात करना सही नहीं है। बैकवर्ड क्लास के वह अच्छे कार्यकर्ता थे। वफादार सिपाही थे। वह हमारे बीच में नहीं रहे। वह एम0एल0ए0 रहे, मिनिस्टर रहे और स्पीकर के पद पर भी आसीन रहे। लेकिन हमारी पार्टी के साधारण वर्कर के साथ भी अगर कोई हादसा होता है तो उसका भी हमारी पार्टी ध्यान रखती है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई हादसा होता है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो हो सकता है, उतनी मदद हम करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी जो दो तीन बातें रखी गई थी। उनका जवाब देना मैंने मुनासिब समझा।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) तथा अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,71,63,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,28,72,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,71,48,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, प्रदेश की भूमि सम्बन्धी अभिलेखों के समुचित रख-रखाव बिखरी जोतों की चकबन्दी, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, भूमि विवादों के निस्तारण, भूमि सुधार सम्बन्धी विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का सृजन एवं उनके क्रियान्वयन के साथ प्रदेश की राजस्व वृद्धि के लिए कर एवं करेत्तर देयों सहित राजस्व देयों की वसूली राजस्व विभाग के मुख्य कार्य हैं। जनसामान्य तथा निर्वाचन आदि के साथ जुड़े होने के कारण यह प्रशासन का मुख्य विभाग है। उक्त के अतिरिक्त दैवी आपदा की स्थिति में जनसामान्य को राहत पहुंचाना भी राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्व विभाग अस्तित्व में वास्तव में सामान्य प्रशासन का मूर्त रूप है। इस विभाग द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप निम्नवत् हैं। मान्यवर, ग्राम समाज की कृषि भूमि आवंटन हेतु जो समाज के निर्बल तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे वह पिछड़े वर्ग के हो, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे सामान्य वर्ग के जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, उनके लिए जो शासन की तरफ से 8 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, उसके विरुद्ध सरकार ने 14704.26 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है जो लक्ष्य का 183 प्रतिशत है। ग्रामीण आवास स्थल, मान्यवर, जो गांव में बसने वाले लोग हैं, चाहे वह पिछड़े वर्ग के हों, चाहे दलित वर्ग के हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, उनके लिए आवास की समस्या को दूर करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया था उसमें 60 हजार लोगों का लक्ष्य रखा गया था, उसके विपरीत विभाग ने लगभग 80690 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये हैं जो लक्ष्य का 134.34 प्रतिशत है। मान्यवर, मत्स्य पालन हेतु ताल-पोखरों का आवंटन, जो मछुवा समुदाय है, उसके लिए भी शासन की तरफ से जो पट्टे दिये गये थे इस सरकार ने उनकी स्थिति को देखते हुए काफी प्रयास किया है और मछुवा समुदाय के

रोजगार के लिए एवं उनके जीवनयापन के लिए 3 हजार हेक्टेयर का जहां हमने लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध हमारी सरकार ने 8509.03 हेक्टेयर का आवंटन कर 283.63 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। मान्यवर, कुम्हारी कला जो है, हर गांव में जो लोग कच्चे बर्तन बनाने का काम करते हैं, एक समुदाय है, एक जाति है, जो यह काम करती है। यह धन्धा भी कुटीर उद्योग की तरह फलता-फूलता नजर आ रहा था लेकिन प्लास्टिक युग आने के बाद इस पर कुछ प्रभाव पड़ा है। इनके लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा था, 25 सौ क्षेत्र का लक्ष्य, उसके विपरीत 3236 क्षेत्र आवंटन कर 131.32 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की है। मान्यवर, वृक्षारोपण हेतु हरियाली पट्टा कार्यक्रम के अन्तर्गत पट्टा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए जहां हमारा लक्ष्य 2500 हेक्टेयर का था, वहीं पर विभाग ने 2600.14 हेक्टेयर का आवंटन कर 104.57 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है। मान्यवर, सीलिंग भूमि से प्राप्त आवंटन की जमीन के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2007 तक 989 एकड़ भूमि 1380 आवंटियों में वितरित की गयी है और उनको जमीन के विकास के लिए 1 हजार रुपये अतिरिक्त सरकार की तरफ से दिये गये हैं। अवैध कब्जों को जो माफिया थे जो गरीबों के पट्टे हुए थे, उन पर वे कब्जा कर लेते थे, उन पट्टों को अभियान चलाकर सरकार ने 89 हजार 750 लोगों को पट्टा दिलाने का काम किया है। मान्यवर, किसान बीमा हमारे राजस्व विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। जब कभी किसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो मरने के बाद उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलता था। किसान बीमा होने के नाते अगर किसान की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो एक लाख रुपये मिलेगा और अगर वह किसी दुर्घटना में पूर्ण रूप से विकलांग होता है तो भी एक लाख रुपये मिलेगा और अगर आंशिक रूप से विकलांग होता है उसमें एक हाथ या एक पैर कट जाता है तो उसे 50 हजार रुपये दिये जाने की व्यवस्था इसमें है। मान्यवर, इस वर्ष 25 सौ 71 दावों का भुगतान 25.11 करोड़ किया गया है। राजस्व देयों की वसूली शासनादेश संख्या-623/1-7-2004 राजस्व दिनांक 7 से दिनांक 28 मार्च, 2004 के अन्दर एक लाख से कम के बकायेदारों के विरुद्ध अनावश्यक रूप से कार्यवाही न किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस क्रम में शासनादेश संख्या-3879/1-7-2003 दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि नीलामी की कार्यवाही के बकायेदार छोटे कृषक भूमि न खोने पायें तथा बड़े कृषकों की भूमि नीलामी करते समय बकाये की सीमा प्रति भूमि की नीलामी की जाये। राजस्व भवनों का बीमा मण्डल जनपद तहसील स्तरीय भवन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं प्रदेश के मण्डल जनपद तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू निर्माण कार्य एवं भूमि क्रय के मद के रूप में 4 हजार 5 सौ 23.28 लाख के आवासीय भवनों के चालू निर्माण कार्य एवं क्रय के लिए मद के रूप में 17 सौ 76.72 लाख अर्थात् कुल 6

हजार 500 लाख रुपये के आय-व्ययक की व्यवस्था करायी गयी है जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के जनपद मण्डल तहसीलों भवनों के नये निर्माण कार्यों में भूमि क्रय के अनावर्जित मद के रूप में 2795.01 लाख के आवासीय मद के रूप में रुपये 2298.10 लाख रुपये, 5 हजार 93.11 लाख की उपलब्धि बजट व्यवस्था में 6 तहसीलों के अनावासीय भवनों तथा 13 तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त 6 नवसृजित तहसीलें तहसील बीटी अम्बेडकर नगर, खतौली मुजफ्फरनगर, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर, महाबन मथुरा, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर एवं टाण्डा रामपुर के भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दिये जाने के लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इन तहसीलों के सृजन की अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। प्रदेश के मण्डल कार्यालय भवनों तथा जनपद के अफसरीय आवासीय भवनों का मानकीकरण कराया जा रहा है ताकि निर्मित होने वाले भवनों में एकरूपता बनी रहे। 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश के 100 वर्ष से अधिक पुराने 20 कलेक्ट्रेट भवनों के विकास, पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2009-10 तक 4 वर्षों से प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपया अर्थात् कुल 60 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की गयी है। लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, इलाहाबाद, टुण्डला, फिरोजाबाद निर्माण हेतु धन की स्वीकृति की गयी है। लेखपाल विद्यालय गोरखपुर, बरेली निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा लेखपाल विद्यालय इलाहाबाद के अतिरिक्त आजमगढ़, बिजनौर महोबा, मऊ में भी धन की स्वीकृति दी जा चुकी है जल्दी ही निर्माण कार्य पूर्ण होने वाले हैं। भू-अभिलेखों के समुचित योजना एवं प्रशासन के सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत टाटा सेंटर, डिजिटल रिकार्ड रूम, राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकरण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है, खतौनी का कम्प्यूटरीकरण, भू-अभिलेखों के समुचित रख-रखाव न होने पाने के परिणामस्वरूप भू-अभिलेखों को पारदर्शी एवं सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्रदेश के 70 जनपदों के इस समय 305 तहसीलों के 99.948 ग्राम खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और कृषकों को कम्प्यूटरीकृत खतौनियों का उद्धरण दिया जा रहा है। मान्यवर, चकबन्दी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसे भूमि सुधार की एक कड़ी कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर बढ़ती हुई जनसंख्या के समय में तमाम रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, जो हमारी सार्वजनिक उपभोग की जमीन है वह समाप्त हो जाती है। इसलिए चकबन्दी जब होती है तो चकबन्दी से कटी हुई पांच प्रतिशत जमीन मिलती है. जो सार्वजनिक उपभोग की जमीनें स्कूल, सड़क चक रोड तमाम सामुदायिक केन्द्र यह बनाने के लिए जमीन उपलब्ध हो जाती

है। अब तक प्रथम चक्र के लिए एक लाख चार सौ तिरपन गांव लिये गये थे, उसमें अट्ठानबे हजार चार सौ इक्सठ गांव में चकबन्दी हो चुकी है। प्रथम चक्र के अवशेष ग्राम में 1992 भौगोलिक कारणों से या चकबन्दी में मुकदमों के लम्बित होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। द्वितीय चक्र में चौबीस हजार एक सौ बावन गांवों को लिया गया था उसमें से बीस हजार अड़तीस गांव में चकबन्दी हो चुकी है और द्वितीय चक्र में अवशेष ग्राम चार हजार एक सौ चौदह अभी बचे हैं। मान्यवर, 69 जनपदीय चकबन्दी कार्यालय में एक चकबन्दी प्रशिक्षण कम्प्यूटीकरण करने के लिए रु0 69.17 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। आपदा प्रबन्धन-यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। इसमें प्रदेश में कहीं पश्चिम में सूखा तो पूरब में बाढ़ की दिक्कत है। मान्यवर, जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनावर्षण या पानी नहीं बरसा बुन्देलखण्ड और बिन्द के दो जिले मिर्जापुर और सोनभद्र में भीषण सूखा पड़ा है। मान्यवर, वहीं पूर्व के बीस जनपदों में बहुत बड़ी बाढ़ आपदा आयी है उसमें पूरब में गोरखपुर जनपद श्रावस्ती, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, महाराजगंज, आजमगढ़, कुशीनगर, मऊ, बलिया, देवरिया, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, सीतापुर पीलीभीत, संत कबीरनगर, ज्योतिबाफुलेनगर इसमें राहत का कार्य चलाने का काम किया है। जहां पर पक्के घरों का नुकसान हुआ था उसका हम लोगों ने अनुदान के रूप में दिया है तथा जिन लोगों के कच्चे मकान गिरे थे उन लोगों को भी अनुदान के रूप में हमने दिया है। कुल मिलाकर बीस जनपद प्रभावित हुए थे, उन जनपदों को 248.65 करोड़ की धनराशि दी गयी है। मान्यवर, जहां तक बुन्देलखण्ड का सवाल है आपने देखा होगा कि किसी न किसी रूप में बुन्देलखण्ड का मामला उठता रहा है। वह भयंकर सूखे की चपेट में आया है। ऐसा नहीं कि बुन्देलखण्ड में सूखा इसी साल पड़ा हो यह विगत चार वर्षों से चल रहा है जो पूर्व में सरकारें रही हैं उन्होंने कुछ पैसा खर्च किया। माननीय चौधरी साहब मैं आंकड़े बता दूं वर्ष 2004-05 में 26 करोड़ 63 लाख, वर्ष 2005-06 में एक करोड़, वर्ष 2006-07 में आपने जो खर्च किया है 80.94 लाख रुपये यानी 80 लाख 94 हजार रुपये मात्र आपने खर्च किया है मुझे अच्छी तरह पूरा याद है। मान्यवर, हमने बुन्देलखण्ड में कृषि निवेश के अनुदान के रूप में धन दिया, वहीं पशुओं के चारे के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था कराई गई, इन सबको मिला करके 412.65 करोड़ आवंटित किया गया है। मान्यवर, वहीं पर शीत लहर में जहां पहले एक करोड़ 15 लाख रुपये खर्च किया गया था वहीं अब की बार हम छः करोड़, 94 लाख रुपया खर्च करने का काम कर रहे हैं, वहां पर कम्बल बांटने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, यह गरीबों की सरकार है, जाड़ों में मरने वाले अधिकांश लोग गरीब होते हैं इसलिए मान्यवर, हमने इतना पैसा खर्च करने का काम किया है। मान्यवर, पूंजीगत कार्यों हेतु रुपया 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, इस तरह से बहुत संक्षिप्त रूप में मैं आप सब लोगों के समक्ष अपने विभाग का बजट विवरण प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण इसमें जो अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, मैं उन्हें ग्रहण करने का पूरा प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अनुग्रह नारायण जी आप अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, हम लोगों को गर्व है कि हम लोग एक बड़ी आबादी वाले प्रदेश के नागरिक हैं। प्रदेश की आज लगभग 17 करोड़ की आबादी है, 70 जिले हैं, 17 मण्डल हैं और इसी प्रकार लगभग एक लाख आठ हजार गांवों के हम लोग मातहत हैं। मान्यवर, बजट भी राजस्व विभाग का बहुत भारी भरकम है। माननीय मंत्री जी ने तीनों अनुदानों की मांगों को मिलाकर 21 अरब, 71 करोड़, 84 लाख, 44 हजार का बजट पेश किया है। मान्यवर, राजस्व विभाग का प्रबन्धन मुख्य रूप से मुगल काल से शेरशाह सूरी के बनाये कानूनों से चलता आ रहा था। बाद में अंग्रेज आये, ईस्ट इण्डिया कम्पनी आयी। उनका उद्देश्य यहां के लोगों से ज्यादा से ज्यादा कर लेना था और उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। लेकिन मुख्य बात थी कि मुगलकाल का राजस्व प्रबन्धन जो था वह अभी भी चला आ रहा है सर जानसार ने यहां कलेक्टर पद की स्थापना की। कलेक्टर का पद मुगलकाल के अलमगुजर के पद की तरह का था जो उस समय जिलों में होता था। यह कलेक्टर गर्वनर के समान माना जाता था। जिले का सारा भू-अभिलेख, करों की अदायगी

आदि सारा प्रबन्धन कलेक्टर देखा करता था। इस समय पूरे राजस्व विभाग का जो प्रबन्धन है, इस समय दो प्रमुख अधिनियम हैं उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू-राजस्व अधिनियम, 1950. जो समय-समय पर संशोधित हुआ है, उसके द्वारा मुख्यतः प्रबन्धन होता रहा है। आगे चलकर तमाम सरकारें आयीं गरीबों को जमीन देने का काम किया। जिनके पास जमीनें ज्यादा है जोत नहीं सकते हैं। यह आवश्यकता के अनुसार बाद में जो कानून बने यू0पी0 कंसालिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट 1951 और यू0पी0 इम्पोजिशन आफ सीलिंग आन लेण्ड होल्डिंग ऐक्ट, 1961 और इस प्रकार इन कानूनों से राजस्व कानूनों से पूरी राजस्व व्यवस्था संचालित होती रही है। मान्यवर, भूमि कानूनों में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण गुण होने चाहिये। पहला कि कानून सरल होना चाहिए जिसे साधारण किसान भी समझ सकें। दूसरे, कानून का अनुपालन इमानदारी से कराना चाहिए। इसके लिए और इन सारे कानूनों के प्रशासन, प्रबन्धन के लिये राजस्व परिषद् का गठन किया गया था जो अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था है। राजस्व विभाग के जितने भी अभिलेख हैं, भूमि है, उनका राजस्व है, उनकी अदायगी है, उनके उत्तराधिकार के मामले हैं, टाइटिल के मामले हैं, राइट्स के सम्बन्ध में मामले हैं, उन सबके सम्बन्ध में राजस्व परिषद् सर्वोपरि संस्था है। माननीय मंत्री जी ने बड़े ही विस्तार से बताया कि उन्होंने राजस्व बादों को बहुत ही कुशलतापूर्वक, त्वरित गति से निपटाया है और बाकी को निपटाने की कोशिश है। लेकिन मान्यवर, स्थिति यह है राजस्व परिषद् में 8 न्यायिक सदस्य होने चाहिए लेकिन 8 में से केवल 3 सदस्य राजस्व परिषद् में हैं। आज भी वहां पर लगभग 18722 मुकदमें लम्बित हैं। मान्यवर, जो वाद वहां निपटते हैं वह औसतन 100 और 125 ही प्रतिवर्ष निपट पाते हैं। मान्यवर, राजस्व परिषद् निचली अदालतों के जो द्वितीय अपील के मामले होते हैं तथा रिवीजन के मामले होते हैं उनको सुनने के लिये सर्वोच्च अदालत है। इस समय जब यह प्रश्न उपस्थित है कि राजस्व मुकदमें कैसे निपटायें जायें, उनके विवाद कैसे खत्म किये जायें, उसके सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये 1978 में प्रोफेसर राज कृष्णा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें तमाम अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थी। उसमें सदस्य थे प्रो0 जी पार्थसारथी, डा0 वी0एम0 दंडेकर, डा0 ए0एम0 खुसरो, डा0 पी0सी0 जोशी, श्री पी0एस0 अप्पू, श्री राधा कृष्ण, डा0 पी0एच0 प्रसाद। उनके सामने कुछ बिन्दु रखे गये थे। भूमि सुधारों से सम्बन्धित अधिनियम राज्य द्वारा पारित होते हैं और उनको राष्ट्रपति जी के पास अनुमोदन के लिये भेजा जाता है। उनको नौवीं सूची में सम्मानपूर्ण ढंग से स्थान मिलना चाहिए जिससे कि भू राजस्व कानून का कड़ाई से और नियमतः पालन हो। इसके साथ ही केन्द्र सरकार के समक्ष नौवीं सूची के अन्तर्गत स्पष्टीकरण को समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव पूर्वगामी प्रभाव से समाप्त किये जाने के

लिए लाया जाये। यह 2-3 बिन्दु उनके सामने रखे गये थे और उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दिया संस्तुतियां की। इसमें उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में ऐसे और न्यायाधीश नियुक्त किये जायें। राजस्व और भू-राजस्व इसके लिए अलग से न्यायाधीश नियुक्त किये जाने चाहिए। जो केवल यही मुकदमें देखे लेकिन आज तक यह सम्भव नहीं हो सका है। 1978 की उनकी रिपोर्ट है। इस प्रकार सभी राज्यों के राजस्व विभाग समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जिसके अन्तर्गत भूमि सुधार वादों का निस्तारण किया जा सके लेकिन आज तक वह नहीं बन पाया। उनकी एक यह भी रिपोर्ट रही कि जो बहुत से भू-राजस्व से सम्बन्धित कानून है उनको कंसालिडेट करके एक रेवन्यू कोड बिल बनाया जाय। रेवन्यू कोड बिल उत्तर प्रदेश विधान सभा में रखा भी गया लेकिन वह सेलेक्ट कमेटी को चला गया। 1983 को फिर विधान सभा में रखा गया और राष्ट्रपति के पास उसको भेजा गया लेकिन वह लागू नहीं हो पाया। लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि अभी पिछले वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार ने रेवन्यू कोड बिल इस सदन में पेश किया और लगभग जो 2200 कुछ धाराएं थीं भू-राजस्व कानून से सम्बन्धित उसमें 234 को कंसालिडेट करके रेवन्यू कोड बिल में इस विधान सभा में पारित किया जो आज भी राष्ट्रपति के पास लम्बित हे वहां से इसकी अनुमति नहीं मिली है जिससे इसका पूरा का पूरा जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से, सरकार से चाहूंगा कि इस पर प्रस्ताव भेजकर इसको पारित करायें जिससे कि जो राजस्व विवाद है उनका हल निकाला जा सके। मान्यवर, राजस्व परिषद् आज जितनी भी सरकारी जमीनें हैं चाहे वह नजूल हों, राजकीय आस्थान हो या ग्राम समाज की जमीन हो सबकी सब वह प्रबन्धन के अधीन है। मालिक सरकार होती है। शासन होता है लेकिन नजूल का प्रबन्धन आवास विभाग देखता है और राजकीय आस्थान जमीन का प्रबन्धन राजस्व परिषद् देखती है। मैं एक बहुत ही चौंकाने वाला मुद्दा जो राजकीय आस्थान से जुड़ा है वह इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज इस मौके पर, माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जनहित में भी और शासन हित में भी इस पर कोई ठोस निर्णय करायें। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश की 39 जिलों में इलाहाबाद, फैजाबाद, आगरा, गाजीपुर, गोरखपुर, बिजनौर, रामपुर, बांदा, हरदोई, रायबरेली, कानपुर, फर्रुखाबाद इन सब जगहों पर राजकीय आस्थान की जमीन है। 1857 का गदर हुआ और 1857 की गदर में पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग हुआ। आज 150वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बाद में जब अंग्रेजों ने फिर से भारतवासियों को भगाया भूमि पर कब्जा किया तो जहां-जहां लड़ाइयां हुई थीं उन सारे लोगों की जमीनें अंग्रेजों ने ले ली और राजकीय आस्थान, एक तरह से कहिये कि सरकारी जमींदारी बना दी गयी और उसको राजस्व परिषद् के अधीन कर दिया प्रबन्धन के लिए। इन जमीनों में सबसे ज्यादा जमीन

इलाहाबाद में 7872 एकड़ है। आप जानते हैं कि इलाहाबाद में मौलाना लियाकत अली साहब के नेतृत्व में अंग्रेजों में लोहा लिया गया और 7 दिन इलाहाबाद अंग्रेजों के चंगुल से आजाद रहा। बाद में जब कर्नल नील वहां पर आये और उन्होंने अपनी फौज के साथ वहां पर कत्लेआम किया। हजारों लोग मारे गये फिर उन्होंने जो जमीन कब्जा की, सारे जमींदार और जो पट्टेदार किसान थे, उनकी हजारों एकड़ जमीन उन्होंने कब्जा कर ली। इस समय पूरे प्रदेश में 22,721 एकड़ जमीन राजकीय आस्थान की है। जिसमें 7872 एकड़ जमीन इलाहाबाद में है, इसी प्रकार फैजाबाद में 2381 एकड़ गार्जीपुर में है 2286 बिजनौर 2080, रामपुर में आजम भाई के यहां 3431, बांदा में है 450 एकड़ जमीन इस प्रकार राजकीय आस्थान की है। यह राजकीय आस्थान राजस्व परिषद् के अधीन जो कलेक्टर साहबान होते हैं, उनके प्रबन्धन में दी गयी। खेत मेड़ को जब खाने लगता है तो खेत नहीं बचता और यही हुआ कि हमारे इलाहाबाद में जो भी कमिश्नर, कलेक्टर, ए0डी0एम0 और एस0डी0एम0 आये, उन लोगों ने अपने नाम, अपने बच्चों के नाम, राजकीय आस्थान की जमीन, जो कृषि कार्य के लिये थी, स्वयं पट्टे पर ले ली और उस पर अपने मकान बना लिये। खेती के लिये खुद पट्टे पर लेकर जो पद रहते हुये उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने उस पर अपना मकान बना लिया। साथ ही अगल बगल के पट्टेदारों को प्रोत्साहित किया कि तुम लोग भी अपना मकान बनाओ, बेचो, क्या मिलेगा इस खेती में और उन लोगों ने भी इस तरह बनाना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। जब मैं पहली बार निर्वाचित होकर इस सदन में आया तो मेरे सामने बहुत भारी समस्या थी कि गेज बुलडोजर उनके मकानों को गिराते थे। इस सवाल को मैंने 10 मार्च, 1987 को इसी विधान सभा में उठाया और भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 के अनुसार यह मांग की कि कृषि कार्य की भूमि पर अगर बने मकान मध्यम और कमजोर वर्ग के गिराये जा रहे हैं तो इसी प्रकार जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी समान कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। कानूनों का सबको समान संरक्षण मिलना चाहिये और अगर वह सही है तो उसी प्रकार इनका भी विनियमितीकरण कर देना चाहिये। 10 मार्च, 1987 को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह सवाल उठाया था। माननीय वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि समानता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। खैर गिरना तो बंद हो गया और वह आश्वासन 53/87 बना, आज 21 साल हो गये हैं और वह आश्वासन समिति में कई बार निरस्त हुआ, कई बार पुनर्जीवित हुआ और मान्यवर, अभी आपने उसको फिर से पुनर्जीवित किया है। इस बीच सैकड़ों मकान गिरा दिये गये। लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी। मैं यह नहीं कहता कि उनके खिलाफ कार्यवाही करिये, लेकिन उसी तरह जो मध्यम और कमजोर वर्ग

के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्होंने 100 गज, 50 गज पर, 150 गज पर किसी तरह अपना आशियाना बनाया है उनको न गिराया जाय। फिर 1989 में हम लोगों की सरकार आई जनता दल की। मैं उस समय भी विधायक था और उस सवाल को मैंने फिर उठाया नियम-301 के माध्यम से उस समय माननीय राम शरण दास राजस्व मंत्री थे, उन्होंने जो जवाब भेजा, उसको मैं यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि यह सदन का दस्तावेज बन जाय और जो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है उससे निजात मिल सके। राम शरण दास जी ने लिखा था प्रिय महोदय, जनपद इलाहाबाद में राजकीय आस्थान की भूमि पर किये गये कब्जों एवं निर्माणों को समानता के आधार पर नियमित पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में। विधान सभा में आपके द्वारा नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 7-1-1990 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद की समस्या के काफी संवेदनशील एवं जटिल होने के कारण इसमें विस्तृत छानबीन एवं गहन चिन्तन की आवश्यकता है ताकि मामले में अर्न्तनिहित हर पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित कारगर नीति निर्धारित की जा सके यहां की समस्याओं का निराकरण सुगमतापूर्वक हो। इसीलिए शासन से तत्कालीन राजस्व परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बन्ध में जनपद के जटिल व संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण भी कराया जा चुका है। जिसके सन्दर्भ में कतिपय सूचनाएं जो प्रश्नगत समस्या के समाधान के लिए अपरिहार्य हैं, जिलाधिकारी, इलाहाबाद से अपेक्षित है। इसे प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। उक्त सूचनाओं के प्राप्त होते ही इस मामले में निर्णय लिया जायेगा। मान्यवर, 1990 और आज 2008, अभी तक सूचनाएं आ जा रही हैं। राजस्व परिषद् जिसके ऊपर हम लोगों ने इतना विश्वास किया है कि अपने पूरे प्रदेश की सारी जमीन, सारा राजस्व उसके हवाले किया है, आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि मा0 रामशरण दास जी ने कुछ नहीं किया बल्कि एक टीम भेजी गयी थी और वह टीम आई, उसने जांच किया और जांच करने के बाद जिलाधिकारी से रिपोर्ट भेजने को कहा। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी जी ने 22 अप्रैल, 1987 को यह रिपोर्ट भेजी थी। मान्यवर, राजकीय आस्थान की कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण एवं कब्जे की समस्या से परिषद् अवगत है। वह कह रहे हैं कि परिषद् अवगत हैं। 1811 पट्टेदारों ने बिना अनुमति के भवन निर्माण कर लिया है और मान्यवर, एक सरकारी अधिकारी ने परिषद् के विषय में अपनी रिपोर्ट में लिखा है। उसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी परिषद् की कार्य पद्धति क्या है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में क्या कार्यवाही जिला स्तर पर अन्तिम रूप से करनी है इस सम्बन्ध में अभी कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं है और दो परस्पर विरोधी प्रकार के आदेश शासन तथा परिषद् द्वारा निर्गत

किये जाते रहे हैं। एक प्रकार के आदेश इन काबिजदारों को बेदखल करने के हैं वहीं दूसरे आदेश अवैध कब्जे के विनियमितीकरण किये जाने के भी हैं। यह इलाहाबाद के डी0एम0 ने परिषद् को लिखा है। इसी के साथ यह भी लिखा है जो कि बहुत ही गम्भीर है कि इलाहाबाद जैसे संवेदनशील जनपद में पौने पांच हजार परिवारों को भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करना और उनके भवनों को गिराना कोई मामूली एवं आसान काम नहीं है। इसके जबर्दस्त राजनैतिक परिणाम हो सकते हैं। इस कार्य को करने के लिये बड़ी तादाद में पुलिस बल प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका जबर्दस्त राजनैतिक विरोध होगा, बल प्रयोग के समय फायरिंग होने की पूरी सम्भावना होगी। अतः इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर पर निर्णय लेना आवश्यक होगा। हम सोच रहे थे कि मुख्य मंत्री जी आज आई हैं तो उनके सामने यह बात आ जाए और कुछ कार्यवाही भी हो जायेगी लेकिन वह चली गई है।

श्री अध्यक्ष-

15 मिनट निर्धारित है और लगभग समय होने वाला है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, आज शनिवार है, छुट्टी है, अनुरोध है कि इसे अच्छी तरह से आ जाने दीजिये। इसी तरह से मान्यवर, सुभाष कुमार जो डी0एम0 रहे हैं वहां पर उन्होंने 20 फरवरी, 1992 को पत्र लिखा संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन (राजस्व विभाग) को और उसमें कहा है कि राजकीय स्थान की भूमि, मान्यवर, उसी समय जो नजूल की भूमि है दूसरी सरकारी जमीन उसके लिए फ्री-होल्ड की बात चल रही थी तो उन्होंने उस पर लिखा है कि जब भी कोई इस तरह की कार्यवाही की जाय या विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाय तो नजूल लैण्ड अच्छी जगह पर है और जो राजकीय आस्थान की भूमि है वह इंटीरियर में है, इसलिए दर निर्धारण पर भी निर्णय लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कृपया शान्त रहें, बातचीत बहुत हो रही है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इतना समय बीत गया, इतनी लिखा-पढ़ी हुई और यह राजस्व परिषद् के नॉलेज में है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आगे चलकर जब भारत मां को विशेष दर्जा देने एवं बात करने वाली सरकार आयी तो उसके एक मंत्री जी के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट पेश हुई और उस लोकायुक्त की रिपोर्ट में राजकीय आस्थान की भूमि बेचने के लिए जब उनकी पत्नी के खिलाफ मामला सिद्ध हो गया और लोकायुक्त ने जब उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए

कहा। 31-12-03 को तहरीर थाने में दी गयी। तब मान्यवर, राजकीय आस्थान की भूमि का विनियमितीकरण के लिए 3 दिन के अंदर एक नियमावली बन गयी और उस नियमावली के अनुसार राजकीय आस्थान की भूमि के जो कब्जेदार हैं, वर्तमान रेट के 40 प्रतिशत या 60 प्रतिशत दे करके उसका विनियमितीकरण करा सकते हैं। अब एक तरफ यह जो राजकीय आस्थान के सम्बन्ध में वर्तमान रेट है, दूसरी तरह जो नजूल भूमि है जो हर शहर में अच्छी जगहों पर है, मुख्य बाजारों में है, 1991 में जब यहां पर राष्ट्रवादी सरकार आयी थी तो उन्होंने ही फ्री-होल्ड का कानून बनाया था और उसमें यह था कि अगर पट्टेदार ने किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो उसे वर्तमान सर्किल रेट पर फ्री-होल्ड कर दिया जायेगा, परन्तु यदि उसने उल्लंघन किया है तो उसे बाजार भाव का दोगुना कर दिया जायेगा। लेकिन चूंकि इसकी दर ज्यादा थी इसलिए लोगों ने फ्री-होल्ड नहीं कराया। 1998 में जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता का मामला आया तो मान्यवर, सारे कानून बदल दिये गये। उसके पहले भी 1986 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जो नजूल की जमीन है उस जमीन में जो पट्टेदार हैं अगर उन लोगों ने कोई वायलेशन किया है तब भी उनको दण्ड ले करके उनकी जमीन का पट्टा रि-न्यू कर दिया जाए और उस पर जो गरीब लोग रहते हैं, बहुत ही कमजोर वर्ग के हैं उनको 5 साल में बसाया जाए अगर 5 साल में नहीं बसाया जाता तो जब तक नहीं बसाया जाता तब तक उनको हटाया नहीं जायेगा लेकिन 1 दिसम्बर, 1998 को केवल एक आदमी के लिए जो एक संगठन का अध्यक्ष था उसके लिए सारे कानून बदल दिये गये और पट्टे की शर्तों का किसी ने उल्लंघन किया है तो उसको माफ कर दिया गया। अगर किसी ने किसी को अवैध ढंग से जमीन ट्रांसफर कर दिया है तो उसको मान लिया गया। रेट कौड़ी के भाव कर दिया गया। 1998 में कानून बनता है कि 1991 के सर्किल रेट का 40 प्रतिशत लिया जाए और शेष 60 प्रतिशत फिर 30 प्रतिशत लेस किया जाए और अगर इकट्ठा कोई जमा कर देता है तो फिर 20 प्रतिशत लेस किया जाए। इस प्रकार 1991 के लगभग 10 प्रतिशत के सर्किल रेट पर नजूल जमीन जो बहुत मूल्यवान जमीन होती है, जैसे हजरतगंज में है, इलाहाबाद में सिविल लाइन्स है, गोरखपुर के गोलघर में है, कानपुर का पूरा शहरी क्षेत्र है, इनमें जो नजूल की जमीन है उसको एक आदमी के लिए 10 प्रतिशत पर कर दिया गया। हमारे इलाहाबाद में सिविल लाइन्स जैसे जगह में 232 रुपये में स्टाम्प ड्यूटी सहित फ्री-होल्ड उनको कर दिया गया। जो सबसे खराब कानून बना, जिससे हम आप चिन्तित रहते हैं कि भू-माफिया पैदा हो गये, उसी कानून से भू-माफियाओं को भी पैदा किया क्यों इसलिए कि इस सारी कैटेगरी के बावजूद उनका केस नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी जमीन फुफेरे भाई को ट्रांसफर कर दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं थी

कोई एग्रीमेन्ट नहीं था तो यह कह दिया गया कि कोई पट्टेदार किसी को नामिनी बना दे तो उसको भी फ्री-होल्ड कर दिया जाए। उसी नामिनी के आधार पर पूरे प्रदेश में भू-माफिया फल-फूल रहे हैं। गरीब लोगों को कोई हक नहीं मिल रहा है वह मारे जा रहे हैं। उनको भू-माफिया उजाड़ रहे हैं। रोज ये समस्यायें आती हैं और राजस्व विभाग और प्रशासन आंखें मूंदे हुए कान में तेल डाले बैठे हुये हैं। दूसरे तरफ स्टेट लैण्ड जमीन का कानून बनाया गया। हम लोगों के यहां महात्मा गांधी मार्ग है, सिविल लाइन्स में नेता जी सुभाष चन्द्र जी की मूर्ति है जो सबसे प्राइम लोकेशन है। वहां पर नजूल जमीन जो फ्री-होल्ड हुआ है 332 रुपये स्क्वायर मीटर। उसी महात्मा गांधी मार्ग से दो कि0मी0 पूर्व की ओर आगे जाने पर गवर्नमेन्ट स्टेट जमीन है। उसका जो विनियमितीकरण का कानून आया है। आज के हिसाब से 6 हजार रुपये वर्ग मीटर पड़ेगी। दोनों प्रबन्धन राजस्व परिषद् देख रहा है। मैंने एक विषय पर और प्रश्न किया था। राजस्व मंत्री जी से, आवास मंत्री जी से, इसमें भी यही हुआ है। नजूल जमीन में तमाम ऐसी गड़बड़ियां हैं। नजूल और राजकीय आस्थान दोनों का प्रस्ताव है जब जमीनों के फ्री-होल्ड का कानून आया तो दोनों में प्रस्ताव करा लिया एक मामले के लिए पूरा शासन उसके पक्ष में हो गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आप कटौती का प्रस्ताव केवल इलाहाबाद के लिए रख रहे हैं पूरे प्रदेश की बात करिए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

यह कानून पूरे प्रदेश के लिए है। यह अकेले इलाहाबाद के लिए नहीं है। एक तरफ तो बड़े लोग उनको पूरे प्रदेश में जमीन लुटाई जा रही है और गरीब आदमी के लिए एक सूत जमीन नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि पट्टे बांटे गए। आपने पट्टे बांटे हैं और भी सरकारों ने पट्टे बांटे हैं। लेकिन आज तक तहसील दिवसों में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें पट्टों के कब्जे के लिए लोग आते हैं। शिकायतें दर्ज की जाती हैं इसके बावजूद शिकायतें प्रायः आती रहती हैं। शिकायतें पूरी नहीं होती हैं। लोग हम लोगों के पास भी आते रहते हैं कि हमें पट्टा तो मिल गया था लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा है। अकेले कानून बना देने से कोई काम नहीं हो जाता है। सरकारों ने कानून बनाया कि अधिकारी गांव में जायेंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। वहां पर आज भी चक के कब्जे और टाइटिल के वाद बने हुए हैं। राजस्व परिषद् जो राजस्व विभाग का प्रमुख अंग है उसकी कार्य प्रणाली द्वेषपूर्ण और भेदभावपूर्ण है। कई ऐसे मामले हैं जिनको अगर लिखें तो किताब बन जायेगी। पूरे प्रदेश में डेढ़ हजार एकड़ भूमि आक्यूवेंसी टेनेन्सी है जिनके पास कब्जा है वह कहते हैं कि हम इसके मालिक है। न तो यह राजकीय आस्थान की जमीन है

और न ही नजूल की जमीन है। शासनादेश बनने के बाद भी उसका पालन नहीं हो रहा है। इस तरह से लगभग एक खरब रुपये की जमीन का घोटाला हो गया है। आप दो चार लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन जो लगभग डेढ़ हजार एकड़ है, उसका कोई मूल्य नहीं देगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार तो अपने को गरीबों, दलितों की सरकार कहती है उन्हीं के सहयोग से आपकी सरकार बनी है। कमजोर वर्ग के लोगों जिनके पास आवास की समस्या है। मैं चाहता हूं कि आप सदन की एक कमेटी बना दें। वह कमेटी सारी बातों की जांच कर ले। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएं जिन्होंने खुद जमीन ले ली है या आक्यूवेंसी टेनेन्सी में आमद की है उनके खिलाफ कार्यवाही हो। बदनाम नेता होते हैं। हम लोग जनता के बीच जाते हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। किसान बही, जोत बही, कम्प्यूटराइजेशन यह तो सरकारें करती रही हैं। आप भी यही कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं तेजी से करिए इन सब चीजों को। राजस्व के मामलों को कम करने का प्रयास किया जाय। प्रो0 राज कृष्णा कमेटी ने कहा है कि इस तरह के मुकदमों के लिए कोशिश की जाए। एक अदालत हो और एक अपील एवं एक रिवीजन का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद उसको अधिकार नहीं होने चाहिए। जो कई-कई जगहों से मुकदमें चलते रहते हैं। इस प्रकार आप दैवी आपदा राहत कोष है कहीं आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है तो कहते हैं कि आप अहेतुक सहायता देते हैं। अहेतुक, हेतु मतलब उद्देश्य और अहेतु मतलब बिना किसी उद्देश्य के। वह सहायता राशि इतनी कम है कि उसका कोई मतलब नहीं होता है सिवाय इसके कि लिस्ट में नाम बढ़ जाय कि हमने इतनी सहायता राशि बांटी। आपने सहायता राशि के लिये इसमें जो मांग की है, वह बहुत कम है। बुन्देलखण्ड में झांसी से लेकर मिर्जापुर तक का जो पठारी इलाका है, वह पूरा सूखा से पीड़ित है। इलाहाबाद का यमुना पार पूरा सूखा से पीड़ित है। रिपोर्ट आ गई है लेकिन अभी तक आपके यहां कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रिपोर्ट मान्यवर, आपके यहां रखी है आप उसको देखिये जमुना पार को भी सूखा घोषित करिये।

(किसी सदस्य द्वारा राज्यपाल दीर्घा की तरफ बात करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय विधायक जी, वहां आप बात नहीं कर सकते हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

इस तरह और भी जितनी जगहें हैं वहां ऐसी राहत दीजिये जिससे वह राहत महसूस कर सकें। अभी अखबारों में था, हमारे बुन्देलखण्ड के भइयों ने बताया कि 28 और 38 रुपये के चेक दिये गये सूखा राहत के नाम पर। बैंक में खाता खुलवाने के लिये उसको 500 रुपया

जमा करना पड़ा। सूखा राहत आपदा कोष को मजाक न बनाया जाय। सूखा राहत आपदा में जिसको भी दिया जाय जितनी उसकी क्षति हुई है उसको देखते हुए दिया जाए। बहुत बड़े लोग हैं वो तो आते नहीं है। जो इस आपदा से पीड़ित हो जाते हैं, एकदम धराशायी हो जाते हैं वहीं आपके पास आते हैं कि उनको राहत दी जाय। राहत राशि ऐसी हो जिससे उनका कुछ भला हो जाय। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 अनिल चौधरी जी, पांच-पांच मिनट में अपनी बात कहें। आप अपने दल की सूची दे दीजिये बोलने वालों की।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये मौका दिया। मान्यवर, राजस्व मंत्री ने जब बजट भाषण बोलना शुरू किया तो मुझे एक शेर याद आया-

"बड़े शौक से सुन रहा था जमाना,
हम ही सो गये दास्तां कहते कहते।"

मान्यवर, मेरी निगाह में इस राजस्व विभाग को अगर चौधरी चरण सिंह स्मृति विभाग का भी नाम दे दिया जाय तो शायद कम होगा और माननीय राजस्व मंत्री जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला के निकले हुए छात्र हैं। इस विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए चौधरी चरण सिंह जी के नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं किया इससे कम से कम मुझे नये सदस्य को बड़ी पीड़ा हुई। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी ने 1952 में जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट न बनाया गया होता तो आज जो अलग-अलग सरकारें इस सूबे में आ रही है और बार-बार दावा यह करती है कि दलितों के पिछड़ों के, गरीबों के बड़े हितैषी हैं उनका जमीन का पट्टा देंगे, उनको मालिकाना हक देंगे। शायद कोई सरकार इस को नहीं कर सकती। चौधरी चरण सिंह जी ने उस जमींदारी विनाश अधिनियम में किसानों को उनके मकान, उनके कुंए, उनके पेड़ और जिस जमीन को वह जोतते थे उसका मालिकाना हक दिया और चौधरी चरण सिंह जी ने 1954 में जो चकबन्दी कानून बनाया उससे किसानों को यह लाभ तो हुआ कि उनकी जोतें एक जगह आई और उस पर वो अपनी व्यवस्था चाहे वह सिंचाई की हो या जो भी हो उनको पैदा करने में सक्षम हुआ लेकिन उसके अन्दर एक बहुत बड़ा प्राविजन था कि उस चकबन्दी कानून में से जो कटौती में जमीन ली गई किसान उसी जमीन पर आप आज तक पट्टे बांटने का काम करते चले आये और वही ज़मीन है जो कटौती में मिलती है, जिस पर आप सरकारी स्कूल बना रहे हैं सर्वशिक्षा अभियान

सारा उसी पर आधारित है। उसी पर आप पंचायत घरं बना रहे हैं। उसी पर जितने निर्माण कार्य हैं उसी पर हो रहे हैं। मान्यवर, यही नहीं 197, 98 की जो पट्टे देने की प्रक्रिया है यह चौधरी चरण सिंह जी ने ही इस सूबे में इसी माननीय सदन में लागू की थी और चौधरी चरण सिंह जी ने एक बहुत क्रान्तिकारी काम किया था जो पटवारी थे उसको बहुत ताकतवर माना जाता था। उसको एक झटके के साथ बर्खास्त करने के बाद लेखपाल का पद सृजित किया। मैं कह सकता हूं फख्र के साथ, इस सूबे के अन्दर दलितों के लिए आरक्षण का प्राविधान सर्वप्रथम 1955 में चौधरी चरण सिंह जी ने करने का काम किया था। चौधरी चरण सिंह ने पटवारी खत्म किए थे क्योंकि वह शोषण करते थे। आज लेखपाल उससे कम शोषण नहीं कर रहा है आज आप देखें राजस्व वादों की स्थिति मैं बताना चाहता हूं कि 1-10-06 से प्रारम्भ हुए राजस्व वर्ष के आरम्भ में 2 लाख 62 हजार 692 वाद शेष थे और इनमें से 12 लाख 75 हजार 70 वादों का निस्तारण कर दिया गया। उसके बाद भी जो वाद है लम्बित, उनकी संख्या है 2 लाख 356 हजार मण्डल स्तरीय वाद जो थे उनकी स्थिति देख लीजिए। 30-9-07 तक 51 हजार 691 नये वादों को मिलाकर एक लाख 21 हजार 807 वाद निस्तारण हेतु उपलब्ध हुए। जिसमें से केवल 47 हजार 734 वादों का निस्तारण किया गया और उसके बाद कुल 74 हजार 73 वाद शेष रहे। क्या कारण है जो वादों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे किसी भी तहसील दिवस पर जितनी शिकायतें दर्ज होती हैं उसमें से 80 फीसदी भूमि विवाद सम्बन्धी होती है। किसी थाने में मैं जाकर देख लीजिए। जितनी भी एफ0आई0आर0 होती है उसमें से 90 प्रतिशत चकरोड, भूमि के झगड़े, मेड़ आदि की लड़ाई की होती है। पूरे देहात की जनता से आपका लेखपाल आपका पूरा तंत्र, मंत्री जी अपने ऊपर आरोप न समझें, सबके जमाने में यही हो रहा है पूरा तंत्र आपका लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा दे रहा है जो वादों की संख्या है वह आपके तंत्र की वजह से है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं मान्यवर, एक नया कैडर सूबे में पैदा कर देना चाहिए। प्राविन्शियल सुपरवाइजरी कैडर, राजस्व के अधिकारी राजस्व के कर्मचारी का केवल सुपरवाइजरी का काम रह गया है। आप आई0ए0एस, पी0सी0एस0 को लगा देते हैं घर बैटने की व्यवस्था है। वह मिड डे मील चेक करने जाएगा। राशन वह बटवायेगा। कानून व्यवस्था वह देखेगा। बिजली का एम0डी0 हो, चेयरमैन हो, आई0ए0एस0 बैठेगा। इंजीनियर वर्ग नकारा हो गया, डाक्टर सब नकारा हो गए, अन्य कैडर के सब अधिकारी नकारा हो गए। मैं पूरे सदन से पूछना चाहता हूं आप ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठा देते हैं, टेक्निकल पोस्ट पर क्या आपका एम0डी0 या आई0ए0एस0 एक तार को एक वायर को ऊंगली लगाकर देख सकता है। वह ऊंगली लगाना तो दूर ऊंगली लगाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। पी0डब्लू0डी0 की सड़क पर आई0ए0एस0 चेक करने जाता है तो क्या वह उसके

बारे में जानता है। टैक्निकल लोगों को टेक्निकल काम करने दिया जाए यह मैं सदन से मांग करता हूं यह जो लम्बित वाद है हमारे यहां ब्रज में एक कहावत है "अपने घर देखेंगे नहीं दूसरों के घर ताका झांकी" में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मा0 मंत्री जी अपने विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों पर शिकंजा कसेंगे और यदि ऐसा नहीं किया तो इससे गरीब किसानों का कोई भला नहीं हो पायेगा। मान्यवर, मा0 सुप्रीम कोर्ट ने सभी तालाबों से कब्जे हटाने के आदेश भी दिए हैं, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है और इस सदन में सभी मा0 सदस्य जानते होंगे, बहुत सारे मकानात उसके भीतर हैं, तालाबों में बने हुए हैं, इनको खाली कराया जाए। मा0 हमारे सादाबाद में भी जो अम्बेडकर पार्क है, वह भी तालाब में बना है। मान्यवर, इसी प्रकार फैजाबाद जिले की भी हमारे पास सूचना है, जनौरा गांव के गाटा सं0-410 एवं 412 में अतिक्रमण है और भी तमाम इस प्रकार के मामले होंगे। मान्यवर, राजस्व वसूली के लिए इसी बजट में बात कही गयी है कि जो तहसील के बन्दीगृह होंगे, उनको बनाया जायेगा। मंत्री जी बहुत भला होता यदि इन बन्दी गृहों की व्यवस्था को आप समाप्त कर देते। जो बड़े बकायेदार हैं, किसी फैक्ट्री के लिए यदि उन्होंने लोन लिया, उनको तो उनकी कुल सम्पत्तियों से ज्यादा का लोन बैंक देने का काम करती है, लेकिन किसान को तो उसकी सारी सम्पत्ति बन्धक रख कर उसका 20 या 30 फीसदी ही मात्र बैंक लोन देती है। उसी किसान को आप तहसील के उस बन्दीगृह में बन्द कर ठूस कर बेइज्जत करने का काम करते हैं, यह बेइज्जती उनकी बन्द कर दीजिए, आपके पास बहुत से तरीके हैं उनकी जमीन कुर्क करने का तरीका है, उसके हल-बैल तक तो आप कुर्क कर ही रहे हैं, ट्रैक्टर को खिंचवा कर मंगा रहे हैं। मेहरबानी करके किसान की तौहीन करना बन्द कर दीजिए मेरा अनुरोध है। मान्यवर, हमारे सादाबाद कस्बे, जनपद हाथरस में करबन नदी के अन्दर की नजूल को फ्री-होल्ड कर दिया गया, जो आपका नजूल नहीं है उसको भी फ्री-होल्ड करके करबन नदी में फ्री-होल्ड एक जिलाधिकारी ने 4-5 वर्ष पूर्व किया। जरा इन मामलों को दिखवा लीजिए। अब मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

* श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देते हुए और कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं मेरे दो छोटे-छोटे सुझाव है, मंत्री जी नोट कर लें। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा एक शासनादेश किया गया था, कस्टोडियन से सम्बन्धित जिसके मुकदमों के लिए तुरन्त निस्तारण करने के लिए डेट फिक्स कर दी गयी थी, वे प्रकरण अभी तक लम्बित हैं और ऐसी संख्या ज्यादातर मेरठ में है। मान्यवर, नम्बर-2, एक रजिस्ट्रार आफिस होती है, आपके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधीनस्थ उसमें बहुत महत्वपूर्ण डाकूमेन्ट्स होते हैं और छोटे से बजट की बात है कि आपके उन आफिसों में एन्टीवाइरस की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी तरह से कम्प्यूटर में वाइरस आ जाता है तो उन्हें ठीक कराने के लिए बाहर ले जाना पड़ता है तो यह बहुत छोटे फण्ड की बात है। तो एन्टीवाइरस की व्यवस्था कर दी जाय। मान्यवर, यह अलग विषय है कि कभी-कभी कुछ ऐसे विभाग होते हैं, उन्हें हम भ्रष्ट मान लेते हैं और उनकी सुविधाओं की कटौती कर देते हैं, अपने आप में ही भ्रष्ट मान करके। मान्यवर, जैसे पुलिस विभाग हैं, उन्हें न कागज के लिए खर्चा देते हैं, न कुछ करते हैं, इसी तरह आपके यहां रजिस्ट्रार आफिस है, उनके यहां गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, अब तक रजिस्ट्रार को गाड़ी नहीं दी गयी है। उन्हें किश्तों में गाड़ी उपलब्ध करा दें, मात्र 57 गाड़ियां देनी है। तीसरा यह है कि म्यूंटेशन का सिस्टम चलाये कि इतने दिनों में लेखपाल करके देगा। एक समयबद्ध प्रोग्राम बनाया जाय। अगला विषय यह है कि इस सरकार में खास तौर से बहन कुमारी मायावती जी की शुरू से यह योजना रही है कि अनुसूचित जातियों को ज्यादा कैसे लाभ पहुंचे। उसके लिए अभी आपके पास ऐसे पट्टेदारों की संख्या है, जहां अभी तक भू-माफिया से कब्जा नहीं मिल रहा है, तो इसको छटवाकर गरीब लोगों को दिलाया जाय, यह मेरा सुझाव है। एक और आपकी अनुमति से मुख्य मंत्री जी को सुझाव के साथ धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं हो सकता है कि वह कहीं ऐसी जगह बैठी हों तो उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहना चाहूंगा। पहले मैं अपनी गल्तियों के लिए सदन के समक्ष झुककर माफी मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन इस स्टाइल में न कहें।

श्री कुबेर सिंह-

कुबेर सिंह ने सत्यनिष्ठा के साथ कसम खायी है तो मुझे बात कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं पूरा सत्यनिष्ठ नहीं हूं। यह कहना चाहता हूं कि आप दलित की बेटी कहलाने वाली दलितों की मसीहा है जो दलितों के लिए आपने किया वह रिकार्ड हो गया और जो आज आपने किया वह भी रिकार्ड हो गया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अगला विषय यह है कि ....

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। आपके सुझाव आ गये हैं। तीन के बाद गिनती न करके अगले विषय पर आ गये हैं।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, वह विषय यह है कि आप दलित की बेटी बनकर जी लीं, नीचे का दर्द आपने देख लिया। मुख्य मंत्री जी के रूप में आप जी लीं तो पैसा देख लिया।

अब तक आप केवल अनुसूचित जाति तक सीमित रह कर उनकी वफादार होकर रह गई हैं। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि अब आप पूरे उत्तर प्रदेश की एक उसी तरह की जैसे अनुसूचित जाति की आप मसीहा बनी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की मसीहा बन जायें ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष-

टीक है, अब आप समाप्त करें।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, एक सुझाव यह है कि जब आप यहां पर खड़ी हो जाती हैं तो अपने दल को तो सुधार सकती हैं। अगर आप ईमानदारी से कमर कस लेती हैं तो अपने दल को तो सम्भाल सकती हैं परन्तु हम विपक्षियों को नहीं सम्भाल सकती हैं क्योंकि यह नेताओं की बस की बात नहीं है। यह न बहन जी कर सकती हैं और न कोई और विपक्षी कर सकता है। इस काम को केवल वही करेंगे जो सत्यनिष्ठा से एक आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 की 5-5 लोगों की कमेटी बना दें और कमेटी बना करके जो आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 हैं वह अपने आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 कमेटी को कसें जो हमारे नीचे रहने वाले सेक्रेटरी हैं, सबको कसेंगे, तो यह भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो सकता है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

टीक है बस हो गया, अब आप बैठ जायें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मान्यवर, यह राजस्व विभाग ऐसा विभाग है जिससे न केवल ग्रामीण अपितु नगरीय जन-जीवन भी इससे जुड़ा है। इसमें जो गांव के लोग हैं चाहे शहर के लोग हों, राजस्व अभिलेखों के नाम पर, चाहे भूमि के नाम पर कहीं न कहीं सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े होते हैं। इसके बारे में वृहद् भाषण तो हमारे पूर्व राजस्व मंत्री देंगे, मैं दो-चार सुझाव दे कर अपनी बात खत्म करूंगा। मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भू-अभिलेखों में या जो भू-अभिलेखों के विवाद हैं, यह हमारे यहां अपराध का बहुत बड़ा कारण है। इसका निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिये। जो भी मुकदमें हैं चाहे वह टाइटिल का हो, चाहे वह वरासत का हो, चाहे वह सीमांकन का हो, तीन प्रकार से विवाद पैदा होता है राजस्व में।

(सत्ता पक्ष के तीन मंत्रियों द्वारा आपस में बातचीत करने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट जरा शांत होकर आप लोग बातों को सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी हमें कुछ डर लग रहा है। ये दो माननीय मंत्री जी हमारे साथी के साथ क्या कर रहे हैं ? यह देखिये मान्यवर, क्या हो रहा है ? इनकी आबरू बचाइये मान्यवर, साथी की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

इसमें नामांकन का, टाइटिल का और सीमांकन का, तीन प्रकार से भूमि के विवाद पैदा होते हैं और तीनों का निस्तारण बहुत लम्बे समय तक विवादित पड़ा रह जाता है, न्यायालयों के अभाव में। आपके न्यायालयों में नायब तहसीलदार सीमांकन का कार्य देखता है, तहसीलदार सीमांकन का कार्य देखता है। टाइटिल के कुछ मुकदमें नायब तहसीलदार देखते हैं, सीमांकन तो पूरी तरह से तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों मिल कर देखते हैं, लेकिन आप उसको देखेंगे तो यहां बहुत बड़ी संख्या में मुकदमें विचाराधीन हैं और एक राजस्व का मुकदमा एक बार जब तहसील में चला जाता है तो आप देखेंगे हमारे यहां खुद ही 14-14 साल 15-15 साल तक तहसीलों में ही पड़ा रहता है। तहसील के निर्णय के बाद फिर वह और अपील और कोर्ट में जाते हैं। तो एक मुकदमा जो प्रारम्भ होता है उसमें पचीसों साल लग जाते हैं और जो दायर करने वाला होता है, जो लाभ के लिये दायर करता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसके समय में उसका निस्तारण नहीं होता है। इस बारे में मेरा आपसे सुझाव है कि आप तहसीलों में एक ऐसी व्यवस्था करें, चाहे एक नायब तहसीलदार को ही नामित कर दें, वैसे आपके यहां नायब तहसीलदारों की संख्या कम है, प्रमोशन कर नहीं पाये, नई भर्ती हो नहीं पा रही है, लेकिन प्रत्येक तहसील में एक ऐसा अधिकारी रहे जो केवल भूमि विवाद का ही मामला देखे। उसे वसूली में न लगाया जाये, उसे और मामलों में न लगाया जाये, तो यह मामले जल्दी निबटाये जा सकते हैं और इसके जल्दी निपटारा न होने के कारण आज पुलिस विभाग प्रभावित होता है, समाज प्रभावित होता है, उसी को लेकर के मारपीट होती है, अपराध होता है, इसलिये सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके निस्तारण की प्रक्रिया को आप सरल बनायें।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में बहुत से कानून हैं। इन कानूनों को समाप्त करके एक राजस्व संहिता बनाई गई थी पिछली बार, उसमें रेवेन्यू के जितने ऐक्ट हैं वह समाप्त करके बनाई गई थी। उसमें बहुत से अच्छे नियम बनाये गये हैं। वह यहां से पास होने के बाद शायद राष्ट्रपति जी के यहां या कहीं राज्यपाल जी के यहां विचाराधीन है। आपका प्रयास होना चाहिये कि उसको पुनः लाया जाये और उसको लागू किया जाये। अगर यह न कर सकें तो राजस्व परिषद् को और तेज करें। वहां मामलों का जल्दी निस्तारण करायें। मान्यवर, चकबन्दी प्रक्रिया में चकों का जब निर्माण होता है, वह पुष्टीकृत नक्शा बनता है और यह छपने जाता है। उसमें त्रुटि हो जाती है। नक्शा बन जाता है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुबारा तहसील में जाता है उसमें तमाम प्रकार के विवाद पैदा हो जाते हैं। चार लट्ठा होना चाहिये था मौके पर छह लट्ठा हो गया। जिसका हिस्सा आगे बढ़ गया वह धारा 41 की कार्यवाही शुरू करता है। पांच प्रतिशत मान्यवर, यह त्रुटि एलाऊ है लेकिन आपके उच्चाधिकारी उसका परीक्षण नहीं करते हैं। लेकिन जब 40-45 प्रतिशत त्रुटि होती है और इससे अधिक त्रुटि हो जाती है उसको गवर्नमेंट को क्वैश कर देना चाहिये। आपको पैसा मिलता है भारत सरकार से आप बता देते हैं कि इतनी चकबन्दी कर ली है उसी हिसाब से आपको वहां से पैसा मिलता है।

आपके ए0सी0ओ0, सी0ओ0 मुकदमों का निपटारा तेजी से करते नहीं हैं, कुछ निर्दिष्ट करके, तब तक पैमाइश भी नहीं करते हैं और पैमाइश करने के पहले धारा-52 की घोषणा कर देते हैं जिससे कि आप भारत सरकार को बता सकें कि हमने इतने बड़े हिस्से के चक निर्माण करा दिये हैं। यह परिपाटी समाप्त होनी चाहिये। बिल्कुल सही ढंग से करना चाहिये। हमें मान्यवर, फार्म 45 दे दिया जाता है जबकि हमारे चक की अभी पैमाइश नहीं है। चकबन्दी प्रक्रिया में 45-क का फार्म है, 45-क का मतलब है कि जब पैमाइश होती है चकबन्दी की, अंतिम समय में आपके पर्यवेक्षक पैमाइश हेतु जाते हैं तो वह लिखते हैं कि इतनी जमीन इतने फिट, इतना लम्बा चौड़ा है, वहां दस्तख्त करके किसान को दे देते हैं। यह चकबन्दी प्रक्रिया में व्यवस्था है। इसका लाभ क्या होता है कि जब दुबारा विवाद होता है तो जिस आदमी के पास वह कागज रहता है वह दिखाता है कि पैमाइश के समय मुझे इतना मिला था। फिर धारा 41 की प्रक्रिया में कोई परेशान नहीं करता। आज फार्म 45-क है नहीं, फार्म छपा ही नहीं है जिसका परिणाम है कि कभी भी पैमाइश के समय यह स्पष्ट नहीं दिया जाता है इससे और विवाद हो जाते हैं। तो मेरा सुझाव है कि चकबन्दी की इस प्रक्रिया को आप इस फार्म को पुनः छपवाने और रेवेन्यू स्टाम्प के माध्यम से चकबन्दी अधिकारियों को निचले स्तर तक पहुंचायें। मान्यवर, आज चकबन्दी विभाग में सी0ओ0 नहीं हैं मुकदमों के फैसले नहीं हो रहे हैं। कभी देखा अपने चकबन्दी का समरी ट्रायल होता है यह ट्रायल सिविल नेचर का नहीं है। यह एक मुकदमा दायर किया जाये तो 25 वर्ष तक सी0ओ0 आफिस में चलता है। हमारे यहां बहुत मुकदमें हैं। जब मैं हाईस्कूल का विद्यार्थी था उस समय के जो मुकदमें थे वह अभी खत्म नहीं हुए हैं। जब दुबारा चुनकर आया तो फिर चकबन्दी प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी पहले ही के चकबन्दी के मुकदमें निस्तारित हुए नहीं तो इसकी क्या हालत होगी ? मान्यवर, पहले यह व्यवस्था थी कि सी0ओ0 नहीं थे आप ए0सी0ओ0 को लगा देते थे, कुछ दिन के लिये दूसरे क्षेत्र के योग्य ए0सी0ओ0 को लगा देते थे वह काम निपटा देता था।

आज हालत क्या है, एक एक चकबन्दी अधिकारी के पास चार-चार तहसीलों का काम है इसलिये वह मुकदमें देख नहीं पाता है। वह मुकदमें देखे या कि चक का निस्तारण करवाये ? इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रक्रिया को अगर आप चालू कर सकें तो पुनः चालू करें। सी0ओ0 की संख्या के बारे में आंकड़े मैं बताना नहीं चाहता हूं वह आपके पास है कि कितनी संख्या कम है, चकबन्दी अधिकारी कितने कम है, आपको उन अधिकारियों की पूर्ति करनी चाहिये।

जब आपके पास अधिकारी नहीं हैं फिर चकबन्दी करवा क्यों रहे हैं ? आपने गजट नोटिफिकेशन कर दिया कि यह गांव करेंगे। 20 साल बाद, आप थोड़े दिन फार्म 5 बंटवाते हैं इस फार्म 5 में एक दिक्कत है जिस समय आप छपवाते हैं उस समय व्यक्ति के पास कितनी जमीन है उसमें रिकार्ड रहता है। परिणाम यह होता है कि जैसे हमारा मौके पर खेत है चार बिस्वा और कागजों में लिखा है 10 बिस्वा तो 6 बिस्वे को कम करने का घटाने का काम होना चाहिये। यही फार्म 5 का मतलब होता है। जब फार्म 5 के मुकदमें की सुनवाई होती है तो ए0सी0ओ0, सी0ओ0 देखता है। तो वह काटता नहीं है। दबाव में पड़कर 10 बिस्वा ही रख देंगे। और जब दूसरे को चक निर्दिष्ट होता है तो वह 6 बिस्वा कम हो जाता है। उसका ओरिजनल खेत तो चला गया परिणाम क्या होता है कि अनावश्यक विवाद होते हैं जो बहुत दिनों तक चलते हैं।

मान्यवर, इसलिये मेरा आग्रह है कि फार्म 5 की कार्यवाही को कड़ाई से पालन कराइये। अगर किसी का नम्बर कम है तो उसके खाते में से उतना खारिज कर दिया जाना चाहिये या अगल-बगल कहीं है तो उसको नाम पर निकालना चाहिये। यह प्रक्रिया चकबन्दी में बन्द हो गई है उसको शुरू करना चाहिये। दूसरा सुझाव है कि यह जो आप पट्टे की जमीन देते हैं, पट्टा होना चाहिये और पट्टे को मेरा आपसे सुझाव है कि गांव में अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन है चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे किसी जाति का हो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। जब कभी पंचायत का चुनाव होता है या कोई चुनाव होता है तो उसके ऊपर जमीन वाले दबाव डालते हैं कि तुम मेरे खेत की मेड़ से नहीं जा सकते, तुम मेरे खेत में शौंच नहीं कर सकते। एक लहसुन के पत्ते के लिये भी भूमिहीन आदमी तरस जाता है। उसकी कितनी दयनीय स्थिति होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि भूमिहीनों का सर्वेक्षण कराइये और सर्वेक्षण कराकर अगर एल0डी0ए0 के लिये आप इतनी जमीन ले सकते हैं तो जो आपकी सीलिंग से निकली जमीन है, ग्राम समाज से निकली जर्मीन है और वन भूमि है, उसको उसमें समायोजित करिये नहीं तो किसी गांव में मान लीजिये 10 भूमिहीन हैं उनको हम नहीं कहते हैं कि आप एक एकड़ जमीन दीजिये, 10 बिश्वा ही जमीन दीजिये लेकिन सार्वजनिक कटौती से निकाल कर अगर उनको भी जमीन दे दीजिये ऐसा न समझिये कि यह नहीं होगा, केरल की सरकार ने ऐसा किया था उसने अपने यहां एक डिसमिल ही जमीन दी है लेकिन अपने यहां गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को जमीन दी है। मेरा आपसे सुझाव है इस पर भी आप विचार करें, वैसे यह दुरूह लगेगा बड़े लोगों को भी कठिनाई होगी क्योंकि उनकी जमीन जायेगी। लेकिन जब चकबन्दी प्रक्रिया करते हैं तो उसमें 10 प्रतिशत तक आप कटौती करते हैं। उसी में से यह भी कटौती एक परसेन्ट 10 के अन्दर ही सही आप इसका नया कानून न बनाइये, यह भूमिहीनों के लिये कटौती करके उनको आवंटित कर दीजिये और एक नया ट्यूबबेल लगाकर उनको दे दीजिये जिससे कि वह भूमिहीन भूस्वामी बनकर गांव में इज्जत के साथ जी सके।

तीसरा निवेदन यह है कि आप पट्टे बनाते हैं, आधे झगड़े पट्टे को लेकर होते हैं हम भी गांव के हैं आप भी गांव के हैं। हम घर बैठे, आपका दबाव गया कि इतना पट्टा करना है, बनाना है, लेखपाल तहसीलदार परेशान हैं कि इतना बनाना है। लेखपाल को बुलाया, प्रधान बेचारा दस्तखत करे न करे, एक प्रस्ताव लिख दिया, कागज में देख लिया जमीन कहां है अब वह जमीन किसी के दरवाजे की है, किसी के पिछवाड़े की है, इसमें किसी का घर बना है यह न देखकर पट्टा कर दिया जाता है। जब पट्टा कर दिया जाता है और पैमाइश का समय आता है तो अनावश्यक लिटिगेशन होते हैं। उसकी भी एक व्यवस्था है कि पहले जमीन खाली कराई जाये और खाली करा करके 115 सी की प्रक्रिया चला करके उसे खाली करा करके तब पट्टा दिया जाय। इसका कहीं पालन नहीं होता है। इसलिये बने बनाये मकान गिराये जाते हैं। बड़ी कठिनाइयां होती हैं इसलिये मेरा सुझाव हे कि आप पट्टा के लिये एक आदेश जारी करें, एक सर्कुलर जारी करवा दीजिए कि पट्टा उसी का होगा तो पैमाइश करके अलग कर दी जाय। तमाम पट्टेदार पाये हैं और हमने खुद पट्टा दिलाया है और ऐसा पट्टा हो गया था सन् 80 का दिलाया और आज तक कब्जा नहीं पाये, बेचारे गरीब आदमी बोर्ड तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लड़ने के लिये हमें अपने पास से पैसा देना पड़ता है। जमीन पर घर है और उस गरीब आदमी को कब्जा नहीं दिला पाता हूं अगर मोटे आदमी आ जाये तो आपके पास आ जायेंगे शासन में उनकी पैठ बन जाती है, कब्जा वह पाते नहीं हैं।

मान्यवर, एक गांव धनुवापुर है। धनुवापुर में 80-25 एकड़ जमीन गरीबों की उसमें अनुसूचित जाति के हैं, मुस्लिम हैं, यादव हैं उनकी जमीन पर उनके पास 45 है धारा 52 है नकल है, उसकी चकबन्दी इसलिये नहीं करने दी कि एक बहुत बड़े आदमी उससे सम्बन्धित हैं, उनके घर के पास था। मैंने बहुत प्रयास किया कि उसकी चकबन्दी हो जाये लेकिन चकबन्दी नहीं हो पाई। और आज तक वह जमीन उनके कब्जे में है। चकबन्दी अधिकारी से कब्जा लिख लिया जब वह कब्जा खारिज हो गया तो इसका मुकदमा चलना चाहिए डी0डी0सी0 के यहां, एस0ओ0सी0 के यहां वह सीधे हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चले आये जिसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं हैं और यहां से एक स्टे प्राप्त कर लिये और वह बेचारे 25 एकड़ जमीन पिछले 25 वर्षों से नहीं जोत पा रहे हैं। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इन मुकदमों में कुछ ऐसी व्यवस्था करिये जिससे गरीबों की जमीन पर कोई दूसरा कब्जा न कर पाये। वसूली के बारे में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वसूली जो आपकी है वह है ही कितना राजस्व। आप दूसरे का ठेके पर वसूलते हैं, बैंक का वसूलते हैं, दूसरे लोगों का वसूलते हैं, 10 प्रतिशत पाते हैं। तो इस वसूली को भी कुछ सरल बनाया जाय। वसूली में होता क्या है कि अगर छोटे किसानों का छोटा सा पम्पिंग सेट है और हमने कर्जा लिया 5 हजार तो 5 हजार के लिये मेरी 5 एकड़ जमीन नीलामी पर चढ़ जाती है। लेकिन यह जो सेल्स टैक्स वाले हैं या जो बड़े लोग हैं, इनका अगर वसूली करना होता है तो इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही आपका अधिकारी भी नहीं कर पाता। वह आपका दोष नहीं है, व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, वह न्यायालय से शरण ले लेते हैं।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रक्रिया में आप कोई सरलतम उपाय निकालिये जिससे कि आसानी से यह हो सके। एक बात और कहकर मान्यवर, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जो यह पट्टा देते हैं आप देते हैं कृषि का और कृषि पट्टे पर अगर कोई घर बनाता है तो विवाद हो जाता है। आपसे मिलकर मैंने अपने क्षेत्र की एक व्यथा बताई थी, सड़क और एक पंडित जी के घर के बीच में 35 फीट जमीन थी गलती से कहीं पट्टा, 8, 4 या 3 धुर का हो गया था एक अनुसूचित जाति का। वह मुकदमा लड़ रहे थे लेखपाल वगैरह ने रिपोर्ट कर दी कि यह पट्टा गलत हो गया इसे निरस्त करना चाहिए। वह एग्रीकल्चर का था वह खेती करता। वह पुलिस द्वारा खड़े होकर, जबरदस्ती दबाव डालकर नपवाया गया और कहा गया कि पंडित जी के दरवाजे तक करो। पुलिस ने बैठकर और आपके राजस्व अधिकारियों ने राजनैतिक दबाव में आकर वहां घर बनवा दिया, दीवाल बनवा दी और पंडित जी अपना घर ताला लगाकर, घर छोड़कर चले गये। आपको स्मरण होगा, मैंने आपसे निवेदन भी किया था आपने कहा भी था कि एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो एग्रीकल्चर के परपज में जब तक उसकी नवैययूत न बदली जाय, तब तक उस पर निर्माण नहीं होना चाहिए, यह व्यवस्था आपको कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है जिससे गांव के विवाद समाप्त हो जायं। यही दो तीन सुझाव हैं, चकबन्दी पर। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में अपनी बात कहते हुए दो तीन सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। मान्यवर, पिछली सरकार के अस्तित्व में आने के पहले 14 वर्षों से कम्प्यूटराइजेशन का काम चल रहा था और जब मुझे राजस्व मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला तो मेरे सामने भी यह चुनौती थी और लोगों ने कहा कि 14 साल से चल रहा है, 14 साल अभी और चलेगा।

मैंने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सबके सहयोग से यह बात कहना चाहता हूं कि वह 14 महीने से भी कम समय में खतौनी का पूरे प्रदेश का कम्प्यूटराइजेशन पूरा हो गया। अब उसके बाद जो स्थिति थी वह हो जानी चाहिए थी। नक्शों का डिजिटलाइजेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आपने स्वयं जब मान्यवर, यहां प्रतिपक्ष में बैठते थे, और राजस्व विभाग पर आपने कटौती का प्रस्ताव रखा था, कार्यवाही मेरे सामने है। आपने स्वयं यह मांग की थी कि यह खतौनी का कम्प्यूटराइजेशन हो गया लेकिन जब तक इसके साथ खसरा और नक्शा यह दोनों का कम्प्यूटराइजेशन नहीं हो जाता है तब तक यह काम पूरा होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी संयोग से यह गति बहुत ही धीमी हो गयी है और यह काम निश्चित रूप से पूरा हो जाना चाहिए था। क्योंकि धन का कोई अभाव नहीं है। धन इसमें पूरा का पूरा इसके मार्डनाइजेशन के लिये भारत सरकार ने दिया हुआ है। हमारे पास उपलब्ध है लेकिन प्रशासनिक निर्णय में कहीं न कहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी कारण से जो यह मामला लटक रहा है यह नहीं होना चाहिए था और अब तक खसरा तो पूरी तरह से कम्प्यूटराइज हो ही जाना चाहिए था। खसरे में तो एक और कठिनाई है अगर आपने समय के अन्दर उसको नहीं किया तो अगले साल फिर पड़ताल होगी, खसरा दूसरा हो जायेगा। वह परमानेंट रिकार्ड है नहीं, इसलिये आप इसकी कोई समय सीमा तय करके 3 महीने, 4 महने की स्वयं इसकी मानीटरिंग करके, मेरा आग्रह होगा कि आप पूरी तरह से जिसमें धन भी इन्वाल्व नहीं है और हमारे प्रदेश की तरक्की का सीधा सीधा रिश्ता है इसलिये नक्शों को डिजिटाइज कराने का काम और खसरे को कम्प्यूटराइज कराने का काम एक निश्चित समयावधि के भीतर पूरा कराने की कृपा करें यह आपके लक्ष्यों में भी शामिल है। दूसरी बात एक और 36 वर्षों से रेवन्यू कोड बिल इस सदन में बार-बार आता रहा 1974 में आया. 77 में आया, 80 में आया, 85 में आया, 89 में आया, फिर उसके बाद नहीं आया लेकिन यह लम्बित था और इतने दिनों से नहीं हो सका। मैनें 36 वर्षों के बाद प्रयास किया, आप सभी लोगों का सहयोग मुझे मिला और मैं यह बात कहना चाहता हूं मा0 जगदीश नारायण जी का नाम ले करके, मा0 हुकुम सिंह जी नहीं हैं, कि प्रतिपक्ष में होते हुए भी उन्होंने और दूसरे अन्य सदस्यों ने सहयोग दिया। इन सभी लोगों ने सकारात्मक सहयोग दे करके उस ऐक्ट को बढ़िया बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया और उस ऐक्ट को औपचारिक विरोध के बावजूद लगभग सर्वसम्मति से इस सदन ने भी और परिषद् ने भी पारित किया। मान्यवर, 14-09-2006 को यहां इंट्रोड्यूज हुआ, 21-09-2006 को यहां से पारित हुआ, 10-10-2006 को पुनः विधान परिषद् से पारित हो गया और 12-10-2006 को विधान परिषद् से यहां प्राप्त हो गया। उसके बाद सचिवालय का काम है, यहां से महामहिम राज्यपाल जी के लिए और महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए चला गया। मा0 मंत्री जी एक वर्ष से चार-पांच महीने ज्यादा हो गये है, एक ऐसा ऐक्ट जिसकी आवश्यकता सभी ने महसूस की थी और जिसमें हजारो धाराओं के स्थान पर 234 धाराओं का एक ऐक्ट और पूरे राजस्व के सभी वादों को निपटाने के लिये एक समर्थ अधिनियम बनाने का काम इसी सदन ने किया वह अगर महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां लम्बित है तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की सेवा करने में मा0 राजस्व मंत्री जी की जो भूमिका होनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि उस भूमिका में कहीं कोई कमी आ रही है। आप यह देखें जो इस सदन ने पास किया है, कानून बनाने का हमारा अधिकार निरर्थक हो जायेगा अगर इस सदन में हम कानून पारित करें और उस कानून को लागू करने के संकल्प से कहीं पीछे हट जाएं तो इससे सदन की सार्थकता समाप्त होने लगेगी। हम आप यहां विधान बनाने के लिये आते हैं इसीलिये विधायक ही कहे जाते हैं। इसलिये मा0 मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर विशेष तौर पर निर्देशित करके, अपने अधिकारियों की टीम लगा करके, कोई कानूनी अड़चन हो तो उसका निराकरण करके कोई पृच्छा हो तो उसका उत्तर भेज करके, कोई आब्जेक्शन हो तो उसका निराकरण करके तत्काल उसको लागू करने के लिये महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति, इन

लोगों की जहां भी सहमति आपको लेनी हो, ले करके और इसको आप लागू कीजिए। चकबन्दी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण की चकबन्दी और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण की चकबन्दी होगी। उसमें एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, सभी सदस्य जानते हैं कि चकबन्दी में मामले लम्बित रह जाते हैं। एक-एक गांव की चकबन्दी जहां पर लम्बित हो गई है वहां 20 साल, 25 साल, 30 साल यानि कि एक पीढ़ी खत्म हो गई है और दूसरी पीढ़ी जवान हो गई है और वह मामला जहां का तहां लटका हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि दूसरी चकबन्दी जिन लोगों पर जा रही है वहां और मिटिगेशन पहले से बढ़ रहा है।

इसलिये चकबन्दी को अनिवार्य न बना करके जहां बहुत ही आवश्यक हो और गांव की आबादी में से 60 फीसदी लोग चकबन्दी चाहते हों उन्हीं गांवों में चकबन्दी करायें, अन्यथा चकबन्दी न करायें। एक बात और कहना चाहता हूं, चकबन्दी का महकमा अलग है और मान्यवर, राजस्व का महकमा तहसील के माध्यम से अलग है। जब गांव में चकबन्दी शुरू हो जाती है, जिस गांव में धारा-4 का नोटीफिकेशन हो गया, अब उसकी खतौनी की एक नकल किसान को नहीं मिल सकती। कुछ दिन चकबन्दी के नीचे के कर्मचारी काम करते हैं दो साल, तीन साल और पूरे गांव को उलझा करके, अपना काम करके स्थानान्तरण करा करके दूर चले जाते हैं। तहसील में जाने पर उसका निराकरण नहीं होता है। इसलिये मेरा सुझाव है, मैं इसको लागू करने वाला था लेकिन अब मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा सुझाव आपके लिये है, आप कीजिये, आपको यश मिलेगा। चकबन्दी और राजस्व के दोनों महकमों को एक कर दीजिये, चकबन्दी करने के लिये एक स्पेशल टीम उसी तहसील से लेखपालों की, नायब तहसीलदार की, कानूनगो की बनाइये। अपनी तहसील से एक टीम जाये चकबन्दी करे और चकबन्दी करके फिर तहसील में आ जाये, रिकार्ड की डुप्लीकेसी नहीं हो कि तुम्हारा गांव चकबन्दी में है और तुम्हारा गांव चकबन्दी से बाहर है। अगर है तो तहसील में आयेगा। हर हालत में राजस्व के मामलों के लिये जिम्मेदार लोग एक ही हों और ऐसा नहीं लगे कि वह किसी दूसरे देश प्रदेश में आ गया है जहां कि अपने ही रिकार्ड को नहीं देख सकता है। इसलिये चकबन्दी के महकमे को जो उसके समकक्ष हो, नायब तहसीलदार के समकक्ष अगर आपका ए0सी0ओ0 है, तहसीलदार के समकक्ष अगर आपका सी0ओ0 है, जो भी आता है उसके समकक्ष उन पदों पर उनका विलयन कर दीजिये, उससे मान्यवर, कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी भी हल हो जायेगी और चकबन्दी के लिये बहुत प्रभावशाली टीम मिल जायेगी, लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिये आप बहुत अच्छा मार्ग अख्तियार करेंगे। यह सुझाव मैं देना चाहता हूं। एक और अनुरोध आपसे करना चाहता हूं कि श्रीमन् नायब तहसीलदार से तहसीलदार होने के लिये जो एक ठहराव था, पिछली सरकार ने उसको दूर किया, आपने उस सिलसिले को जारी रखा। तहसीलदार में डिप्टी कलेक्टर के खाली होने वाले पदों के लिये एक लम्बा ठहराव था बड़ी संख्या में, पिछली सरकार, मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में उनके प्रमोशन्स हुए, आपने उस सिलसिले को कायम रखा, मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन नीचे चकबन्दी की पूरी कड़ी खाली हो

गयी है आज आपके पास नीचे लोग हैं नहीं और चकबन्दी में आपकी स्थिति यह है कि 70 जिलों का उत्तर प्रदेश, 42 चकबन्दी की यूनिटें और आपके पास विभागीय एस0ओ0सी0 मात्र 3 हैं। 70 जिलों के लिये 3 एस0ओ0सी0 कैसे चकबन्दी करेंगे और कैसे चकबन्दी का मामला हल होगा ?

इसलिये मेरा यह कहना है, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सुझाव दे रहा हूं आप तत्काल इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए जो रिक्त पद हैं, उनको भरने का काम करेंगे। कानूनगो के पदों पर तो प्रमोशन जो लेखपाल से अपेक्षित था वह हो गया लेकिन इसके नीचे फिर खाली है, उसके ऊपर फिर खाली है। इसलिये जो बॉटल नेक बना हुआ है, कहीं रास्ता चौड़ा, कहीं बहुत पतला, कहीं फिर चौड़ा, उसको जब एक सार नहीं करेंगे, पूरे तंत्र को पूरी तरह से संतुष्ट कर एक ढर्रे पर नहीं ले आयेंगे तब तक यह मामला हल होने वाला नहीं है। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन पदों पर जो प्रमोशन्स का मामला है उनको तत्काल पूरा करने का काम करें और आप अगर इसको प्राथमिकता पर लेंगे तो इसके अवरोध समाप्त हो जायेंगे। जो इसके अवरोध में थे वे अवरोध समाप्त हो गये हैं। न्यायालयों में जो लम्बित वाद थे उनको हल करने के लिये कदाचित संगठन स्वयं अपने अधिकारियों को तैयार कर चुके हैं कि इनको हल कर दिया जाए। एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और मामला है। राजस्व परिषद् के जिम्मे जितने भी राजस्व थे वह सभी राजस्व, राजस्व परिषद् के माध्यम से आते हैं, मुझे नहीं पता कि इस साल आपने कितना लक्ष्य रखा है लेकिन 55 करोड़ मात्र राजस्व विभाग को अपने राजस्व की प्राप्ति होती है। मान्यवर, 55 करोड़ रुपये के राजस्व के लिये राजस्व परिषद् का क्या तात्पर्य है ? राजस्व परिषद् के थ्रू, अगर आप दो काम कीजिये या तो इस तंत्र का पूरी तरह से रि-स्ट्रक्टचर कीजिये, अगर इसको रखना है तो फिर राजस्व प्राप्ति के जितने भी माध्यम हैं उन सबको आप राजस्व परिषद् के थ्रू कीजिये तब जाकर यह संस्था वास्तव में मजबूत होगी।

आज राजस्व परिषद् के जिम्मे काम क्या है तहसीलदार का स्थानान्तरण, लेखपाल का स्थानान्तरण ? राजस्व परिषद् के मा0 अध्यक्ष जो हमेशा चीफ सेक्रेटरी से भी सीनियर अधिकारी होते हैं, उनका अख्तियार है कि तहसीलदार का स्थानान्तरण, नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण, कानूनगो का स्थानान्तरण और अगर अन्तर्जनपदीय हो, एक जिले से दूसरे जिले में करना हो तो लेखपाल का स्थानान्तरण, यही काम है, इस स्टैब्लिसमेन्ट से कैसे चलेगा ? इसलिये आप इस पर विचार कीजिये और सचमुच इस संस्था को अर्थपूर्ण बनाना है तो इसको सशक्त बनाइये और अगर नहीं बनाना है तो आप इसको विघटित कीजिये, दूसरा स्वरूप बनाइये। इन सुझावों के साथ मैं श्रीमन् पुनः एक अनुरोध करना चाहूंगा जो माननीय सदस्य कटौती रखने वाले हैं अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी हैं, अन्य सदस्य हो भाग लेंगे, जिन बातों को कहा जाता है उसका उत्तर ऐसे मत दीजिये कि पुरानी सरकार ने ये किया और हमने ये किया। हम कहना चाहते हैं कि आपने राहत का उल्लेख किया, मैं बहुत गर्वपूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनरल विज जब उत्तर प्रदेश में आये तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य

हुआ, उत्तर प्रदेश में आने पर कि आपने आपदा प्रबन्धन में ऐसा काम किया है और मैं स्वीकार करता हूं, तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी के सम्मुख, मुख्य मंत्री आवास पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने आपदा प्रबन्धन पर जैसा काम किया है इतना प्रभावी काम पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है इसलिये नहीं कि मैं उस समय राजस्व मंत्री था आज आप हैं, कल कोई दूसरा होगा। सरकारें आती-जाती रहती हैं। लेकिन आपके प्रदेश की उपलब्धि है कि इनको सिर्फ इन बातों में समेट लेना कि आपने यह किया, हमने यह नहीं किया हम यह कह रहे हैं, आपने नहीं किया। इन बातों से यह बात हल होने वाली नहीं है। यह मैं आपसे इसलिये कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबन्धन में इतना बढ़िया काम किया टीन के डिब्बों को जोड़कर ऐसा उपकरण बनाया गया जिसने बहराइच में लोगों को बाढ़ से बचाने का काम किया जिसको आपदा प्रबन्धन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत शानदार ढंग से काम किया। गुजरात में भी जिसका अनुसरण किया गया। मैं चाहता हूं कि आप इस काम को आगे भी शानदार ढंग से करें। इसके बजाय यह न कहें कि आपने यह किया इसलिये हम ऐसा कर रहे हैं आपने 82.3 करोड़ का बजट दिया हमने उसको बढ़ाकर 83.3 करोड़ दिया इस तरह के आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। आंकड़े आलोचना के लिये नहीं होने चाहिये आंकड़े इसलिये होने चाहिये कि उत्तर प्रदेश की 17-18 करोड़ की जनता को संदेश दिया जायेगा, एक विश्वास का वातावरण पैदा किया जायेगा ऐसी पृष्ठभूमि बनाई जाए जिसमें एक साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं पुनः श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि जो मैंने सकारात्मक सुझाव दिये हैं सरकार इन पर गम्भीरता से विचार करेगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में उनको शामिल करने का काम करेगी।

*श्री शेर बहादुर सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको भूरि-भूरि बधाई देता हूं। यह बजट सर्वतोन्मुखी और विकास के पथ पर है। इस समय हर तरफ राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी और सभी अधिकारी अपने दायित्व पर काम कर रहे हैं। गरीबों के लिये इस बजट में गरीबों के लिये यह व्यवस्था है कि उनके ऊपर दैवी आपदा पड़े तो इस बजट से उनको काफी लाभ मिलेगा। यदि किसी भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक लाख रुपये और यदि किसी को भारी चोट लग जाती है तो उसे 50 हजार रुपये दिया जाता है। गरीबों के घर दैवी आपदा से घिर जाते हैं तो हमारे सभी कर्मचारी राजस्व विभाग के अधिकारी उनकी सहायता के लिये तैयार हैं। आग लग जाती है तो हमारी राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी दौड़ते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं सदन के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से मान्यवर, खेतों में चकबन्दी हो गई है उस चकबन्दी से जोत की जमीन के विवाद समाप्त हो गये मेरा एक छोटा सा सुझाव है अगर आबादी की जमीन का बन्दोबस्त हो जाय तो गांव में जो इसके लिये झगड़े होते हैं जिससे गरीब लोग भुक्तभोगी होते हैं मेरा सुझाव है कि आबादी का बन्दोबस्त कराने की व्यवस्था की जाय तो गरीबों को सहयोग मिलेगा। मान्यवर, हमारे यहां इसानपुर में कुछ कर्मचारियों की जमीनें तालाब की जो दर्ज कर दी गई थी दूसरे कुछ लोगों के नाम से उनको दर्ज करने के लिये आदेश देने का कष्ट करें। मंत्री जी ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसे बहन कुमारी मायावती जी सरकार द्वारा बनाया गया सर्वतोन्मुखी विकास कार्य जो चल रहे हैं इसके लिये यह बजट अत्यन्त लाभकारी है। इससे हर तरह का विकास सम्भव है। हर तरह के विकास कार्य हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हम नये सदस्य हैं हम छोटे-छोटे कुछ सुझाव देना चाहते हैं। हमारे सुझाव मंत्री जी नोट कर लें। माननीय मंत्री जी, आपने हमें माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये अवसर दिया, हम आपके हृदय से आभारी हैं। मान्यवर, हम तो नये सदस्य हैं। हम छोटे-छोटे कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी हमारे सुझाव नोट करें और जो भी बन पाये करें। पहली बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मैं अपने जिले की बात करता हूं। हमारा जनपद सिद्धार्थनगर पहाड़ से घिरा हुआ है और कम से कम यहां पर 20 नदियां हैं अगर 10 दिन बारिश हो जाती है तो पूरा जिला बाढ़ से भर जाता है और अगर 10 दिन बारिश नहीं होती है तो सूखे की चपेट में आ जाता है। मान्यवर, हमको जो अनुदान दिया जाता है आपको आश्चर्य होगा कि 2 रुपये प्रति बिसवा के हिसाब से दिया जाता है और अगर किसी किसान के पास 10 बिसवा जमीन है और उसमें से उसने 10 बिसवा बोई है और 5 बिसवा बाढ़ से चला जाता है तो उसको 5 बिसवा के हिसाब से ही पैसा मिलता है। वह अंदाजा लगाते हैं कि 26 रुपया एक हिसाब से बहुत दे दिया एक बिस्वा का यह दे दिया 26 रुपया और आपका 10 बिस्वा गया तो 260 रुपया दे दिया। अगर एक बिस्वा गया तो 26 रुपया दे दिया और अब 26 रुपये का चेक लेने के लिये उसको कई बार तहसील पर चक्कर लगाने पड़ते हैं और बैंक में जाता है और साल खतम हो जाता है। मेरे पास ऐसे ढेर चेक रखे हुए हैं पिछले साल का है अब तक भुगतान नहीं हुआ। तो माननीय मंत्री जी एक मिनिमम सीमा रख दीजिये कि चाहे एक बिस्वा नुकसान हो या चाहे जितना हो कम से कम 500 रुपया देंगे और अधिक 10 बिस्वा के ऊपर कितना अधिक देंगे तो यह बड़ी कृपा होगी और एक सन्देश जायेगा जनता के बीच में कि आपने किसानों के साथ में ऐसा किया जिस तरह से भारत सरकार ने कर्ज माफ कर दिया तो आप भी यह कह दीजिये कि हम यह कृपा कर दे रहे हैं।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं आपसे कि गृह अनुदान जो आप देते हैं या कहीं किसी का मकान अगर जल जाता है वह छोटा है बड़ा है कैसा भी है तो उसको 1500 रुपये देते हैं वह गरीब 1500 रुपये से बांस और छप्पर भी नहीं खरीद सकता है तो वह जो आप गृह अनुदान देते हैं जले हुए का उससे क्या कर सकता है ? इसलिये आप इसको भी बढ़ाने पर विचार करें कि जो मकान जल जाते हैं, दैवीय आपदा से उसके लिये अनुदान कम से कम 10 हजार 15 हजार रुपया जो आप कर सकते हों उस हिसाब से करें तो लगे कि आपको गरीबों के लिये कितनी हमदर्दी है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं । मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब बाढ़ से या बारिश से मकान गिर जाते हैं तो अगर खपरैल या किसी का कच्चा मकान गिर गया या फूस का है तो आपने 1500 दे दिया अगर खपरैल का गिर गया 3/4 मकान तो आपने 2500 रुपये दे दिया और अगर पक्का से पक्का पूरा मकान गिर गया तो आपने 25000 रुपये दे दिया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह धनराशि बहुत पहले ही निश्चित की गई है, पता नहीं किस जमीन की निश्चित की गई है। आज तो खपरैल बनना बन्द हो गया है, पता नहीं किस जमीन की निश्चित की गई है। आज तो खपरैल बनना बन्द हो गया है और अगर किसी का खपरैल मकान गिर जाय तो वह न तो खपरैल मकान बना सकता है और न छप्पर बना सकता है; और बिल्डिंग तो बना ही नहीं सकता है तो मान्यवर, आप कृपा करके इस पर भी गौर करके अपने अधिकारियों के साथ विचार करें। मान्यवर, यह ऐसी स्थिति लाई जाय कि जो गरीब किसान या दूसरे लोग हैं इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो बड़ी कृपा होगी और इनके लिये तय कर दिया जाय कि सीमान्त कृषक हैं, लघु कृषक हैं, गरीब हैं, छप्पर का मकान है तो इसके लिये जरूर से एक नियम बना दिया जाय कि उसको एक इन्दिरा आवास दिया जायेगा। भले ही आप उसे 1500 रुपये न दीजिये लेकिन उस गरीब के लिये ताकीद कर दीजिये कि उसको एक इन्दिरा आवास दिया जायेगा। इससे आपका एक बहुत अच्छा संदेश जायेगा कि एक अच्छा रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ जिस तरीके से बाल विकास मंत्री, इंद्रजीत सरोज ने बहुत अच्छा किया उसी तरीके से आप भी कर दीजिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां क्या करते हैं कि अगर गरीब आदमी का पिता मर गया तो उसके बेटे का जब नामांतरण होने को हुआ तो गांव का कोई बदमाश आदमी दफा 34 में एप्लीकेशन लगा दिया कि यह नहीं यह होगा। अब उसको तहसीलदार ने स्टे दे दिया। बड़े ध्यान से सुनिये माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दफा 34 में उसने एप्लीकेशन लगा दिया कि यह ऐसे नहीं ऐसे न होना चाहिए। मेरा है। इसके बाप ने मुझे ऐसे लिख दिया था। 5 रुपये के कागज पर लिखवा दिया और कर दिया। मैं बहुत दिन तक वकील रहा इसलिये आपको बता रहा हूं। अब उस आदमी को नायब तहसीलदार ने स्टे दे दिया और वह उस स्टे को खारिज कराने के लिये 10 दिन दौड़ा। जब उसने समझा कि खारिज हो जायेगा तो उसने ट्रांसफर एप्लीकेशन कर दिया वह चला गया एस0डी0एम0 के यहां। तीन साल बाद लौट के आया। पूरे प्रदेश में होगा लेकिन मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूं कि एक दफा-34 के मुकदमे 40-40

साल से चल रहे हैं उसका बाप मर गया, बेटा बुड्ढा हो गया और उसके नाती-पोते तैयार हो गये लेकिन आज तक मुकदमा नहीं हुआ। एक और ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां बर्डपुर 9 में एक गरीब आदमी चमार जाति का है बेचारा उसका कोई था नहीं उसने अपनी लड़की को नवासा दे दिया। निवासी बनाके रजिस्ट्री कर दिया और उसमें तीसरे आदमी ने आपत्ति लगा दिया उसमें दोनों आदमी अभी एक महीना जेल से छूट कर आये। कत्ल फौजदारी तक होने की स्थिति है, इस पर कुछ होता नहीं। ऐसे ही दफा 28 में जो नक्शे होते हैं कि साहब हमारे नक्शे में खतौनी में इतनी जमीन थी, नक्शा हमारा घट गया है या बढ़ गया है वह भी बीस-बीस साल चलते हैं। इसी तरह से दफा-41 में जो जमीन की पैमाइश की है यह एक बार उसको पक्का कर दिया जाता है और फिर कोई दरख्वास्त देता है कि नहीं साहब यह तो पत्थर वश गलत हुए हैं और फिर एस0डी0एम0 तलब करे दोबारा उल्टा कर देता है। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं आप इसमें यह करा दें कि तहसील स्तर पर ए0डी0एम0 की अध्यक्षता में एक दम निश्चित कानून बनवा दीजिए कि प्रति तीन महीने में दफा 28 के, दफा 41 के, दफा 34 के इन धाराओं के मुकदमों के निस्तारण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई इसको देखा जाय। दो-चार नायब तहसीलदार, डी0एम0 के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कीजिये जो गरीब से गरीब आदमी को दौड़ाते रहते हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा आपको आश्चर्य होगा एक गरीब आदमी मिट्टू प्रसाद है अपनी जमीन बचाने के लिये उसकी सारी जमीन बिक गयी मोहाने चौराहे पर, मान्यवर, मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि साहब मेरी सारी जमीन गिरवी हो गई है। चालीस साल से मुकदमा लड़ रहा हूं। उसका बेटा बम्बई में कमाते-कमाते, वकील को फीस देते देते मर गया लेकिन आज तक दफा 34 के उसके मुकदमें का निस्तारण नहीं हो पाया। मान्यवर, यह ऐसी चीजें हैं मैं तो नया सदस्य हूं आंकड़ों की बात नहीं कहता लेकिन मैं गरीब की बात कह रहा हूं जो देखने में आ जाता है।

मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं आपकी अनुमति से कि हमारे यहां जब हम छोटे थे देखते थे कि जो खसरा खतौनी है पहले अधिकारी गांव में जाते थे और पूरे अधीनस्थों को बुलाकर मौके पर एक बार गांव के खतौनी का सत्यापन कर लेते थे कि एक्च्युअली क्या है ? उसको 161 में ट्रांसफर कर देते थे अगर कोई आदमी मौके पर नहीं है तो भी 161 में उसको ट्रांसफर कर देते थे। अब ऐसा नहीं होता है। मैं 1985 में, मैं ब्लाक प्रमुख था और कलेक्टर थे हमारे यहां पंकज अग्रवाल मैं जानता हूं वह मेरे साथ जीप चलाकर जाते थे वह पूरे गांव का हिसाब-किताब करते थे। आज न तो ऐसे कलेक्टर हैं न ऐसे अधिकारी हैं आज वह कागज पूर्ति करते हैं वह किसी गांव में जाते हैं तो जेनरेटर मंगा लिया गया उनके लिये सुविधा कर दिया गया। किसी गांव में गये रात का 12.00 बजे गया, दो घंटे चौपाल लगाया, सुबह तक रुके बिना लौट आये। इस पर कड़ाई करिये और साफ कर दीजिए एक एस0डी0एम0, एक ए0डी0एम0 या एक डी0एम0 अपने जनपद के इतने गांव के खसरा खतौनी का अपने अधीनस्थों सहित मौके का

सत्यापन करेगा कि फलां जमीन कहां है कहां नहीं है। पहले के नियम कानून होते थे यह बंद करा दिये गये। इसको आप फिर से शुरू करा दीजिए। यह मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि तहसील दिवसों में अगर 100 प्रार्थना-पत्र आये हैं तो 70 प्रार्थना-पत्र उसमें केवल इस बात के पड़ते हैं कि हमारी चकरोड पर फलाने ने कब्जा कर लिया। चकरोड जोत लिया है, मेंड़ पर आने जाने नहीं दे रहे हैं इन्होंने घूर-गड्ढे पर कब्जा कर लिया है। आने जाने नहीं दे रहे हैं एस0डी0एम0 लिखेगा तहसीलदार को और तहसीलदार लिखेगा कानूनगो को और कानूनगो लिखेगा लेखपाल को, लेखपाल उसको बुलाता है कि तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त पड़ी है इससे झगड़ा शुरू होता है। मान्यवर, इस प्रथा को समाप्त करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, जितने तहसील दिवसों में प्रार्थना-पत्र पड़ते हैं अगर उसका सत्यापन नहीं हुआ तो कार्यवाही की जायेगी। हमारे पड़ोस में हमारे मित्र बैठे हैं इन्होंने कहा कि इनके यहां जो पट्टेदार हैं। उनको कब्जा दिलाने जाते हैं तो उनको इतना आतंकित कर दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

कहीं तो दूसरे तीसरे की जमीन नापकर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमने पट्टा दे दिया। और कहीं-कहीं तो नापते ही नहीं कागज पर लिख देते हैं पट्टा दे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं हाथरस जनपद के तहसील शादाबाद निहावली का मामला है.....

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये। समय समाप्त हो गया है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

माननीय सदस्य का मामला था इसलिये कहा। मान्यवर, हमारे यहां नौगढ़ तहसील 1957 में बनी थी आज उसकी बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई है कि वहां अधिकारी जब बैठते हैं तो ऊपर से छत टूटकर गिरती है। इतनी जर्जर हो गयी है। मैंने एक प्रश्न लगाया था तो उसके उत्तर में कहा गया था कि उसका पुनर्निर्माण करा दिया जायेगा। इसकी बेहद जर्जर स्थिति है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको जरूर करा दिया जाए। एक चीज अन्तिम मैं कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद में सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की, इसके सम्बन्ध में मैं

व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, जो नदियां इधर से उधर कटान करके चली जाती हैं तो उस गांव के लोग जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और नदी कभी काटकर इधर चली आती है तो इधर के लोग कब्जा कर लेते हैं तो इसकी वजह से बहुत झगड़े हर वर्ष होते हैं। मान्यवर, जैसे ही नदी भूमि को काटे, तुरन्त ही मौके पर कानूनगो या तहसीलदार को लेखपाल के साथ भेजकर स्थिति स्पष्ट करा दी जाए कि यह किसकी जमीन है और इसके कारण होने वाले झगड़ों को समाप्त करा दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

*श्री राजा राम त्यागी-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, राजस्व विभाग का सबसे नीचे का जो कर्मचारी है, जिसे आप लेखपाल कहते हैं, गांव में तो उसे कहा जाता है कि इस लेखपाल का लिखा हुआ तो राज्यपाल भी नहीं काटता है। मान्यवर, जो लेखपाल है, इनकी संख्या इतनी कम है कि इनको 5-5, 6-6 गांव दे दिये जाते हैं, गांव के लोग भागते रहते हैं, उसे तहसील से ही मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिये मेरी मांग है कि लेखपालों की संख्या बढ़ाई जाए। बहुत से लेखपालों को कानूनगो बना दिया गया है इस कारण से भी संख्या घट गयी है। बजट में इसके लिये प्राविधान करें और एक लेखपाल के पास केवल एक गांव रहे, जैसे पहले होता था, वैसी ही व्यवस्था करायें। मान्यवर, दूसरी बात है, जो कम्प्यूटर द्वारा खसरा-खतौनी बनती है, पहले वह लेखपाल के माध्यम से दी जाती थी। हमारा आरोप है कि पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से रायबरेली जनपद में जो वहां 6-7 तहसीलें हैं, मैंने जाकर देखा है कि कम्प्यूटर अक्सर खराब रहते हैं और सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर कोई किसान वहां जाता है और अपने नाम की खतौनी मांगता है तो उससे कहा जाता है कि लेखपाल के पास पहले जाकर खसरा-खतौनी के नम्बर लेकर आओ।

मान्यवर, आमतौर से किसान नम्बर नहीं जानता है, ऐसी व्यवस्था हो कि वह अपना नाम बता दे तो उसके खसरा-खतौनी का नम्बर मिल जाना चाहिए। मान्यवर, एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो सुरक्षित जमीनें हैं, चाहे चारागाह की हो, चाहे गली-गलियारे की हो, राजस्व विभाग का उसमें अधिकार होता है लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि दबंगों का सबसे ज्यादा उन पर कब्जा होता है। यदि कोई छोटा आदमी जाकर इस तरह का आरोप लगाता है तो उस पर भी उप जिलाधिकारी या तहसीलदार सुनते नहीं हैं। मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि उप जिलाधिकारी जो तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, आमतौर पर देखने में यह आया है कि प्रशासनिक कार्यों से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती है, वह प्रशासनिक कार्यों के निपटाने में ही लगा रहता है और वाद पेंडिंग पड़े रहते हैं। आप किसी भी तहसील में देख लीजिए, सालों-साल मुकदमें शुरू ही नहीं होते हैं यदि शुरू भी हो गये तो उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। या तो हमारा अधिवक्ता उसको आगे बढ़ाने का काम करता है लेकिन ज्यादातर उप जिलाधिकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशासनिक कार्यों में लगे रहते हैं। इसके लिये एक न्यायिक उप जिलाधिकारी अलग हो और एक प्रशासनिक कार्य के लिये अलग हो, तब कार्य में तेजी आ सकती है। मा0 अध्यक्ष जी जो आपदा होती है, गांवों में अग्निकाण्ड होते हैं, पहले गर्मियों में ज्यादा होते थे लेकिन अब ठण्डक में भी घर जल जाता है। मान्यवर, यदि किसी का घर जल जाता है तो उसे 24 घण्टे के अन्दर कोई मदद मिलनी चाहिए लेकिन मैं रायबरेली जनपद की बात बता रहा हूं, आप रिकार्ड उठाकर देख लें कि कितनी जल्दी सहायता की जाती है।

मैं अपने बछरावां के तिलोई तहसील की बात कहना चाहता हूं, एक पुत्ती लाल पासी है, उसके घर में आग लग जाती है, उसकी एक गाय और 10 बकरियां उस अग्निकाण्ड में मारी गईं, मान्यवर, लेखपाल आया और लिखकर ले गया लेकिन 12 दिन तक कोई उसको सहायता नहीं मिली, मैंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की तो उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को फटकारा लेकिन पता नहीं अभी तक उसको कोई राहत उपलब्ध करायी गयी है या नहीं, मुझे पता नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में। मान्यवर, पूरे प्रदेश ऐसी आपदाओं में जो मानक तय किये हैं अगर ऐसे केसेस में मानक के अनुसार 24 घण्टे में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्यवाही होनी चाहिये। मान्यवर, तहसील दिवसों में होता यह है कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है और जिस दिन डी0एम0, एस0पी0 उसमें होते हैं तो उस दिन तो उन सबका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है इसलिये ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि सारी शिकायतें ली जानी चाहिये अगर उस दिन कोई रह जाये तो अगले हफ्ते या अगले तहसील दिवस में उनकी शिकायतों का पूरा निस्तारण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब बस करिये। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी आप बोलें।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका नहीं लिखा जायेगा। आपका समय समाप्त हो गया है अब बस करिये। अब आप बैठ जाइये।

श्री राजाराम त्यागी-

[x x x]

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैंने राजस्व

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग सम्बन्धी एक प्रश्न कई बार लगाया है, किन्हीं कारणों से इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी। आज माननीय सदस्य ने इस बात की हल्की सी चर्चा अपने कटौती के प्रस्ताव में की। मान्यवर, हमारी स्पष्ट अवधारणा है कि न्याय का क्षेत्र एक स्वायत्त क्षेत्र है भारत के संविधान में शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धान्त लागू है और हम यह मानते हैं कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों को स्वायत्त स्वतंत्र अधिकार दिये जाने चाहिये। हम सब भारतीय संविधान के प्रति और भारतीय संविधान की धारा 50 के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। इसके विपरीत प्रदेश में स्थितियां कुछ दूसरी हैं पहले थीं ऐसा नहीं है। लेकिन जबसे जमींदारी एवूलूशन लेंड रेवन्यू ऐक्ट में 54, 56 और 58 में परिवर्तन किया गया। या जबसे कंसोलीडेशन आफ रूल हेजेटिंग ऐक्ट में परिवर्तन किया गया। वह कार्य जो जुडिशियरी को दिया जाता था जो स्वतंत्र न्यायालयों को दिया जाता था वह कार्य उनसे लेकर स्वामित्व और अधिकार का विषय सीधे राजस्व न्यायालयों और चकबन्दी न्यायालयों को सौंप दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में सरकार को बहुत स्पष्ट आदेश जारी किया था, 13 दिसम्बर, 2006 को और सरकार को आदेशित किया गया था कि यह जो राजस्व और चकबंदी न्यायालय है। उनमें जो लोग न्याय को देने का काम करते हैं। निचले स्तर से उनकी जो मूल शिक्षा है जैसे हम ए0सी0ओ0 नियुक्त करते हैं उनमें से 50 प्रतिशत सीटें हम नीचे से कंसालिडेटर आदि से लाते हैं। उनकी मूल शिक्षा हाईस्कूल होती है या जो हम ए0डी0एम0 के पद तक ले जाते हैं एकदम निचले इकाई से तहसीलदार से या उनसे और नीचे लेखपाल से, उनकी शिक्षा इण्टरमीडिएट होती है। इनमें से किसी की भी योग्यता लॉ नहीं होती और उनमें किसी को विधिक मामलों की जानकारी नहीं होती है। इसलिये यह एक प्रकार की जुडिशियल क्वैरी है।

जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में ढेर सारे झोलाझाप डाक्टर बिना डिग्री के प्रेक्टिस करते हैं वैसे ही यह अधिकारिक रूप से क्वैरी है जिसमें हम ऐसे अधिकारियों को जिन्हें न्याय के सन्दर्भ में जानकारियां नहीं होती हैं हम उन्हें न्यायिक निर्णय देने के अधिकार देते हैं। इसके नाते बहुत सी समस्यायें आती हैं। एक तो यह अधिकारी समय नहीं निकाल पाते दूसरा इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव होते हैं। तीसरा वस्तुतः जो प्रापर्टी ऐक्ट और ढेर सारे पर्सनल लॉ को लेकर के जो विषमताएं होती है इनके पास उनकी जानकारी नहीं होती है और स्वाभाविक रूप से जिसे हम कहते हैं कि न्याय होना ही नहीं चाहिये बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिये। राजस्व कोर्ट में और कंसोलिडेशन कोर्टों में यह स्वाभाविक होता है और अधिकांश मुकदमें जो इन न्यायालयों में जाते हैं वह सरकार के विरुद्ध मुकदमें होते हैं और सरकार का ही एक अधिकारी उन मुकदमों को सरकार बनाम नागरिक के मुकदमों को सुनता है। न्यायिक अवधारणा के तहत किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ मुकदमों को सुनने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने 12 दिसम्बर को एक फैसला दिया। सरकार ने उसके लिये एक अपील दाखिल की। हाईकोर्ट ने उस अपील को सुना और 18 जनवरी को उस अपील को निरस्त कर दिया। मैं

जानना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से, क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा है कि सिविल और ट्रिब्यूनल इन दोनों ही कोर्टों में जितने मुकदमें जाते हैं उनमें से अधिकांशतः का जन्म कहीं न कहीं कंसोलिडेशन और राजस्व कोर्ट के असफल होने से होता है। जो विवाद वहां पैदा होते हैं वहीं से सिविल और ट्रिब्यूनल मुकदमें शुरू होते हैं इसलिये आवश्यक है कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर जब माननीय राजस्व मंत्री जी अपना बयान दें तो इस पर स्थिति स्पष्ट करें। दूसरा चूंकि मैं गोरखपुर का विधायक हूं। माननीय मंत्री जी ने गोरखपुर की बाढ़ का नाम लिया। गोरखपुर में भीषण बाढ़ आई थी आपने यह स्वीकार भी किया। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके रहते व्यवस्था क्या हुई ? हर साल बाढ़ आती है।

जब आपको मालूम था तो आपको उसका पूर्व मूल्यांकन करना चाहिये था। यह काम नहीं हुआ। गांवों को खाली करना चाहिये था, जिन गांवों को खाली नहीं करा सकते थे वहां नाव ले जानी चाहिये थी लेकिन यह नहीं हुआ। जो गांव समाज से कट जायेंगे हमें उन तक भोजन, अनाज, दियासलाई, मोमबत्ती, लाई-चना यह सब पहुंचाना है। एक परिवार को एक हजार रुपया और 10 किलो अनाज और दियासलाई यही अधिकतम दिया गया। इसमें भी पूर्वाग्रही आचरण किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वयं अपनी उपस्थिति में कराया गया। एक गांव है हरकपुरा वहां के लोगों ने एक नाव मांगी, एस0डी0एम0 तक से कहा लेकिन एस0डी0एम0 ने नाव उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने किसी तरह से नाव की व्यवस्था की और 22 लोग डूबकर मर गये। माननीय मुख्य मंत्री जी उस गांव के पास के एक गांव में गई थी तो उस गांव के लोगों को वहां बुलवाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस एस0डी0एम0 के द्वारा नाव न उपलब्ध कराने के विरुद्ध इतने दिन हो गये शासन ने क्या कार्यवाही की। हरकपुरा का गांव नहीं डूबा होता अगर बांध की सुरक्षा के लिये विभाग के अधिकारियों ने पर्याप्त सावधानी रखी होती। वह बांध की सुरक्षा करने के बजाय बांध को छोड़कर चले गये। इसलिये वहां बांध टूटा, आपके संज्ञान में है।

आपने गोरखपुर का जिक्र किया इसलिये मैं चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो बतायें कि गोरखपुर में बाढ़ की क्या स्थिति थी, आपने राहत में कितना व्यय किया, प्रति नागरिक क्या-क्या सुविधायें दीं ? सरकार का क्या व्यय हुआ और अगले वर्ष आने वाली बाढ़ क्योंकि वहां बाढ़ तो आयेगी। अगले वर्ष बाढ़ के लिये आपने क्या पूर्व तैयारियां की हैं, आप हमें बतायेंगे ? मान्यवर, गोरखपुर महानगर में ताल, कुएं और पोखरे बुरी तरह से पाटे गये हैं। मैंने इसी सदन में सवाल लगाया था माननीय मंत्री जी ने उसका अधूरा जवाब दिया। जो पोखरे पाटे गये थे उनकी चर्चा तक नहीं की गई। उन पोखरों के पीछे कई एकड़ जमीन पाट ली गई। उसकी चर्चा तक नहीं की गई। जटाशंकर पोखरा पाट लिया गया उसकी चर्चा तक नहीं की गई, इसके बारे में तथ्यों को छुपा लिया गया, बताया नहीं गया। इसलिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी क्या इस सदन में घोषणा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में जितने कुएं तालाब और पोखरे पाटे गये हैं उनकी

जांच करवायेंगे। उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं कि उन्हें वापस खुदवाया जाये। उन्हें उनकी पूर्व स्थिति में बहाल किया जाये। क्या माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे ? एक बात और कहना चाहता हूं कि भूख की मौते। मान्यवर, किसी की भी सरकार हो कोई स्वीकार नहीं करता कि कोई भूख की मौत हुई है हम लोगों ने गोरखपुर में स्वयं देखा है इन मौतों को। इसी सदन में मैं लेकर आया हूं मालती देवी का केस। सरकार इन मौतों को कैसे परिभाषित करना चाहती है ? मैंने उस समय यह पूछा था कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे ? अगर सरकार ने तय किया कि बनायेंगे नहीं तो बात दूसरी है। अन्यथा परिभाषा बनायी जानी चाहिये इसका कोई तरीका और नियम होना चाहिये कि हर ऐसी मौत, जिसमें ऐसा लगता है कि भूख से हुई है, तो उस प्रक्रिया से गुजरकर जांच का अवसर देकर सिद्ध किया जाना चाहिये कि यह भूख से मौत हुई है। लेकिन आज तक कोई ऐसी परिभाषा नहीं बनाई गई है। आपने मुझे मौका दिया आभारी हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुग्रह नारायण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, राजस्व मंत्री जी का बजट भाषण मैं सुन रहा था उसमें कई चीजें ऐसी सामने आईं जैसे गांव गरीब किसानों की बात कही गई। जो दैवी आपदा में मकान जलते हैं उसकी राशि इतनी न्यूनतम है कि उससे आज के जमाने में कुछ नहीं हो सकता है। यह लग रहा था कि माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ठ और पुराने सदस्य हैं, इनके पास अनुभव है, कुछ अच्छा बतायेंगे। मान्यवर, यह आम बात है कि गांव में खाना बन रहा था, वहां पर फूस के छप्पर होते हैं, हवा चली और जहां खाना बन रहा है वहां पर उसकी लौ से छप्पर ने आग पकड़ ली और घर जलने लगे। आये दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। यह जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया दो तीन चीजें ऐसी हैं जहां अतिवृष्टि होती है, गांव में जानवर चरते हैं नदी के किनारे, तालाब के किनारे चलते हैं, अतिवृष्टि हुई और जानवर उसी में मर गये। जब खबर जाती है तो सरकारी लोग देखने आते हैं और ऐसी घुमाकर रिपोर्ट देते हैं कि गरीब सहायता पाने से वंचित रह जाता है। यह बहुत बुनियादी चीज है। मंत्री जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हो एक शेर कहना चाहूंगा कि- "होठों पर हंसी, अधरों में शिरकन, इन्कार भी है, इकरार भी है, इस वायदे का क्या मतलब समझूं, आसां भी है, दुश्वार भी है।" मान्यवर, एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो तहसीलदारों से काम लिया जाता है, उन्हें चलने के लिये खटारा जीप दी जाती है। एस0डी0एम0 की जीप ठीक है, लेकिन इनके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। दैवी आपदा हो जाती है, कहीं परेशानी हो जाती है, चेक रोड का मामला है तो इन लोगों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह कही गयी कि लेखपालों का इक्जाम लेकर राजस्व निरीक्षक बनायेंगे, लेकिन उनका रिजल्ट आज तक नहीं आउट किया है। जिन्होंने यह इक्जाम दिया उन्हें यह आशा थी कि राजस्व निरीक्षक हो जायेंगे लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया हैं अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि रिजल्ट घोषित किया जाय। मान्यवर, जनपद बलरामपुर के उतरौला में बरसात के दिनों में आवासीय कालोनियों में वाटर लागिंग हो जाती है। वहां पर पानी भर जाता है। जो वकील है, वादकारी हैं वह उस पानी में चलकर आते हैं। इस जलभराव के कारण वहां के आवासों के गिरने की नौबत आ गयी है। किसी का दरवाजा टूट गया, किसी का प्लास्टर बिल्कुल गिर रहा है, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर की उतरौला तहसील की आवासीय कालोनी की दशा बड़ी जर्जर है, उस पर भी ध्यान दीजिए। मान्यवर, तमाम नायब तहसीलदार के पद खाली हैं, कन्सालिडेशन की बात आई, कन्सालिडेशन जो प्रथम चरण का था वह लटका हुआ है और जहां 1956-57-58 में कन्सालिडेशन हो गया, रि-कन्सालिडेशन के बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। रि-कन्सालिडेशन होना चाहिए। क्योंकि दशा बदल गई है, कहीं नहरें बना दी गई हैं, कहीं नई सड़कों का निर्माण हो गया है। तो रि-कन्सालिडेशन के बारे में भी माननीय मंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। मान्यवर, जो दैवीय आपदा की राशि है वह बहुत कम है, सारे सदन के लोग भी इसका समर्थन करेंगे, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, यह जनहित में है। इसी के साथ मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

दो-दो मिनट में आप लोग अपनी बात कह लें क्योंकि अभी और भी कई विषय हैं।

श्री सुन्दर लाल लोधी-

माननीय अध्यक्ष जी, अनुग्रह नारायण जी के कटौती के प्रस्ताव के ऊपर बल देने के लिये आपने हमें जो अवसर दिया उसके लिये हम आपको बधाई देते हैं। वास्तव में हम उन बिन्दुओं को नहीं उठायेंगे जो अन्य माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, जो हमारे माननीय अम्बिका चौधरी जी ने उठाये हैं, यह हमारे नेता हैं। मान्यवर, हम संक्षेप में अपनी बातें रखेंगे कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की 78.22 प्रतिशत जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है और गांव में रह कर कृषि ही कर रही है, परन्तु उनके विवाद गांव के ऊपर ही हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी जिनका कर्तव्य शहर और गांव का है, परन्तु गांव की ओर आंख उठा कर देखें कि इन्हीं के जिम्मे सब सम्पूर्ण कार्य रख दिये गये हैं, चाहे वह वितरण की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी कार्य हो सब कुछ इन्हीं के जिम्मे है। यदि वहां एस0डी0एम0 है तो उसको अगर राजस्व के निबटारे करने चाहिए, वह राजस्व के निबटारे न करके अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। हमारे उन्नाव में, जब हम अपनी बात कहेंगे तो उत्तर प्रदेश भर में वही बात लागू होती है। हमारे यहां उन्नाव की एस0डी0एम0, जो राशन बंटता है, उन राशन की

दुकानों में ही लिप्त रहती हैं चौबीस घण्टे। उन्हीं के पैसे से लूट मची है सम्पूर्ण विभाग की, इसलिये राजस्व के काम न होकर के, यह स्थिति है कि राजस्व का जितना भी कर्मचारी है वह सब इसी में लिप्त रहता है। हम संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। चकबन्दी के मामले में।

मान्यवर, हम संक्षेप में रखना चाह रहे हैं कि 6106 गांवों में माननीय मंत्री जी ने बताया कि चकबन्दी चल रही है और उन 6106 गांवों में चकबन्दी में 4586 ग्राम ऐसे हैं जिनमें 15 वर्षों से पूर्व से चकबन्दी चालू है परन्तु पूर्ति की ओर नहीं हो रही है। वहां पर यह विभाग आपस में फूट डाल कर के हमारे अम्बिका चौधरी जी ने भी अभी संक्षेप में रखा था कि लूट मचाये हुए हैं और जब तक ये चकबन्दी पूर्ति नहीं होती है तब तक यह स्थितियां बड़ी भिन्न होती हैं और अन्त में हम एक बात थोड़ा विस्तार से कहना चाहेंगे जिसके ऊपर हम आपकी अनुमति चाहेंगे कि उसमें दो मिनट के बजाये तीन मिनट का समय दे देंगे। यह वह विषय है कि गजेटियर जो है वह राजस्व विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ब्रिटिश शासन काल से प्रदेश में जिला गजेटियर सब तैयार किये गये थे आज यह सरकार उन गजेटियर को तैयार करने के लिये पुनरीक्षित करने के लिये हर जनपद के ऊपर अग्रणी है। हम उन व्यक्तियों के भी नाम उसमें जोड़ने के लिये आपसे आग्रह करेंगे कि जो व्यक्ति कृषि करते थे, खेती करते थे, और खेती करते-करते उन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया परन्तु वह पिछड़ी जाति के थे, बैकवर्ड थे शायद इसलिये वह इतिहास में नहीं आये। वह इतिहास जिनमें आ जाना चाहिए था परन्तु नहीं आये उन्हीं में एक गांव हमारे क्षेत्र में जनपद उन्नाव में फतेहपुर चौरासी है, यहां अगस्त, 1935 में यहां की आजादी के लिये झण्डे वाले पार्क अमीनाबाद में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था कि यहां पर कोई झण्डा नहीं फहरा सकता है। उस मीटिंग में शहीद गुलाब सिंह लोधी जो फतेहपुर के थे एक किसान थे अपने खेत में हल चला रहे थे, शाम को जब इनको मालूम हुआ कि अंग्रेजों ने ऐसा कहा कि इसमें कोई झण्डा नहीं फहरा सकता है।

मान्यवर, वह रात में ठीक वहां से साथ में ही चले झुरमुठ में वहां पहुंच गये। पार्क में आदेश नहीं था कि मीटिंग कर सकें। इसलिये वह पार्क में अंधेरे में ही पहुंच गये पेड़ पर चढ़कर बैठ गये। 10 बजे मीटिंग प्रारम्भ हुई। उन्होंने पेड़ से ही तिरंगा झण्डा लहराया और उस झण्डे को उसी पनेटी में लगाया और भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय-यह तीन नारे लगाये। अंग्रेजों की फौज ने उन्हें तीन गोलियां मारीं वह वहीं धराशायी हो गये। उनकी लाश पड़ी रही। यह अगस्त, 1935 की बात बता रहा हूं। वहां भगदड़ मच गयी। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में वह व्यक्ति गुमनाम था लोगों को पता नहीं था कि वह व्यक्ति कौन था। वह हूज-हू में आया है। यह अंग्रेजों के समय की बात है। लेकिन वह नाम गजेटियर में नहीं आया है। मैं चाहूंगा कि वह उसमें शामिल हो। मैं मान्यवर, बधाई दूंगा अपनी सरकार को। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस पार्क के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने तिरंगा फहराया था, अमीनाबाद के

पार्क में। उस पार्क का नाम उन्होंने गुलाब सिंह लोधी पार्क रखने का काम किया और जिस पेड़ पर चढ़कर उन्होंने तिरंगा फहराया था वहां पर उनकी एक आदमकद मूर्ति बनाने की घोषणा भी कर दी। मान्यवर, वह मूर्ति बनकर उन्नाव में रखी है। हम माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि यह बहुत बड़ा कार्य है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके अधीनस्थ यह गजेटियर विभाग है। इन जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम उनमें छूट गये हैं उनको आगे जुड़वाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं राजस्व विभाग के बजट पर माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जैसा नाम है निश्चित रूप से वैसे ही यह विभाग भी भारी भरकम है और जनता के साथ इसका सीधा सम्बन्ध है। मान्यवर, 90 प्रतिशत मामले जो तहसील दिवस में जाते हैं वह जमीन सम्बन्धी होते हैं। चाहे वह अतिक्रमण के हों भूमि के कब्जे के हों। लेकिन बावजूद इसके कि वह आदमी दो बार तीन बार जायेगा तहसील दिवस पर जाता है लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। परिणाम यह हो रहा है कि तहसील दिवस पर से जनता का विश्वास धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। मान्यवर, कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम भूमि से सम्बन्धित जो विवाद है उनका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा सके। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है राहत का। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किसान दुर्घटना बीमा योजना में कुछ भी नहीं किया जाता था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल ही गलत है या तो माननीय मंत्री जी ने बताने की कोशिश नहीं की है।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है। बुन्देलखण्ड पर जो राहत आपदा में पैसा दिया है उस पर मैं कह रहा था।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मंत्री जी आप कार्यवाही देख लीजियेगा। यह हो सकता है कि मुझसे सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो। आपने यह कहा था कि किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है उसमें मरने वालों को एक लाख रु0 देने का इंतजाम वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है। मान्यवर, अगस्त, 2004 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में पहले साल में 16 करोड़ रु0 देकर के आईसीसीआई लैम्बार्ड से इंश्योरेंस कराने का काम किया गया था। यह धनराशि 2005 में न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी को दी गयी। यह धनराशि बढ़ाकर आगे भी आईसीसीआई लैम्बार्ड को दी गयी है। यह मैं 2006-07 की बात कर रहा हूं। पैसा 26 करोड़ रु0 कर दिया गया।

मान्यवर, सरकार जो माननीय मुलायम सिंह जी की थी यह योजना पहली बार लागू हुई और बलिया में आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बलिया में एक नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें 42 लोग डूब कर मर गये थे उनकी लाश उठने से पहले एक-एक लाख रुपया सारे मृतकों को राहत के रूप में दिया गया था। मेरे अपने क्षेत्र में चूंकि मेरा इलाका बिहार सीमावर्ती है और बड़ी गंडक नदी के किनारे है। वहां पर नाव दुर्घटना 2-2 बार हुई एक बार में 11 लोग और दूसरी बार में 5-6 लोग मरे थे। उन सारे लोगों को 50-50 हजार रुपये देने का कार्य किया गया है।

इस बार जब बाढ़ आई है हमारे यहां पहली अगस्त, 2007 में एपी तटबंध टूट गया मैंने पहले भी सदन में इस बात को उठाने का काम किया है। मान्यवर, तकरीबन दस हजार परिवार उससे प्रभावित हुए हैं और सदन में मेरे सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है, मैंने यह जानना चाहा था कि वह परिवार कितने दिनों तक बाढ़ से प्रभावित रहे हैं आपने उसमें यह जवाब दिया कि वह परिवार डेढ़ महीने तक प्रभावित रहे। जो इलाका डेढ़ महीने तक बाढ़ से डूबा रहा उस इलाके को आपने दिया क्या। आपने शासनादेश किया 7 जुलाई, 2007 को और उस शासनादेश में आपने कहा कि प्रति वयस्क को 20 रुपया प्रतिदिन और प्रति अवयस्क को 15 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जायेगा और यह व्यवस्था 15 दिन के लिये होगी। एक परिवार अगर 2 वयस्क और 2 अवयस्क हों, 4 लोगों का परिवार, जब कि उसमें ऐसा नहीं था कि 4 लोगों का बल्कि परिवार की संख्या के आधार पर आपने यह एक अच्छा शासनादेश किया था लेकिन आपके अधिकारियों ने किया क्या उन्होंने मात्र 20 किलो चावल, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 3 किलो आलू और एक 3-4 मीटर की प्लास्टिक और उसके बाद से 446 रुपये का चेक, वह भी 446 रुपये का एकाउन्टपेयी चेक आप जरा हिसाब लगा लीजिए कितना रुपया होता है, 20 किलो चावल का दाम कितना हो गया 200 रुपया आलू का दाम कितना हो गया और मिट्टी के तेल का कितना हो गया 30 प्लस 20 बमुश्किल से ढाई सौ रुपया हुआ और उसके बाद 446 का एकाउन्टपेयी चेक मिला। वह गरीब आदमी बाढ़ प्रभावित गरीब आदमी जब मैं गांव में जाता था तो कहता था कि इसका क्या करें साहब। 500 रुपया बैंक वाला मांग रहा है एकाउन्ट खोलने के लिये। जिलाधिकारी से मेरी बात हुई कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई। उन लोगों ने कहा कि 25 रुपये में एकाउन्ट खुलेगा। लेकिन किसी बैंक वाले ने उसको नहीं माना।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दो बज रहे हैं और अभी कई विभागों के और अनुदान मांग है। तो इसलिये मेरा आपसे साग्रह निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखें। आज शनिवार भी है।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, शनिवार को अगर विधान सभा बुलायी गयी है इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी विधायक हालीडे मूड में हैं। हम यह मानकर आये हैं कि शनिवार हमारा एक स्पेशल वर्किंग डे है।

5-10 लोग अगर हैं तो बिना चर्चा के बजट पास करा दीजिए इस पर चर्चा कराने की क्या जरूरत है। वह पास तो हो ही जाना है, हमारे कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है।

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर भाषण देंगे तो तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपका शासनादेश हुआ था, उस शासनादेश के हिसाब से अगर वह परिवार और वह पीड़ित लोग, इतने समय तक डेढ़ महीने के हिसाब से, जो तीन बार राहत के अधिकारी थे, जो भी आपकी राहत है, वह क्या उन्हें दिलवाने का काम आप करेंगे ? इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा इलाका आग से प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है, झोपड़ी के मकानात हैं, जहां आग लग रही है। पूर्ववर्ती सरकार में यह बाध्यता थी कि 72 घण्टे के अन्दर उसको अहेतुक सहायता दे दी जायेगी लेकिन वह बाध्यता वर्तमान सरकार में नहीं है और इसलिये हफ्तों उनको राहत नहीं मिल पा रही है। दूसरा मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी पहले यह व्यवस्था थी कि बाढ़ की कटान से जो प्रभावित होता था और आग से जो प्रभावित होता था उसको प्राथमिकता के आधार पर इन्दिरा आवास दिये जाने का काम किया जाता था तो यह दैवी आपदा से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इन्दिरा आवास देने का भी कार्य करेंगे। अन्त में जैसा मा0 डा0 आर0एम0डी0 अग्रवाल साहब ने कहा है, भूख से मौत की बात बराबर यहां आया करती है और मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि जब कहीं किसी इलाके में गरीब, कमजोर, मुसहर जाति का या ऐसा कोई मर जाता है तो उसके ऊपर राजनीति की जाती है। सरकार कम से कम स्पष्ट कर दे कि भूख से मौत प्रमाणित करने का पैमाना क्या है, उसके आधार क्या हैं, उसके मानक क्या हैं जिससे कि उसके ऊपर बार-बार यह बातें आती हैं कि भूख से मौत हुई है, और मौत अगर होती है तो निश्चित तौर पर उसका परीक्षण कराया जाय जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मौत आखिर किस वजह से हुई। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा जनपद पुराना फर्रुखाबाद था, और उसका विभाजन होकर जनपद कन्नौज बना कई वर्ष पहले चकबन्दी विभाग का जहां अन्तिम अभिलेख बनता है, उसमें आग लग गयी थी और मैं समझता हूं कि 50 ग्रामसभाओं से ज्यादा के अभिलेख बिल्कुल नष्ट हो गये, इसको हुए 15 साल से भी ज्यादा समय बीत गया होगा और जिनका अन्तिम अभिलेख में चक परिवर्तन हो गया था, उसका कोई रिकार्ड

बनना शुरू नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवदेन करना चाहता हूं, यहां राजस्व विभाग के अधिकारी भी बैठे होंगे तो कन्नौज जनपद में और फर्रुखाबाद जनपद में जो रिकार्ड जलकर नष्ट हो गया है उसको दुबारा बनाने की कार्यवाही बजट में सम्मिलित कर लें, पुनः मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका हार्दिक धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-लखीमपुर के ग्राम मकसोहा के कर्बला पर कुछ अराजक तत्व, साम्प्रदायिक तत्व कब्जा कर रहे हैं। इसी तरीके से गोबरहा गांव जो है, लखीमपुर में, वहां के कर्बला पर कुछ अराजक तत्व रास्ता बन्द कर दिये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने कर्बला और कब्रिस्तान हैं, उनकी पैमाइश करा करके उन समितियों के होल्ड कर दें जो देखने वाले हैं उसके। जगह-जगह इसके लिये पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस अनावश्यक हस्तक्षेप करती है और पुलिस जबरदस्ती कर्बला और कब्रिस्तान पर कब्जा करा रही है जिससे जंगह-जगह साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो रहा है साथ में यह बताना चाहता हूं कि राजस्व की वसूली संग्रह अमीन करते हैं, संग्रह अमीनों की बहुत कमी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में है। इसी तरह जो लेखपाल हैं, इनकी भी बहुत बड़ी कमी है, एक-एक लेखपाल के पास तीन-तीन ग्राम पंचायतें हैं कैसे काम करेंगे ? लखीमपुर जनपद में गोलागोकर्णनाथ तहसील है और वहां पर एक गांव है मूसेपुर खुर्द, वहां की जितनी जमीन है, मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि नोट कर लें। वह जमीन बाढ़ में कट जाती है और जब नदी छोड़ देती है तो फिर आ जाती है, वहां कोई सीमांकन नहीं है, इस गांव में चकबन्दी करा दें और इस गांव में एक जमीन रफी अहमद ने नीलामी में खरीदी थी, उस पर अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है। मा0 मुख्य मंत्री जी के यहां से आदेश गया था उसके बाद भी कब्जा नहीं दिलाया गया। यही दो-तीन सुझाव मा0 मंत्री जी को देने थे, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। मान्यवर, यह राजस्व का मामला तहसीलों से जुड़ा हुआ है और तहसील से जुड़ा होने के कारण सभी गरीब, मजदूर और किसान अधिक तरह से इसमें शामिल रहते हैं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में स्थित है और गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत बहुत सारी गंगा के किनारे की जमीन खादर के रूप में बहुत ही अजीब तरीके से माफियाओं के कब्जे में है। मैंने कई बार सूचना के माध्यम से यह जानकारी देनी चाही लेकिन उसका कोई सार्थक जवाब नहीं आया। मान्यवर, इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट की चर्चा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो गढ़मुक्तेश्वर में खादर की जमीन पर माफियाओं का कब्जा है हजारों हेक्टेयर पर, उसे मुक्त कराने का मा0 मंत्री जी आदेश करें। दूसरी बात दो बड़ी-बड़ी झीलें ग्राम-होशियारपुर और कोथला नामक झील कई सौ हेक्टेयर की झील है और दूसरी कल्याणपुर गांव में भी बड़ी झील है और इन झीलों के पट्टे काट दिये गये हैं और पट्टे काटने के बाद माफियाओं के द्वारा उनका रिकार्ड गायब कर दिया गया। रिकार्ड गायब होने के बाद फिर अधिकारियों से मिल करके उसे बनाया गया और वह भूमि बेच दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वह झीलों की जमीन आज तक खाली नहीं हो पायी है, अगर इसे आप खाली करायेंगे तो बहुत बड़ी जमीन सरकार के कब्जे में आयेगी। मान्यवर, कई बार क्षेत्र में बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंटल भी और दूसरी तरह की भी उसमें जिलाधिकारी कुछ सहायता दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी के विवेकाधीन कोष को यदि बढ़ा दिया जाय तो उससे गरीबों असहायों को कुछ राहत मिल सकती है।

दैवीय आपदा के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि गंगा के किनारे मेरा क्षेत्र बसा हुआ है, वहां पर काकाटेर की मड़इया के नाम से कई छोटे-छोटे मड़इया टाइप के बसे हुए हैं। वह कई बार गंगा के किनारे होने के कारण गंगा की धारा में बह गये लेकिन आज तक उनको स्थायी जगह या मकान मुहैया नहीं हो सका है। कुम्हारीकला के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने गरीब कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भूमि आवंटन का काम किया है। उसी तरह से कुम्हारीकला के लिए भी किया जाता रहा है। कुम्हारीकला के लिए एक गांव लिसड़ी है, सिंधावली ब्लाक के अन्दर आता है उसमें प्रजापति समाज के लिए जमीन आवंटित की गई थी लेकिन उन्हें आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है। मैं सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति को भूमि आवंटन किया जाता है चाहे आबादी की हो, चाहे कृषि की हो, विकलांग को उस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसी तरह से जो गरीब और कमजोर हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं उनके लिए जो कृषि की जमीन और आबादी की जमीन उस तरह से नहीं दी जा रही है। मान्यवर, इन सारी चीजों की ओर मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार कंसल-

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का आपने अवसर दिया, मैं अध्यक्ष जी, दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट में कोई सुझाव हो या क्षेत्र की समस्या हो उसको कह लीजिए।

श्री अशोक कुमार कंसल-

मान्यवर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से चुनकर आया हूं। जैसा कि दैवी आपदा के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं, लगभग 3 वर्षों से उस क्षेत्र में बारिश न

होने के कारण वहां पर सूखे जैसी स्थिति आ गयी है। इस वर्ष पाला अधिक पड़ने की वजह से फसलें चाहे गेहूं की या गन्ने की हों या इस समय आने वाली आम की फसल हो, पूरी तरह से नष्ट हो गयी है। माननीय मंत्री जी ने दैवी आपदा के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था नहीं की है तो मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि किसानों की दुर्घटना में हुई मौत के लिए जो 1 लाख रुपये का इस योजना का प्रस्ताव रखा गया है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं और आशा भी रखता हूं कि जिस प्रकार से पूर्व की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की बीमा योजना देने का प्रस्ताव किया था और पिछली सरकार मुलायम सिंह जी ने उसे बढ़ाकर 2 लाख से 4 लाख कर दिया था तो माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान देंगे कि 1 लाख रुपये की धनराशि बहुत कम है इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये, आपकी बात आ गयी। इस बजट पर तीन घण्टे से ऊपर का समय हो गया है, अब इसको पास कराने दीजिए। अब माननीय मंत्री जी को बुला रहा हूं।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी के खड़े होने पर)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अब मंत्री जी का उत्तर भाषण हो जाने दीजिए, अगले बजट में बोल लीजियेगा।

* श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल आधे मिनट की अनुमति दे दें क्षेत्र की एक समस्या यहां पर रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, क्षेत्र की समस्या रख लीजिए।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र बरनावां जनपद बागपत में चकबन्दी प्रक्रिया बहुत सारे गांवों में चल रही है और जिस नाम से मेरी विधान सभा क्षेत्र बरनावां है उसकी चकबन्दी 20 वर्षों से लगातार चल रही है। 20 वर्ष हो गये, चकबन्दी नहीं हो पा रही है, 5 गांव और भी हैं जहां पिछले 10 वर्षों से चकबन्दी चल रही है। दहा, मवई, टीकरी, निरपुड़ा आदि गांव हैं इनमें पिछले 20 वर्षों से चकबन्दी शुरू हुई थी लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। 1953 में चौधरी चरण सिंह जी ने जब चकबन्दी कानून बनाया था तो किसानों में खुशी थी कि इससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा और जो किसानों की जमीनें थोड़ी-थोड़ी कई-कई जगह हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया जायेगा। यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चकबन्दी कानून 1954 में लागू हुआ तो किसानों को खुशी हुई लेकिन अब किसान चकबन्दी के नाम से डरने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस उम्मीद के साथ कि ऐसी कोई व्यवस्था बनायें जिससे अगले बजट में इस समस्या को न उठाना पड़े, अगले बजट तक इसको पूरा कराने का काम करें। इसी के साथ आपने मौका दिया, पुनः आभार प्रकट करता हूं।

श्री फागू चौहान-

अनुग्रह नारायण सिंह जी ने जो हमारे पुराने मित्र हैं बड़े ही क्रांतिकारी साथी हैं। इलाहाबाद के स्टेट लैण्ड और नजूल लैण्ड के बारे में हमेशा किन्हीं न किन्हीं नियमों के तहत प्रश्न उठाते रहते हैं। उन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पूरा का पूरा समय इलाहाबाद के बारे में दिया उन्होंने जो इलाहाबाद का मामला उठाया उसकी कई जांचें हुई हैं, तमाम रिपोर्ट आई है अगर इनको पढ़ूंगा तो समय लगेगा अगर वह चाहें तो उनको भिजवा दूं। जहां तक उन्होंने जांच की बात कही जांच करवा दूंगा उन्होंने कहा कि वीर बहादुर सिंह के समय आश्वासन दिया गया था हम भी कह रहे हैं कि जांच करवा देंगे।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

गागर में सागर भर दीजिए।

श्री फागू चौहान-

अनिल चौधरी ने कहा कि किसानों की जमीनें जो पूंजीपतियों को दी जाती हैं उसकी वसूली कराई जाय जो जमीन मार्गेज होगी उसी पर वसूली किया जायेगा जो किसान अपनी जमीन मार्गेज रखता है उसमें विभाग कैसे वसूली करेगा। अम्बिका चौधरी चले गये उन्होंने एस0ओ0सी0 के बारे में कहा उनके समय में 3 एस0ओ0सी0 थे हमने डी0पी0सी0 बिठाकर 28 एस0ओ0सी0 बना दिये हैं उत्तर सुनने के पहले ही वह चले गये। मान्यवर, उन्होंने एक प्रश्न किया कि आपकी तमाम जगहें खाली हैं मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है कि भर्तियों पर लगी रोक हटा दी गई है। मैं अनुग्रह नारायण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

हर बार गले की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इस बजट को हमारे साथी माननीय फागू चौहान जी ने रखा और इस पर हमारे द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर मा0 अम्बिका चौधरी, मा0 माता प्रसाद पाण्डेय, मा0 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 अनिल चौधरी, मा0 ईश्वर चन्द्र शुक्ला, मा0 डा0 पी0 के0 राय व अन्य सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये राजस्व विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और चौहान साहब का दिल बहुत बड़ा है। जो सुझाव दिये गये हैं उन पर वह सकारात्मक उत्तर देंगे। उनकी अपनी

मजबूरी है लेकिन मैंने जो सवाल उठाये वह केवल इलाहाबाद से ही सम्बन्धित नहीं हैं पूरे प्रदेश में इस प्रकार के भूखण्डों में गड़बड़ी हो रही है। चौहान जी ने अभी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था जी हां फ्रीहोल्ड करायेंगे जो आश्वासन बन गया है। तमाम सुझाव आये हैं। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। वह उस शक्ति का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही करायें। माफ करियेगा मेरे पास एक सूत जमीन न नजूल की है न गवर्नमेंट इस्टेट की है। हम तो उन तमाम गरीब लोगों के हित की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती वापस ले रहे हैं ? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

चूंकि माननीय मंत्री जी अपनी मजबूरी के कारण जानबूझ कर सकारात्मक उत्तर नहीं दे पाये हैं इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,71,63,94,0000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,28,72,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,71,48,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

*भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,22,07,58,000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहने पर कि मान्यवर, इस पर कटौती का प्रस्ताव कोई नहीं रख रहा है)

श्री अध्यक्ष-

इस पर राम किशुन यादव जी कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं, थोड़ा ही कहेंगे।

श्री अशोक कुमार दोहरे-

मान्यवर, सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्में संत और गुरुओं एवं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आज इस मौके पर बड़े आदर के साथ उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहिन कुमारी मायावती जी का सादर आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के लिये चुन कर आया हूं और पहली बार मैं सदन में अपनी बात रख रहा हूं अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो जाय तो मैं आपके माध्यम से माफी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसकी 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है सभी जानते हैं कि अगर गांव खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा। अगर प्रदेश खुशहाल होगा तो देश प्रगति करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में पूरे समय बैठता हूं और मैं देखता हूं कि हमारे सभी विपक्ष के साथी किसानों की समस्या के ऊपर अपने विचार रखते हैं। मजदूर के ऊपर अपने विचार रखते हैं। मैं उन माननीय सदस्यों से सीखता हूं। मैं जानना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी का तीन वर्ष का कार्यकाल रहा। तो गैर ब0स0पा0 ने जो शासन किया है वह भी किसी से छिपा नहीं है लेकिन कांग्रेस ने सबसे लम्बे समय तक शासन किया।

(कई सदस्यों द्वारा बजट पर बोले-कहे जाने पर)

श्री अशोक कुमार दोहरे-

बजट पर भी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें।

श्री अशोक कुमार दोहरे-

मा0 अध्यक्ष जी, पहली बार खड़ा हुआ हूं आपका संरक्षण चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने सबसे लम्बे समय तक शासन किया। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को गरीब मजदूरों को लाली पॉप दिलाने का काम किया है। इनको गुमराह करने का काम किया है। इतने लम्बे समय के बाद भी किसानों और मजदूरों की समस्या का ध्यान नहीं रखा गया इसके बाद भा0ज0पा0 ने शासन किया। भा0ज0पा0 के लोग तो बहुत महान हैं वह इसलिये महान हैं कि जिनको वह आराध्य मानते हैं उनको भी उन्होंने लालीपॉप दिखाने का काम किया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं हां इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता जागरूक थी उसने सबको देखा समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकाल को भी देखा। समाजवाद के नारे को देने वाली समाजवादी पार्टी का बजट सिर्फ प्रदेश की जनता को गुण्डा गर्दी, माफियागर्दी और अराजकता के माहौल में ढकेलने का काम किया। प्रदेश की जनता जागरूक है।

श्री अध्यक्ष-

बजट की रूपरेखा प्रस्तुत करें।

श्री अशोक कुमार दोहरे-

मान्यवर, मैं पहली बार जीतकर आया हूं हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए, तो इस बार प्रदेश की जनता ने विरोधी पार्टियों को लालीपॉप दिखा दिया। अब मैं बजट के बारे में विचार रखना

3-समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0डी0पी0) के अन्तर्गत भूमि सरक्षण, जल संसाधन, वनीकरण/उद्यानीकरण, सामुदायिक संगठन एवं प्रशिक्षण आदि कार्य कराकर भूमि का उपचार किया जाता है। यह कार्यक्रम 47 जनपदों के 132 विकास खण्डों में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2008 तक रु0 39.35 करोड़ (रुपया उन्तालिस करोड़ पैंतीस लाख) व्यय कर 65,923 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित कर 29.82 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। वर्ष 2008-09 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल रु0 675.00 लाख (रुपया छः करोड़ पचहत्तर लाख) का आय-व्ययक प्राविधानित है जिसमें से रु0 85.00 लाख (रुपया पच्यासी लाख) का अनुदान संख्या-83 (स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान) के अन्तर्गत प्राविधानित है। वर्ष 2008-09 में 1,40,000 हेक्टेयर समस्याग्रस्त क्षेत्र उपचारित करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

डी0पी0ए0पी0/आई0डब्ल्यू0डी0पी0 योजनान्तर्गत योजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर इन दोनों कार्यक्रमों के निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। इन दोनों योजनाओं के जल संग्रहण क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर के सुधार के साथ-साथ खाद्यान्न एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुयी है। प्रचलित मजदूरी दरों में शासन द्वारा वृद्धि के फलस्वरूप क्षेत्र के गरीब एवं कमजोर वर्गों के श्रमिकों का दूसरे क्षेत्रों में पलायन रुका है साथ ही बेरोजगार पुरुष एवं महिलायें रोजगारपरक क्रिया-कलापों की ओर उन्मुख हुए है। इन दोनों योजनाओं के क्षेत्रों के अन्तर्गत हरियाली में वृद्धि एवं पर्यावरण सन्तुलन में सुधार हुआ है।

सूखा प्रभावित जनपदों में इस विभाग के माध्यम से समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम जनपद जालौन, बांदा, मिर्जापुर व सोनभद्र, सूखा बाहुल क्षेत्र कार्यक्रम समस्त नौ जनपदों में तथा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जनपद ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा तथा मिर्जापुर में विभागीय बजट से संचालित है। वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु तीनों कार्यक्रमों के संचालन हेतु रु0 57.94 करोड़ (रुपया सत्तावन करोड़ चौरानवे लाख) की धनराशि उपलब्ध थी तथा जिसके सापेक्ष जनवरी, 2008 तक रु0 22.53 करोड़ (रुपया बाईस करोड़ तिरपन लाख) व्यय कर 33,357 हे0 समस्यागस्त क्षेत्र को विकास कार्यों से आच्छादित कर 13.30 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मंत्री जी का बजट भाषण पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अशोक कुमार दोहरे-

मान्यवर, मैंने अपने विभाग के कुछ कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी दी। अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस बजट को पास कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

* श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग का वित्त ज्यादातर भारत सरकार से प्राप्त होता है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में मुख्य रूप से काम किया जाता है। एक तो जल का उसका उपयोग करना। तो मान्यवर, जो हमारी बड़ी जल नदियों, नहरों की प्रणाली है उन नहरों से निकलने वाले कोलावों को पक्का करके उस पानी का उपयोग करके खेतों की पैदावार बढ़ाना। मान्यवर, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में श्रम के मानव दिवस आयोजित कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या बतायी है लेकिन यह हकीकत से दूर है। मान्यवर, जितने पक्के कोलावे इस विभाग द्वारा बनाये जा रहे हैं उनका मानक गुणवत्ता बहुत खराब है और अगर वह 1 किमी0, 500 मी0 में कार्य कराया गया तो उसका 2 हिस्सा कच्चा और एक हिस्सा पक्का बनाया जाता है। मान्यवर, ज्यादातर लोग आजकल ट्रैक्टर से खेती करते हैं। मान्यवर, 5 इंच कोलावे की जुड़ाई 1-12 के मसाले से कर रहे हैं। तो वह सारे पक्के कोलावे एक ही साल में ध्वस्त हो जा रहे हैं। मान्यवर, अगर एक बार ट्रैक्टर उस पर से गुजर गया तो वह सारे के सारे पक्के कोलावे को ध्वस्त कर देता है। इस प्रकार से वह ध्वस्त हो रहे हैं।

दूसरी बात मान्यवर, हमारे क्षेत्र में नारायणपुर पम्प कैनाल के अन्तर्गत यह कार्य हुए हैं और आपकी सरकार में तो इसका कोई मतलब नहीं है। सारी राशि अधिकारियों, कर्मचारियों की जेब में जा रही है। इससे कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बंजर भूमि के बारे में आपने कहा। आपने कितने हे0/एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाने का काम किया ? मान्यवर, हमारी सरकार में भूमि सेना का गठन इसी उद्देश्य से हुआ था। ऐसी जमीनों को हम गरीबों, दलितों, पिछड़ों को मुहैया कराकर उनसे मेड़ बनवाकर उनको मालिकाना हक देकर उनको जमीन देने का काम करेंगे। इससे एक तो पैदावार बढ़ती और जो भूमिहीन हैं उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ाने का काम होता लेकिन इस सरकार ने उस काम को बन्द कर दिया।

मान्यवर, सूखे के बारे में बुन्देलखण्ड के बारे में काफी कुछ कहा गया। मान्यवर, यह सूखे के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, इनकी पोल खुल गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सोनभद्र, मिर्जापुर को आपने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। आपके वहां के चंदौली के विधायक हैं। आज सोनभद्र, मिर्जापुर को सूखाग्रस्त घोषित करके वहां भूमि विकास, कृषि विभाग भी विकास कार्य करने के कार्य कर रहा है। आपने योजना बतायी है। लेकिन आपने नवगढ़ जो कि बार्डर का नक्सल प्रभावित, सूखा प्रभावित एरिया है उसको आपने सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया। जो सूखे से प्रभावित एरिया है, नक्सल प्रभावित है वहां बरसात हो गयी नवगढ़ में, सोनभद्र और मिर्जापुर में बरसात नहीं हुयी। यहां बरसात

---

* वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुयी हो और वहां बरसात न हुयी हो। यह आपके विभाग के अधिकारियों की एक अजीब सी रिपोर्ट देने की मंशा को जाहिर करता है। तो मेरा निवेदन है कि नवगढ़ को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाये जहां के आदिवासी हैं, गरीब हैं, कोल हैं और जब सूखे की स्थिति बिगड़ेगी तो पानी का सवाल होगा तो वहां पर हालत बड़ी गम्भीर होगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, लाली पाप की बात कही गयी, एक कहावत है देहात में, थोड़ी कड़वी लग जायेगी-चोर सेंध में विरहा गावे। "यह चोरी कर रहे हैं विभाग के बजटों की, यह "विरहा गा रहे हैं और नारा क्या बता रहे हैं-"सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय" का।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्तर प्रतिशत, पचहत्तर प्रतिशत बजट की स्वीकृतियां नहीं जारी हुई हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है। मान्यवर, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने जल के सवाल पर चिन्ता व्यक्त की है। अगर हम जल को बचायेंगे नहीं, जल का संचय नहीं करेंगे, तालाब नहीं बनायेंगे तो भविष्य में क्या होगा ? मान्यवर, डॉ0 अम्बेडकर जी ने तालाब के सवाल पर, पानी के सवाल पर सत्याग्रह किया था तो उसका आधार बनाकर आपने कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण करने का काम किया यह मैं पूछना चाहता हूं। आपने एक भी तालाब का सौंदर्यीकरण किया ? यदि एक का भी नाम आपको पता है तो बतायें। सत्ता तो आपके पास ही है, लेकिन बड़े-बड़े ईंटों और पत्थरों से आपको मोहब्बत है और डॉ0 अम्बेडकर जी के नाम को, उनके प्रथम सत्याग्रह को यादगार बनाने के लिए कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया। यह केवल जो दलित के महान पुरुष हैं, उनके विचारों को वोट की राजनीति में लाने का काम करते रहे हैं। इनके नाम से कोई ऐसी योजना नहीं चलाना चाहते हैं जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके। पैसा तो आपके पास है नहीं। भारत सरकार आपको पैसा दे रही है। भारत सरकार से तालाबों के निर्माण के लिए पैसा मिल रहा है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने चिन्ता व्यक्त की है कि 2050 तक हिन्दुस्तान में पानी के लिए गम्भीर संकट पैदा हो जायेगा और उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बचेगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पानी की निकासी भी होनी चाहिए। हमारे बहुत से खेत परती पड़े हैं उसमें पैदावार नहीं होती है। खेतों में जल जमा हो जाता है, पानी की निकासी के लिए कोई योजना नहीं है। खास तौर से पूर्वांचल के जिलों में यह समस्या ज्यादा है लेकिन उसकी निकासी के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा बैठे-बैठे टिप्पणी करने पर)

आप लोग कटौती के प्रस्ताव पर सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप एक ही हमारा सुझाव मान लें हर ब्लाक में एक तालाब सुन्दर बना दें तो हम अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे। आप एक सुझाव अगर मान लीजिए, एक तालाब 25 लाख, 30 लाख की लागत में बहुत सुन्दर बन सकता है उस पर बाउण्ड्री भी लगा दीजिए, उस पर वृक्ष भी लगा दीजिए और फिर कहिये इस सदन में तो हम लोग कटौती पर भी विचार कर लेते, लेकिन आप कोई काम नहीं करते हैं। आपके पास सर्वजन हिताय, करेंगे चोरी और सीना जोरी और सेंध में भी हाथ डालने का काम आप करेंगे। जनता की गाढ़ी कमाई

को लूटने का काम आप करेंगे और कहेंगे "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय।" पानी की बात आप करते हैं तो पानी हो कर करते हैं। इस प्रदेश की जनता ने आपके चरित्र को देख लिया, उसके सामने आप पानी हो चुके हैं। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए और आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* डा0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कहां से व्यवस्था आ गई। मैंने माननीय मंत्री जी को पुकार लिया है। अब आप व्यवस्थित होकर बैठें, आगे और मौका मिलेगा।

(माननीय सदस्य डा0 अजय तोमर और माननीय मंत्री जी के एक साथ अपनी-अपनी बातें कहने की वजह से शोर की स्थिति पैदा हो गई)

डा0 अजय तोमर-

बारात में पुलिस के लोग तथा चोर लोग आये हैं, यह रात में बारह, एक बजे तक भूखे रहते हैं तो इनके लिए भी कुछ खाने-पीने का इन्तजाम करा दें, यह भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, डा0 साहब हम करा देंगे, लेकिन इस समय आप बैठ जायें।

श्री अशोक कुमार दोहरे-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि अभी पिछले साढ़े तीन वर्षों तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और समाजवादी पार्टी की सरकार में, ...

श्री राम किशुन-

इसके अलावा और कुछ कहने को है भी नहीं आपके पास।

श्री अशोक कुमार दोहरे-

अभी हमारी सरकार में जो काम शुरू हुआ है, जो नालियां बनायी गई थीं, मैंने स्वयं कई जगह का दौरा किया तो मैंने देखा साढ़े तीन साल में जो कार्य हुआ है अगर उसकी जांच करा दी जाये, ...

श्री सुन्दर लाल लोधी-

तो जांच कराइये न, किसने रोक रखा है ?

श्री अशोक कुमार दोहरे-

तो बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन जब से मैंने विभाग में कार्यभार ग्रहण किया है, तो सबसे पहले सुनिश्चित किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कार्य

---

* वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजदूरों से नहीं मशीनों से कराया जाता था। मैंने इसको सुनिश्चित किया दूसरे दिन ही पत्र जारी किया और पूरे प्रदेश में हमारे विभाग में कार्य मजदूरों के द्वारा कराया जायेगा और हो रहा है। बड़े पैमाने पर गुणवत्ता में सुधार हुआ है। माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी पिछली सरकार का जिक्र किया, इसके अलावा इनके पास और कोई जवाब है नहीं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आज इस सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और हम लोगों ने कभी साथ-साथ काम भी किया है, यह हमारे सीनियर रहे हैं इनको याद नहीं होगा, हम याद दिला दें। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यह यह तो आपकी बहुमत की सरकार है आप पास करा लेंगे। डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक बहुत बड़ा सत्याग्रह इस पानी के सवाल पर किया था। आज मेरी एक ही मांग है तो आप घोषणा कर दें। दूसरी चीज जो आप कार्य कर रहे हैं वह एकदम बिला एवज सिर्फ पैसा कमाने का, अधिकारियों की जेब भरने के अलावा कुछ नहीं है और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हम इसकी जांच करायेंगे, इसका मतलब नौ महीने में यह जांच नहीं कराये, लगता है कहीं न कहीं उसमें यह लिप्त हैं, कहीं न कहीं उस जांच से यह प्रभावित हो रहे हैं, नहीं तो अब तक माननीय मंत्री र्ज को जांच करा लेनी चाहिए थी और दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो परती हमने कहा था यह विभाग ऊसर, बंजर भूमि को सुधारने का है,....

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, तो परती विभाग आपको कहा गया। परती विभाग, भूमि को उपजाऊ बना ले जल की व्यवस्था कर दे और जितनी खेती की जमीन है उसमें सिंचाई का इंताजाम कर दे। जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है, जो पानी फालतू चला जाता है उसको रोके उसका कोई इंतजाम हो जाये। मैं उस पर आपसे निवेदन करूंगा और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। इस सरकार से यह निवेदन करूंगा कि बड़ा ढोल पीटा आपने बाबा साहेब के नाम पर। उनके सत्याग्रह के नाम पर आप एक तालाब बनाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,22,07,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग)

* कृषि मंत्री (श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,45,32,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,86,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी ने मुझ जैसे सम्मानित कृषक परिवार के व्यक्ति को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंप कर उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रति जो सम्मान दिखाया है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, आज मुझे बेहद अफसोस है कि प्रतिदिन जब विधान सभा का सत्र चलता है तो समाजवादी पार्टी के समस्त नेता एवं माननीय सदस्यगण किसान की समस्या के नाम पर अखबारों में खबरें छपवाने के लिए प्रतिदिन वाक आउट करते हैं। आज मान्यवर, पूरे प्रदेश में आज का दिन ऐसा है जहां प्रत्येक विषय प्रत्येक विभाग शुद्ध रूप से किसानों से सम्बन्धित है। लेकिन आज बड़े ताज्जुब की बात है कि जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं वे आज यहां पर उपलब्ध नहीं हैं। शुद्ध किसानों के बजट का दिन है आज। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग का बजट है। यह विभाग माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास भी रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के साथी नहीं हैं और कांग्रेस के बहुत से साथी नहीं हैं।

---

* वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी हमारे पूर्व के साथी कह रहे थे कि ''बहुजन हिताय बहुजन सुखाय'' के नाम पर यह सरकार नारा देकर दिखावा करती है। मान्यवर प्रदेश में 65 फीसदी व्यक्ति कृषि पर आधारित हैं। 221.68 लाख कृषक परिवार हैं। 134 लाख 101 इतने हमारे कृषि श्रमिक परिवार हैं जो पूर्णरूपेण कृषि पर आधारित हैं। 65 फीसदी जनता के कल्याण के लिए, जब तक कल्याण नहीं होगा तब ''बहुजन हिताय बहुजन सुखाय'' कैसे हो सकता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने ''बहुजन हिताय बहुजन सुखाय'' के नारे को सार्थक करने के लिए इन 65 फीसदी जनता के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं कृषि विभाग में दी हैं मैं उनका वर्णन आगे करूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय चौधरी साहब भी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और मैं भी पढ़ता था उस समय हमने एक कविता पढ़ी थी किताब में ''उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान''। मान्यवर, आज क्या हो गया है। आज चाकरी उत्तम हो गयी है और खेती निषिद्ध हो गयी है। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय देश में एक सर्वे कराया गया 68 फीसदी व्यक्तियों की राय थी कि हम खेती करना चाहते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद सर्वे कराया गया देश में 42 फीसदी व्यक्तियों ने कहा कि हम खेती करना चाहते हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वे हुआ तो देश में केवल 26 फीसदी व्यक्तियों ने कहा कि हम खेती करना चाहते हैं। 68 फीसदी से घटकर 26 फीसदी पे आ गये। यह किसान का सम्मान बढ़ा देश में। कौन है इसका जिम्मेदार ? इसका जिम्मेदार वे लोग हैं जो आजादी के बाद लगातार इस देश और प्रदेश पर शासन करते रहे वे लोग जिम्मेदार हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि किसान का सम्मान कहां रहेगा ? यह देश जगतगुरू कहलाता था सर्वोपरि स्थान विश्व में। तब स्थान था जब इस देश और प्रदेश में किसान उत्तम और सर्वोत्तम कहलाता था। मान्यवर, कृषि प्रधान देश और खाने के लिए अन्न विदेश से आता है। कैसे जगतगुरू होगा, कैसे सर्वोपरि स्थान होगा इस देश का ? यह सारी जो आज स्थिति किसान की देश और प्रदेश में है इसके लिए मेरे पूर्व वक्ता मंत्री जी ने कहा था इसके लिए वहीं पार्टी जिम्मेदार है। जिन्होंने 40 साल लगातार रह रह करके और 15 साल 10 साल उन्होंने और उनके सहयोगियों ने इस देश और प्रदेश पर राज्य किया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश में कृषि विभाग के लिए मात्र 1531.90 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी इसके सापेक्ष ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जब बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5425.10 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित हुआ है। मान्यवर, 2006-07 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा यहां कृषि विभाग का बजट रखा गया था, मात्र 1208.60 करोड़ का बजट रखा गया था और जब बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार यहां बनी तो पहली ही सरकार में 2007-08 में 1646.55 करोड़ का बजट रखा गया मान्यवर, 36 प्रतिशत ज्यादा कृषि पर बजट रखा गया।

मान्यवर, आज आपकी आज्ञा से सदन में 21,45,32,96,000 का बजट आया है जो पिछले साल के बजट से भी 30 फीसदी ज्यादा है। इतना बजट बहन कु0 मायावती जी ने इस प्रदेश के

किसान और जनता के कल्याण के लिये कृषि विभाग को दिया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि रामायण में एक चौपाई है-

"क्षिति जल पावक गगन समीरा,
पंच रचित यह अधम शरीरा।"

मान्यवर, यह पंच तत्व से बना हुआ शरीर, इसके लिये सबसे आवश्यक है क्योंकि सारी गतिविधियां इसी के द्वारा की जाती हैं। इसको चलाने के लिये सबसे आवश्यक चीज है अन्न। तीन चीजें इसकी पूर्ति कर सकती हैं, अन्न, फल और दूध लेकिन इन तीनों चीजों में भी सबसे ज्यादा जरूरी अन्न है और अन्न को पैदा करने वाला किसान है, किसान को अन्नदाता कहा गया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा और आपकी आज्ञा से सदन को बताना चाहता हूं कि अन्न को पैदा करने के लिए दो साधन हैं। क्योंकि अन्न केवल भूमि में पैदा होता है और कहीं हो नहीं सकता। इस अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये दो तरीके हैं एक तो वर्तमान में जिस जमीन पर खेती हो रही है, उसकी पैदावार को बढ़ाया जाय और एक तरीका यह है कि जो खेती के योग्य भूमि नहीं है, जो उबड़-खाबड़ है, या कहीं बाढ़ आती है या कहीं ऊसर है उस जमीन को सुधार करके खेती योग्य बनाया जाय। यह मान्यवर, पैदावार बढ़ाने के केवल दो ही तरीके हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या की वृद्धि हो रही है प्रदेश में भी और देश में भी। मान्यवर, जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुये देश के और प्रदेश के सम्मान को बचाने के लिये हमको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और उत्पादन बढ़ाने के लिये मैंने बताया कि क्षेत्रफल भी बढ़ाना पड़ेगा। जो वर्तमान में भूमि है उसमें और ज्यादा पैदावार करनी पड़ेगी और ज्यादा पैदावार करने के लिये मुख्य रूप से 3-4 जरिये हैं। सबसे पहला जरिया यह है कि हम अच्छा बीज डालें, दूसरा जरिया यह है कि हम आबपाशी समय पर कर दें। तीसरा जरिया यह है कि खाद अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाय और चौथा जरिया यह है कि उसमें जो रोग लगते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाय इसी से पैदावार बढ़ती है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी हमारे जैसे साधारण व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें कुछ ऐसा भ्रम सा हो जाता है कि पता नहीं कृषि विभाग जो है, वही अन्न पैदा करता है या यह कृषि विभाग की जिम्मेदारी है अन्न पैदा करने की। मान्यवर, कृषि विभाग की जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे यहां तो बहुत कम कृषि फार्म हैं। खेती तो किसान लोग ही करते हैं। कृषि विभाग का मुख्य काम है वह तो खेती से सम्बन्धित शिक्षा देना है और प्रचार-प्रसार करने का काम है कि हम लोगों को अवगत कराये कि किस तरह से उन्नत खेती हो सकती है। किस तरह से सरकार जो सहूलियत दे रही है, इन सहूलियतों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार जनता में करें वैसे भी हमारे प्रदेश का किसान बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही हिम्मतवाला किसान है। हमारे प्रदेश की पूरी खेती योग्य जमीन पूरे देश की खेती योग्य जमीन का मात्र 11.9 प्रतिशत है और इसके बावजूद हमारे प्रदेश का उत्पादन पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। पूरे देश में जितनी पैदावार होती है, उसमें अकेले 21 फीसदी पैदावार हमारा प्रदेश देता है। सागभाजी में भी दूसरे नम्बर पर हमारा प्रदेश है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से

यह कहना चाहता हूं, खाद्यान्न उत्पादन में 21 प्रतिशत, दलहन उत्पादन में 18.5 प्रतिशत एवं तिलहन उत्पादन में 06.0 प्रतिशत का योगदान देश में हमारा प्रदेश करता है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जैसा कि सभी को पता है और पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं कि 166.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आज खेती सम्पन्न की जाती है। चूंकि हमारे प्रदेश में लघु और सीमान्त कृषकों की ही संख्या 91 फीसदी है। लघु और सीमान्त कृषकों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश की कृषि का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए 91 फीसदी किसानों के विकास के लिए विशेष रूप से हमारी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य है 05.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर बनाये रखना हमारा यह लक्ष्य है मान्यवर, आज जो हमारे प्रदेश में 484.05 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन है हम पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ा करके 538.25 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचायेंगे, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है।

मान्यवर, इसी प्रकार दलहनी फसलों में 30.01 लाख मीट्रिक टन और तिलहनी फसलों में भी 12.57 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन पंचवर्षीय योजना के अन्त तक करेंगे। मान्यवर, हमारा यह भी लक्ष्य है कि आज जो हमारे प्रदेश में कुल उत्पादन का वर्तमान स्तर है वह 22.30 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है, इसको बढ़ा करके 28.60 कुन्तल प्रति हेक्टेयर करने का हमारा लक्ष्य है। दलहन को भी 8.11 कुन्तल प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 11.22 कुन्तल करने का हमारा लक्ष्य है। इसी तरह से मान्यवर, तिलहन को भी 9.58 कुन्तल प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 12.43 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। मैं आपके माध्यम से मा0 सदन को बताना चाहता हूं बीज के सम्बन्ध में, हमने बीज के लिए प्रथम बार प्रदेश में केन्द्र सरकार के द्वारा 500 रुपये प्रति कुन्तल गेहूं के बीज को सब्सिडी दी। उसमें 38 जिले हमारे गेहूं के लिए चुने गये, उन 38 जिलों में मान्यवर, 500 रुपये तो केन्द्र के थे और 200 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिये गये और पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं गेहूं के बीज के लिए सब्सिडी दी गई है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। इसीलिए 23 फीसदी गेहूं के बीज का रिप्लेसमेंट हुआ है और लगभग-लगभग साढ़े 10 कुन्तल गेहूं का बीज बांटा गया है। मान्यवर, मैंने दूसरी बात कही थी, बीज और खाद। जहां तक खाद की बात है हमने कोशिश की, यह आयात वाला है, केन्द्र सरकार के द्वारा हमको दिया जाता है लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा हम खाद उपलब्ध करा सकें। 2007-08 में हमारा उरर्वक लक्ष्य 81.25 लाख मीट्रिक टन था जिसके सापेक्ष 31 जनवरी, 2008 तक 62.61 लाख मीट्रिक टन उरर्वक का वितरण किया गया है। मान्यवर, 2008-2009 में हमने जो लक्ष्य रखा है आगामी वर्ष में वह 87.63 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। आगे खाद समय पर उपलब्ध रहे इसीलिए पी0सी0एफ0 के माध्यम से हमने यह सोच लिया है कि ढाई लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक इस वर्ष बनाया जाय। जहां तक तीसरी जो मैंने बात कही उसमें सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराये गये हैं, बिजली के ट्यूबवेल हैं, डीजल के पम्पसेट हैं।

मान्यवर, हमने फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 21 लाख परिवार किसान परिवार हैं। अभी तक मान्यवर, इस वर्ष भी हमने साढ़े 19 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे हैं। 2 लाख 21 हजार किसान परिवारों में हमारे यहां 1 करोड़ 67 लाख 71 हजार 546 किसान क्रेडिट कार्ड अब तक बांटे जा चुके हैं। इस वर्ष भी हमारा लक्ष्य है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश का एक भी किसान बिना किसान क्रेडिट कार्ड के नहीं रहेगा। मान्यवर, सबसे ज्यादा जो चिन्ता का विषय है, देश में प्रदेश में और विश्व स्तर पर भी, वह है उर्वरक के प्रयोग से पैदावार घटती जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा है, इसलिए मान्यवर, हमने सबसे पहले यह प्रयास किया है कि मृदा परीक्षण कराया जाए और मृदा परीक्षण के लिए मान्यवर, 17 परीक्षण प्रयोगशालाएं हमारी क्षेत्र स्तर पर हैं, 53 परीक्षण प्रयोगशालाएं जिला स्तर पर हैं और आपको मान्यवर, प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारी 182 परीक्षण प्रयोगशालाएं तहसील और ब्लाक स्तर पर इसी वर्ष तैयार हो जायेंगी, जिससे किसानों की जमीन का मृदा परीक्षण कराया जा सके। मान्यवर, हमने मृदा का स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए यह भी कोशिश की है कि अधिक से अधिक जो जैव संवाहक हैं जैव उर्वरक और वर्मी कम्पोस्ट इनका भी अधिक प्रचार-प्रसार हमने किया है और इनके लिए हमने 50 फीसदी की सब्सिडी हर वर्ग के किसान को दी है।

मान्यवर, हमने मृदा परीक्षण बनाये रखने के लिए और रोगों से फसलों की रक्षा हो सके इसके लिए कृषि में बायो एजेण्ट, बायो कीटनाशकों का उपयोग किया है। इसके द्वारा मान्यवर, ट्राइपोकार्ड और ट्राइपोडर्मा इस तरह का कीड़ा है जो फसलों के पौधों पर छोड़ दिया जाता है और जो फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, वे कीड़े ही इनका भोजन है, वे उनका भोजन करते हैं और एक दीवार बना देते हैं जो उस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनसे रक्षा की जाए। इस कार्ड को वैसे तो किसी-किसी फसल में 3-4 बार लगाया जाता है, 10-15 दिनों के अन्तर पर। लेकिन मुख्य रूप से गन्ना के लिए काम आता है। यह दो तरह का है और मुख्य रूप से उखटा, रूट रोग, सड़न-गलन और आलू में जो काले चकत्ते पड़ते हैं उन रोगों में मुख्य रूप से काम आता है। मैंने अनुरोध किया था कि कृषि विभाग का मुख्य कार्य प्रचार-प्रसार भी है इसके लिए हमने पूरे प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर कृषि गोष्ठियों का आयोजन किया, जिला स्तर पर कृषि गोष्ठियों का आयोजन, जिनमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुये और मान्यवर, इसके लिए हमने दो मेले भी प्रदेश स्तर के आयोजित किये हैं जिसमें लाखों किसानों ने भाग लिया। मथुरा में कोसी कला और अम्बेड़करनगर में टांडा में, इन दोनों जगहों पर दो-दो दिन के मेले लगे जिनमें अनेक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, नेतागण, वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सभी ने हिस्सा लिया और लाखों किसानों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

मान्यवर, हमने कृषि से सम्बन्धित समस्त जानकारियां इसमें देने की कोशिश की और प्रचार-प्रसार के लिए हमने जो ई-चौपाल, हरियाली, खुशहाली, टाटा किसान केन्द्र ये चल रहे हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रतिदिन बुन्देलखण्ड के सम्बन्ध में सवाल उठता है, बुन्देलखण्ड के

सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर जो पानी की गम्भीर समस्या है उसके लिए हमारे जैन साहब यहां बैठे हैं एक दिन समस्या उठायी और यहां से निकले तो मुझसे कहा कि बुन्देलखण्ड के लिये सबसे बड़ा काम हो सकता है, यदि आप उसे कर सकें तो हमने कहा कि क्या, तो उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर किट और ड्रिप एरीगेशन के सेट के लिए 75 फीसदी, 90 फीसदी यदि छूट मिल जाए तो यह सबसे बड़ा काम होगा बुन्देलखण्ड के किसानों के लिए। जैन साहब का अनुरोध हमने बहन कु0 मायावती जी के पास पहुंचाया और आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि बहन कु0 मायावती जी ने जो सीमान्त और लघु किसान, हमारे अनुसूचित जाति के किसान भाई हैं निःशुल्क 100 फीसदी छूट और 75 फीसदी, 90 फीसदी छूट सारे किसानों को प्रदान की। बुन्देलखण्ड के सम्बन्ध में मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय मंत्री जी, पूरे उ0प्र0 के किसानों के लिए राहत प्रदान कीजिए।

(इस समय 3 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए)

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

यह छूट बुन्देलखण्ड तथा सोनभद्र व एक जिला और है उसके लिए है। चलिये जैन साहब की बात मान ली गयी। आप कह रहे हैं तो उस पर भी विचार कर लेंगे।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड की स्थिति दूसरी है। मुख्य मंत्री जी बुन्देलखण्ड गई थीं तो उन्होंने वहां अनेक योजनाओं की घोषणा की थी।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

पूरे उत्तर प्रदेश को देना चाहिए। किसानों के हित में पूरे प्रदेश के लिए इसे लागू करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त करें।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

आपको पता होगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कृषि विभाग की तरफ से बुन्देलखण्ड के समस्त किसानों के लिए ब्याज माफ करने की घोषणा की। मेरे तो रग-रग में किसानियत रमी है। मैं पैदा ही किसान के घर में हुआ हूं। जिसमें किसान का खून होगा वही हमारी इन बातों को बार-बार सुनना चाहेगा। ऐसे लोग जो किसानों को पसन्द नहीं करते उनको हमारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। माननीया मुख्य मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड में ब्याज माफ करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। किसानों के लिए सिकान हित योजना, वर्षा जल संचयन, जल प्रबन्धन, बांधोन्मुखी नदी घाटी योजना जैसी तमाम योजनाएं चला रहे हैं जो जारी हैं। किसान हित योजना जो पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी किसान हित योजना से अच्छी कोई योजना नहीं हो

सकती है। पिछली बार वर्ष 2007-08 में इसके लिए 105 करोड़ का प्राविधान किया गया था अबकी बार 170.55 करोड़ का प्राविधान किसान हित योजना के लिए किया गया है। किसानों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हमारे यहां चल रहा है केन्द्र सरकार की यह योजना हमारे माध्यम से जो चल रही है यह 53 जनपदों के लिए है 38 जिले गेहूं के लिए, 19 जिले दलहन के लिए, 26 जिले धान के लिए। जैसा मैंने बताया कि 500 रुपए की सब्सिडी केन्द्र सरकार की थी, 200 हमने दी। अन्य जो हमारी धान और दलहन की हैं उनमें जो छूट केन्द्र सरकार से होगी उसमें निश्चित रूप से गम्भीरता से विचार किया जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से निश्चित रूप से अनुदान जरूर होगा। हमारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है आत्मा योजना के तहत चलाया जा रहा है। आत्मा योजना जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई जाती है कृषि विभाग से सम्बन्धित सारे अधिकारी होते हैं, उन्नतशील किसान होते हैं वह भी सदस्य होते हैं किसानों के विकास के लिए कार्य किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी कुछ चीजें बाद में जवाब में कह दीजिए।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

हमने किसान विद्यालयों की स्थापना की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत स्तर पर एक किसान विद्यालय होगा। प्रत्येक गांव में एक किसान मित्र होगा इनकी जो खेती से सम्बन्धित समस्त जानकारियां हैं वहां गोष्ठी करने, ट्रेनिंग के रूप में किसानों को दी जायेंगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश में इस समय कृषि नीति के अन्तर्गत सप्त क्रांति को प्राथमिकता दी गई है। जैन साहब सुन लें। इस सप्त क्रान्ति में 7 चीजें होंगी तब ही तो होगी सप्त। प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि वृद्धिकरण यह हमारी योजना में है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त करें।

चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह-

अभी आप कह रहे थे, हमारे मित्र ने कहा था कि यह पूरे प्रदेश के किसानों के बारे में होना चाहिए। प्रतिदिन किसानों के ट्यूबवेल का सवाल उठता है और प्रतिदिन इधर से भी माननीय ऊर्जा मंत्री जी अपनी बात कहते हैं। यह भी बात कल उठी कि 1 लाख 20 हजार रुपये का ट्यूबवेल है, 55 हजार रुपये प्रदेश सरकार सब्सीडी दे रही है किसान 75 हजार रुपये कहां से देगा। मान्यवर, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमने कल यह निर्णय किया है कि उत्तर प्रदेश के 20 हजार ट्यूबवेल लगाने के लिये 105 करोड़ रुपये हम सब्सीडी देंगे जिससे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक किसान का 10 हजार रुपये में ट्यूबवेल लगेगा। उर किसान को मिला कि नहीं ? मान्यवर, मैं कृषि शिक्षा के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं कि 4 हमारे कृषि विश्वविद्यालय,

हमारे हैं। चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। यह कृषि विश्वविद्यालय कृषि नये बीज इजाद करने का काम करते हैं, नई-नई खोज करने का काम करते हैं, ट्रेनिंग और प्रचार प्रसार का भी काम करते हैं मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कृषि विभाग में राज्य मंडी परिषद् है इसके द्वारा 201 मुख्य मंडी स्थल हैं, 81 उप मंडी स्थल हैं, 61 फल सब्जी मंडी हैं, दूध मंडी स्थल 4 हैं और 5 मछली मंडी हैं हाट पैट 224, ग्रामीण गोदाम 238 मान्यवर, अब तक मंडी समिति के द्वारा 12610 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराया गया है। इस वर्ष 2007-2008 में 1700 कि0मी0 नवीन सम्पर्क मार्ग, 310 कि0मी0 मरम्मत हेतु कार्य का लक्ष्य रखा गया है। आज 405 कि0मी0 नवीन सम्पर्क मार्ग पूरे हैं और 1241 कि0मी0 मरम्मत का काम भी पूरा हो गया है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मंडी समिति के द्वारा बहुत सी किसान हितकारी योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें में मुख्य रूप से किसानों के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं होते हैं उन को भी मंडी समिति के द्वारा वर्जाफा दिया जाता है। मान्यवर, कुछ नवीन मंडी स्थल और उप मंडी स्थल बनने भी विचाराधीन हैं। एक मंडी समिति की और बहुत अच्छी उपलब्धि है नोएडा में, उसको पुष्प मंडी स्थल बनाया जा रहा है जो कि विश्व स्तर का है। नोएडा में 4 लाख स्टेम इस पुष्प मंडी की क्षमता है।

मान्यवर, मंडी समिति के द्वारा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 'सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है और आलू को निर्यात करने का कोई साधन नहीं होता है। तो इस पर पहली बार सरोज साहब के नेतृत्व में मंडी समिति ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश पोटेटो एक्सपोर्ट फेसीलेशन सोसायटी का गठन किया गया है। जिसके द्वारा यह तय किया गया है हम प्रथम बार मारीशस और दुबई को आठ सौ मीट्रिक टन आलू का निर्यात करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को सम्मान देने के लिए इस बार श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन पर 23 दिसम्बर को हमारे विभाग द्वारा किसानों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर तीन किसानों को पन्द्रह हजार, साढ़े 12 हजार, 10 हजार का पुरस्कार दिया गया। मान्यवर, यहां राज्य स्तर पर 11 किसानों को 25 हजार रुपये से लेकर साढ़े 12 हजार रुपये तक के पुरस्कार दिए गए। किसानों को इस तरह सम्मान दिया गया। मान्यवर, अन्त में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर अपने बहुमूल्य सुझाव रखेंगे। बहन मायावती के नेतृत्व में किसानों के लिए कल्याणकारी जो योजनायें हैं उस पर अपने विचार रखें।

* श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-11 कृषि, तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, अभी पूरे प्रदेश के सारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिनिधियों के सामने माननीय मंत्री जी ने एक ऐसा सपना दिखाया जिस सपने को कभी पूरा नहीं होना है। मैं कहना चाहता हूं जिस राज्य के अन्दर धरती को अपनी मां नहीं समझा जाता और अन्नदाता को ईश्वर के समान नहीं समझा जाता है उस राज्य के अन्दर कोई सरकार उन अन्नदाताओं का कल्याण नहीं कर सकती है। हम प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं चाहे प्रिन्ट मीडिया देखें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें हर जगह खून चूसती हुई सरकार, दम तोड़ते हुए किसान, सूखा दर्द और तबाही की दास्तान, चारों तरफ अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए नहीं लिखते कि उन्हें इस सरकार से बुराई है या उस सरकार से बुराई है वह सिर्फ इस कारण से लिखते हैं कि उन्हें पाक साफ इस उत्तर प्रदेश की सरजमीं पर, चाहे यह सरकार आए, चाहे वह सरकार आए, किसानों के लिए कुछ होने वाला नहीं है उस किसान की कहानी सिर्फ तबाही से लिखी जाएगी आज मंत्री जी इतने ज्यादा दिवा स्वप्न दिखा रहे थे जो रंगीन बातें बता रहे थे, लगातार बुन्देलखण्ड में हजारों लोग मरते रहे दम तोड़ते रहे मंत्री जी ने यह बात निश्चित है कि हमारे कहने पर स्प्रिंग क्लर्क और रिक्रिएशन के लिए सब्सिडी दी है और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आज हमारे, पास बिल्कुल पानी खत्म हो गया आपने कर्ज के ऊपर ब्याज माफ कर दिया। हमने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को बुन्देलखण्ड की सरजमीं पर बुलाया और पूरे देश के 60 हजार करोड़ रुपये के ऋण किसानों के माफ हो गए। कोई वाहवाही हमने नहीं लूटी। क्योंकि कांग्रेस की नीति है चाहे हम लाल बहादुर शास्त्री का इतिहास देखें हमने समझा है किसान की महत्ता को, हमने अपने अन्नदाता के महत्व को समझा है, हम उनका वोट पाने के पश्चात् भूलते नहीं हैं। मान्यवर, मा0 लाल बहादुर शास्त्रीजी जब इस देश के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने एक ही नारा दिया था "जय जवान, जय किसान" जितनी महत्ता जवान की है, उससे ज्यादा महत्ता किसान की है। इसीलिये जो स्वेत-क्रान्ति श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने शुरू की थी, इस मुल्क के किसानों की बात उन तक पहुंचाई।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस की सरकार नहीं रही, कांग्रेस की सरकार के बाद जितने समय तक गैर कांग्रेस की सरकारें रही, उत्तर प्रदेश में खेती की क्या स्थिति हो गई ? यह झूठे आंकड़े, जमीनी स्तर पर बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। अगर मंत्री जी गांव में जाकर देखें, आज गांव की स्थिति क्या है ? कोई भी फसल हो, आज हम कितने भी बड़े-बड़े सब्ज बाग दिखायें, कितने भी सुन्दर आंकड़े प्रस्तुत करें, लेकिन इससे हम किसानों के दिलों को नहीं जीत सकते। क्योंकि आज वह किसान तबाही के दौर पर है, न केवल बुन्देलखण्ड का, पूरे प्रदेश को हम चार भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड। आज बुन्देलखण्ड की स्थिति 15-20 सालों का परिणाम है। मैं नहीं कहता कि केवल आपकी सरकार में बुन्देलखण्ड की यह स्थिति हुई है, लेकिन मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं, सरकार को जो आज बुन्देलखण्ड की स्थिति है, आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी वही स्थिति हो जायेगी, अगर ये नीतियां परिवर्तित नहीं की गईं। आज जिस तरह से योजनाओं में भ्रष्टाचार है, निश्चित रूप से कुछ अधिकारी ईमानदार होंगे लेकिन सतही स्तर पर क्या हो रहा है, जब भी खाद बंटती है, पूरी की पूरी खाद जिस समय सहकारी समिति के द्वारा वितरित की जाती है, वह खाद क्या मिल पाती है ? सहकारी समिति से

खाद, लाठी खाने के बाद, गोली खाने के बाद, लाइन लगाने के बाद, जब उन्हें केन्द्र सरकार से मिली हुई खाद भी नहीं मिल पाती और अगर उसमें कोई गांव वाला वहां जाकर अड़ जाता है तो उसे खाद के साथ बीज भी लेना पड़ता है।

बिजली की स्थिति, आज प्रदेश के अन्दर सरकारी नलकूल 5 लाख करीब होंगे और निजी नलकूप 28 लाख करीब होंगे। लेकिन हम बिजली दे पाते हैं, क्या आपने कोई अलग से विद्युत की व्यवस्था की ? आज आप मानते हैं कि मुल्क के अन्दर हमारे उत्तर प्रदेश की माटी हमारी मां के समान है और मां तड़पती रहे, मां रोती रहे, बिलखती रहे, अन्नदाता मरता रहे, परेशान होता रहे, उसकी तरफ कभी भी आपकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज हम समझते थे कि जिस तरह कल इस देश की सरकार ने एक क्रान्तिकारी निर्णय लिया और वह निर्णय पूरे देश के किसानों को लाभ पहुंचायेगा, आज हमारे कृषि मंत्री जी इस तरह की बात करते तो उत्तर प्रदेश के किसान तक उसका लाभ पहुंचता। आज हमारे एक लाख से ज्यादा गांव हैं और उरन गांव में रहने वालों की स्थिति क्या है, कभी हमने सोचा कि जो पूरे संसार को गेहूं खिलाता है, जो सृजक है, जो बनाता है, वह खुद भूखा सो जाता है। इस प्रदेश की विडम्बना है, गगनचुम्बी अट्टालिकाएं बनाने वाले लोग झोपड़ी के अन्दर सोते हैं। यह सपना सच हो सकता था लेकिन इसके बीज उस समय डाले गये थे मैं आपको बताना चाहता हूं, 1857 में जब इस मुल्क के अन्दर एक क्रान्ति हुई और अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज उठी तो अंग्रेजों को लगा कि हम इस मुल्क की गद्दी पर ज्यादा दिनों तक काबिज नहीं रह सकते, उन्होंने प्रयास किया, उन लोगों ने विचार किया और 1873 में उन्होंने जाति के आधार पर इस मुल्क की गणना करा दी। जाति के आधार पर बांट दिया पूरे प्रदेश को। आज किसान की कोई जाति नहीं है, वह हल चलाता है।

श्री अधिष्ठाता-

जैन साहब, संक्षेप करें।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है।

(कई सदस्यों के बोलने पर शोर)

श्री अधिष्ठाता-

10 मिनट बोल चुके हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, 25 मिनट का समय मिलता है, 15 मिनट से लेकर 25 मिनट तक, अब 15 मिनट निर्धारित किया है, ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, हमने केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाले सहायता राशि की बात कर दी तो सरकार के मंत्रियों को बुरा लग गया। मान्यवर, एक-एक कटौती पर इतनी चर्चा हुई। मान्यवर, आज मैं आपके सामने, जनता के सामने बताना चाहता हूं कि यह सरकार अपने अन्नदाता के प्रति कितनी संवेदनशील

है। मान्यवर, उन्हें खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है। मान्यवर, ऊपर से भेजी जाने वाली योजनायें गांव स्तर पर नहीं पहुंच रही है। मान्यवर, वितरण विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो। केवल एक निर्णय करना है कि किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। आप कुछ कर नहीं सकते, आप मजबूर हैं क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल गया है उसमें अगर बड़े अधिकारी चाहें तो भी नीचे के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज तक उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या मिला ? चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, बुन्देलखण्ड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे केन्द्रीय उत्तर प्रदेश हो। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में प्रतिदिन एक से दो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। चाहे भुखमरी से आत्महत्या कर रहे हों या कर्ज की वजह से कर रहे हों लेकिन वह आत्महत्या तो कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक-एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड दिया जाये। माननीय मंत्री जी क्या आप नहीं चाहते कि वह किसान इतना स्वावलम्बी बना दिया जाये कि वह कर्ज ही न ले। बल्कि दूसरों को कर्ज से निजात दिला सके। मान्यवर, आज की कृषि नीति से किसानों का भला होने वाला नहीं है। आज मूलभूत जो बात है वह निकलकर नहीं आती।

मान्यवर, आज 20 प्रतिशत किसान नहरों से पानी लेता है। 74 प्रतिशत नलकूपों से पानी लेता है। माननीय कृषि मंत्री जी, आप केन्द्र सरकार से चाहे जितनी योजनायें ले लें लेकिन क्या वह योजनायें कार्यान्वित हो पा रही हैं। आपके यहां तो मूलभूत ढांचा ही नहीं है। आपके यहां तो 37 प्रतिशत अधिकारियों की कमी है। आप चाहे सत्तापक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों। लेकिन जो लोग भी सत्ता में आये उन्होंने मूलभूत ढांचे के बारे में सोचा ही नहीं। मान्यवर, आज का किसान पूरी तरह से परेशान है। आज हम जब अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाइयों से बात कर रहे थे तो वह कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल के अन्दर हमारे यहां भी पानी का स्तर नीचे चला जायेगा और हमारे यहां भी बुन्देलखण्ड जैसी स्थिति हो जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो योजनायें हैं उनके क्रियान्वयन के लिये हमें ज्यादा से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी चाहिये। आप योजनायें भेज देते हैं लेकिन उनको चलाने के लिये आपके पास हाथ नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। अध्यक्ष जी ने आपको 15 मिनट का समय दिया था वह समय समाप्त हो चुका है।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, इन अन्नदाताओं की वजह से ही यह यहां पर बैठे हैं और विडम्बना यह है कि आज उनके बारे में ही सुनना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, हमें रोटी देने वालों के लिये अगर हम चर्चा नहीं कर पाये तो बोलने का मतलब क्या है।

श्री अधिष्ठाता-

15 मिनट में आप पूरी बात बोल सकते थे।

श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

मान्यवर, मैं इनके लिये कहना चाहता हूं कि इनके पहले जो तख्तानशी थे उनको भी अपने खुदा पर यकीन था। उन्होंने भी नहीं सुना और आप भी नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

हम यह कहना चाहते हैं कि जो कृषि नीति है, जो हमारे प्रदेश सरकार की मंशा है, कुछ चीजें बेसिक है जो कर सकते हैं और कुछ आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पीछे ब्यूरोक्रेट का चंगुल है। जिन्होंने पिछली योजनायें दी, पिछली बार के लक्ष्य को प्लानिंग कमिशन ने कहा, हम पढ़कर देख रहे थे पिछली बार जो आपका लक्ष्य था 497 मीट्रिक टन था, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 399 मीट्रिक टन आप उत्पादन कर पाये। आपका कहना यह है कि और बढ़ा देंगे लक्ष्य। आप राज्यों में सबसे ज्यादा अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। प्लानिंग कमीशन में आया कि जितनी भूमि है हमारी बंजर, उससे पन्द्रह प्रतिशत कम भूमि पंजाब की है तो वहां पर विधान सभाओं में दलों के आधार पर नहीं, दिलों के आधार पर करते हैं। वह अंग्रेज जिन्होंने जातियों के आधार पर बांट दिया, आप जातियों के ठेकेदार बन गये हैं, आप किसान के ठेकेदार नहीं बन पाये। उसकी कोई जाति नहीं है। किसानों से आपको कोई मतलब नहीं है, आप नहीं चाहते कि उनके विषय में चर्चा हो। मंत्री जी हमारे भाई हैं, आदरणीय है लेकिन वह योजना नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचे ?

श्री लालजी वर्मा-

वही बता दीजिये।

श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से, जो हमारे मंत्री जी हैं उनको चाहिये कि जैसे उन्होंने बुन्देलखण्ड के लिये योजना दी है अब बुन्देलखण्ड से स्प्रिंक्लर से पानी नहीं आ रहा है, अब आपको कृत्रिम बारिश का प्रयास करना होगा। कृत्रिम बारिश के लिये आप हैदराबाद के वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। आपको जो कृषि विश्वविद्यालय लगाना है, हमारे यहां नौ सौ एकड़ भूमि कृषि विभाग की खाली है, दबंग लोग जोतते हैं, उसमें बाउण्ड्री नहीं है, पशु घूमते रहते हैं, तो उसका आपको कतई ध्यान नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो दवायें अच्छी से अच्छी भारत सरकार से आ रही है, किसानों को वितरित करते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर दवा ने रिएक्शन किया तो उसे मालूम पड़ जाता है दो दिन में तीन दिन में, लेकिन जो दवा नकली है, जिनकी चैकिंग करने की व्यवस्था नहीं है, जिस समय वह दवाइयां चली जाती हैं महीनों पड़ता है कि क्या दवा नकली है। अब आपने उसके खिलाफ तो मुकदमा लगा दिया। यूरिया की नकली फैक्ट्री पकड़ी गई आपने उसे तो बन्द कर दिया लेकिन यह व्यवस्था के अनुसार पैसा ले देकर छूटकर आ गया, लेकिन जिस अन्नदाता का खेत बरबाद हो गया है, जो उसकी तपोभूमि थी, उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा ? जो चार महीने तक देखता रहा, वह नकली दवाई उस पर आपकी रोक नहीं है। आज शोध होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

आप योजना कमती दें लेकिन वह पहुंचे तो। मंत्री जी ने अभी बात कही, प्रदेश में दलहन की बात कही, आज पूरे प्रदेश में एक-एक आदमी जानता है कि दलहन की स्थिति बहुत बदतर है। इतनी मंहगाई दलहन की उत्पादकता कम होने के कारण है। हम यह चाहते हैं कि इसमें पचहत्तर प्रतिशत सब्सिडी दी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

15 मिनट से ज्यादा आपको बोलते हो गया है। कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, पूरी बात तो कहने दें। या तो आप हमसे कटौती के प्रस्ताव पर बुलवाते नहीं। आपकों बुरा लगा कि केन्द्र की सरकार ने किसानों के कर्जे माफ कर दिये, आपको बुरा लगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने "जय जवान जय किसान" के माध्यम से नीति बनाई थी। आपको हम यह कहते हैं कि हमारी प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती का नमन हम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, जो नीचे से ऊपर तक है। बिजली के कनेक्शनों में पच्चीस हजार से। माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे कुछ सुझाव हैं, जो किसान बीमा योजना है, जो पिछली बार प्रीमियम न देने के कारण किसान को उसका नुकसान भुगतना पड़ा वह सारे किसानों को लगा दी जाये। दूसरा सुझाव हमारा यह है कि जितना आप गेहूं खरीदें, क्योंकि जिस समय गेहूं पैदा होता है, धान पैदा होता है, उस समय आपके खरीद केन्द्र पर कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि चाहे गन्ना किसान हों चाहे अन्य किसान हों, यह रीढ़ की हड्डी है इनकी खरीद के लिये धनराशि सुनिश्चित करके इनको अग्रिम पैसा दिया जाये। दूसरा हम आपसे कहना चाहते हैं कि शोध कार्य जो है वह शोध कार्य वहां तक पहुंचे। तीसरा हमारा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि करीब साढ़े चार लाख हेक्टेयर जमीन सीलिंग से निकली है, उस सीलिंग की जमीन के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। दूसरा हमने जैविक खाद के लिये हमने बजट देखा, हो सकता है कि हम इतने अल्पज्ञ हैं कि हम उसमें समझ न पाये हों, लेकिन जैविक खाद को हम कैसे प्रोत्साहन देंगे। जैविक खाद के बारे में इसमें नहीं है और हम चाहते हैं कि जो बीज है उस पर कम से कम 75 परसेन्ट सब्सिडी दी जाये और बुन्देलखण्ड जैसे जिन क्षेत्रों में समस्या है, वहां सौ फीसदी सब्सिडी दी जाये। दूसरा हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें, अभी मद संख्या-10 है, उस पर भी कटौती रखना है।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

अधिष्ठाता जी एक बात हम और कहना चाहते हैं कि जिस तरह किसान बन्धु की बैठक आयोजित की जाती है, ऐसी प्रदेश सरकार, क्योंकि हम लोग तो विधान सभा में आ जाते हैं, शहर के

अन्दर तो किसान आता नहीं है। शहर में हमें 18 घण्टे लाइट मिल गई, 20 घण्टे लाइट मिल गई, हम बहुत बड़े नेता हो गये, लेकिन जो गांव का किसान है, जिसका खम्भा गिरा हुआ पड़ा है, जिसको भ्रष्टाचार से वह राजीव गांधी विद्युतीकरण लगे हुए तार दिख रहे हैं, एक घण्टे, दो घण्टे लाइट नहीं मिलती है। उसको बीज नहीं मिल रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही है। उसको नकली दवाइयां मिल रही हैं, उसकी समस्या के निदान के लिये एक फोरम बनाकर महीने में एक बार उनकी पूरी सूचनायें सुनी जायें और उनका पूरा निराकरण हो। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं मद संख्या-5 (6) लेता हूं, डा0 अनिल चौधरी जी, अनुदान संख्या-10 पर कटौती प्रस्ताव रखें।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की आय-व्ययक की धनराशि में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता जी, उद्यान विभाग कृषि का एक ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा इस सूबे के किसान की तकदीर को बदला जा सकता है। जो हमारी सामान्यतौर पर पुरखों के जमाने से जिन्हे पैदा की जा रही हैं, उनमें हमें जो कुछ लक्ष्य बढ़ाना था उसको ले लिया गया है। आगे हमारे किसान की तरक्की के लिये उद्यान विभाग और फूड प्रोसेसिंग यह एक अच्छे माध्यम साबित हो सकते हैं। मान्यवर, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती है, जब वित्त मंत्री जी का बजट भाषण हमने इस सदन में सुना था तो उन्होंने कृषि विकास की दर को 5.7 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा था और आज कृषि मंत्री जी का बजट सुना तो उसमें कृषि विकास की दर को बढ़ाकर 5.1 मेनटेन करने का लक्ष्य रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता दोनों मंत्रियों के बीच में यह विरोधाभास क्यों है ? मान्यवर, उद्यान विभाग यह दावा करता है, कि प्रदेश में आलू का उत्पादन देश में 40 और 45 फीसदी है और यह सत्य बात भी है। मान्यवर, 2007-08 में आपका अनुमानित उत्पादन 104.60 लाख मीट्रिक टन है। रकबा है आपका 5.43 हेक्टेयर। इस पुस्तिका में विगत 15 वर्षों के आंकड़े दिये हुए हैं हर वर्ष आपका रकबा बढ़ रहा है। किसान को उसमें सरकार का कोई योगदान दिखाई नहीं देता। यह सब किसान की मेहनत का नतीजा है। सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। उसके पक्ष में मेरे पास आंकड़े हैं। आलू बीज वितरण का लक्ष्य था आपका 2004-05 का 35000 क्विंटल है। 2005-06 में भी वही 35000 क्विंटल और 2006-07 में भी वही 35000 क्विंटल। मान्यवर, हर वर्ष बीज का उत्पादन करने और बटवाने का लक्ष्य वही है। 2007-08 में भी 35000 क्विंटल। मान्यवर, यह एक अजीब तमाशा है और जो वितरित मात्रा हुई उसका आंकड़ा देख लें। 2004-05 में 28662.77 क्विंटल, 2005-06 में 31883.67 क्विंटल, 2006-07 में 29261.58 क्विंटल और

2007-08 में 24502.80 क्विंटल। यानि कि जो आपका लक्ष्य है वह बढ़ा नहीं और जो सप्लाई है वह आपकी लगातार घटती जा रही है। मान्यवर, यह सब आप ही के आंकड़े हैं। एक हेक्टेयर आलू की फसल करने के लिए 50 क्विंटल बीज चाहिए और इनके दिये हुए रकबे के अनुसार यदि कार्य हो तो पूरे प्रदेश के किसानों को दो-सवा दो करोड़ क्विंटल आलू बीज चाहिये हैं। जबकि सप्लाई है आपकी 35000 क्विंटल। वह भी लक्ष्य है। मान्यवर, माननीय उद्यान मंत्री जी तो यहां पर उपस्थित नहीं हैं माननीय कृषि मंत्री जी उपस्थित हैं। 1997 में आप उद्यान मंत्री थे मैं आपके प्रयासों की सराहना बाद में करूंगा। 1997 में आपकी सरकार थी आगरा में एक आलू एक्सपोर्ट जोन बना। मण्डी परिषद् ने पोटेटो एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सोसायटी बनायी। उसके जरिये 800 मी0 टन आलू मारीशस व दुबई भेजा गया। यह इतना आलू कि यहां की हो सकती है कि गाड़ियां कम पड़ जायेंगी। पहले मान्यवर, आलू एक्सपोर्ट जोन से आलू भिजवाया उसका पैसा किसानों का बैंक में इकट्ठा है वह निकल नहीं रहा है। उसको आप देखें।

मान्यवर, अब शीतगृह की बात कह दूं। मान्यवर, 1997 में इन्हीं की सरकार थी। शीतगृह का भाड़ा 42 रु0 क्विंटल भार प्रभार मण्डारण दर की बात हुई, यह अधिकार आपने शीतगृह मालिकान के हाथ में दे दिया। आपके पुराने मित्र हैं यह सब जा ने हैं। मान्यवर, इनके मित्र महेन्द्र स्वरूप शीतगृह संघ के अध्यक्ष हैं। भाड़ा प्रभार आगरा मण्डल में 1 0 रु0 क्विंटल, कानपुर मण्डल में 120 रु0 क्विंटल, पूर्वांचल का 130 रु0 क्विंटल। दस साल में 3 गुना बढ़ा दिया। मान्यवर, उक्त वक्त जो हार्टिकल्चर ऐक्ट था 1976 में उस एमेंडमेंट भी किया गया था किराया नियंत्रण के लिये, किराया दर को तय करने का अधिकार उसमें सरकार के हाथ में है। उसमें यह है कि कृषि वैज्ञानिक किसानों के प्रतिनिधि, शीतगृह स्वामियों के प्रतिनिधि और बिजली विभाग के अधिकारी उसमें बैठकर देखेंगे कि कितना खर्च आयेगा और उनको कितना लाभ दिया जाये। मान्यवर, एक बार ऐसा हुआ 1987 में एक सरकार थी। इन्होंने 3 रु0 क्विंटल बढ़ाया। सरकार हाई कोर्ट में गयी शीतगृह स्वामियों के खिलाफ और हाईकोर्ट ने जो रिलीफ दी उस नाते इस सूबे के किसानों को साढ़े आठ करोड़ रु0 का फायदा हुआ। इसी तरह से 1989 में सरकार थी। इन्होंने साढ़े चार रु0 का भाड़ा प्रभार बढ़ाया। सरकार पुनः हाईकोर्ट में गयी और हाईकोर्ट ने जो रिलीफ दी उससे किसानों को साढ़े तेरह करोड़ रु0 का फायदा हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सरकारों को जिन्होंने किसान की लूट को बचाने का काम किया है। आज हमारी सरकार क्या कर रही है। अगर आपने धारा 29 में अमेन्डमेन्ट करके शीतगृह स्वामियों को खुली लूट की छूट दे भी दी तो मैं मांग करता हूं उसी धारा 29 के नियम 3 में यह भी प्राविधान दिया गया है, मैं पढ़कर सुना देता हूं।

"इफ दी स्टेट गर्वनमेन्ट इज आफ दी ओपीनियन दैट दी चार्जेज फिक्स्ड बाई ए लाइसेन्स अन्डर सब-सेक्शन (1) आर अनरिपसबिलिसिटी हाई देन नाट विद स्टैन्डिंग दी प्रोवीजन्स आफ सब-सेक्शन (1) दी स्टेट गर्वनमेन्ट मे वाई ए नोटीफाइड आर्डर फिक्स दी मैक्सीमम चार्जेज।"

यानि आपके हाथ में है आप या शीतगृह भाड़ा को कंट्रोल करना इसी हार्टीकल्चर ऐक्ट के मुताबिक और 130 रुपया कुन्तल अगर भाड़ा मांगा जा रहा है किसान से और उसकी लूट करने के लिए बैठे हैं शीतगृह स्वामी क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है उनका संगठन बड़ा मजबूत है, किसान बिखरा हुआ है उसका कोई संगठन नहीं है इसीलिए उसकी कोई वाइस नहीं है और उसी के लिए यह विधान सभा और सरकारों का गठन किया जाता है कि गैर संगठित लोगों के हित में काम करें। मैं आज यह मांग करता हूं इस सदन में कि 130 कुन्तल की दर किसानों से वसूला जाना इस देश के किसान के साथ बहुत अन्याय है और आज आप कुछ कहना चाहते हैं अगर आपके अन्दर चौधरी चरण सिंह का एक भी लक्षण बकाया है अगर आपके अन्दर किसान के प्रति लगाव है तो इस धारा का इस्तेमाल करते हुए किराया नियंत्रण और इस भाड़े की दर को आप खुद घोषित करने का काम करें।

मैं यह भी चाहता हूं कि आलू की खरीद के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया जाय अब यह जवाब देंगे कि सब्जी का सौदा है सड़ जायेगा। हम क्या करेंगे लेकिन प्राविजन है, नैफेड से खरीद करवाने का प्राविजन है और एक बार मुझे ध्यान पड़ता है हुई भी थी। अगर आलू ज्यादा पैदा हो जाय तो खरीद करवाने का प्राविजन है। चौधरी अजीत सिंह जब कृषि मंत्री थे तो एक प्रस्ताव आया था उसमें था कि उसमें घाटा हो सकता है नैफेड को तो उस घाटे की भरपाई आधी केन्द्र सरकार को और आधी प्रदेश सरकार को करनी थी। आधा पैसा प्रदेश सरकार को भुगतना है अगर किसान हित में कोई घोषणा करना चाहते हैं तो वह सहमति केन्द्र सरकार को भेज ही दीजिए। प्रस्ताव शायद वही होगा जो चौधरी अजीत सिंह जी के जमाने में रखा गया था। किसान का बहुत बड़ा भला हो जायेगा, वरना यह लूटकर खा जायेंगे। मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं फूड प्रोसेसिंग की जो इकाइयां थीं वह विभाजन के बाद उत्तराखण्ड में चली गयीं। आज हमारे सूबे का किसान जो उत्पाद है फल है, सब्जी है उसका उत्पादन बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़े हैं कि उसका 60 प्रतिशत वेस्ट हो जाता है! फूड प्रोसेसिंग के लिए बड़ी-बड़ी इकाई जैसे आलू से बोदिका बन सकती है। न्याय पंचायत स्तर पर कुटीर उद्योग लगाकर बड़ी पापड़, मुरब्बा, चिप्स, आचार, जैम, जेली, सॉस यह बनाने की अगर आप न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा दिला देंगे तो ग्रामीण जो बेरोजगार महिलायें हैं और बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ इसको कर सकते हैं और किसान भी बेरोजगार हैं जो साल के 8-9 महिना बेरोजगार रहता है उसको रोजगार भी मिल जायेगा और जो वेस्ट जाते हैं इक्स्ट्रा प्रोड्यूस उनका इस्तेमाल भी हो जायेगा। मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों पाले से आम के बौर को, आलू को और सब्जियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक ऐसी नीति जरूर बनाई जाये कि अगर इस तरह का नुकसान किसान का हो, तो उसकी भरपाई की जा सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर जनपद में भट्टों की वजह से आम की फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुयी है और उनके एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ा है। अतः इन सब चीजों के लिये कार्य योजना बनाने की मांग करते हुए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

* श्री विश्वनाथ-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि कृषि के बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन करने का अवसर आपने प्रदान किया है। मान्यवर, कृषि मंत्री जी का बजट अगर घड़ियाली आंसू हो तब तो कुछ कहना बेकार है। उन्होंने पहली पंक्ति पढ़ी और किसान के दर्द को बयां किया और उसकी ऊंचाई को आज की बदहाली को व्यक्त किया। वह था "उत्तम खेती मध्यम बान, निखिध चाकरी भीख निदान।" तो कभी-कभी पेट से बात करें तो अच्छा है, बात ऊपर से है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान भूखों मर रहा है। यह देश के लिये प्रदेश के लिये और समाज के लिये भयावह स्थिति है। इसकी चिन्ता सरकार को समाज को और विरोध पक्ष को राजनीतिक कुटनीति से हटकर करनी पड़ेगी। नहीं तो देश बड़ी भयावह स्थिति में जा रहा हैं इतना बड़ा देश, गंगा, जमुना का इलाका, कुदरत का वरदान इस देश को है फिर भी यह देश भिखमंगा बना हुआ है और बाहर से कर्ज और उधार अनाज ले रहा है। बोलो भई बेशर्म बोलो वन्दे मातरम्। यह हमारी कृषि का हाल है: मंत्री जी, मैं कुछ तात्कालिक समस्यायें रखूंगा क्योंकि समयाभाव है और आपकी उदारता का आभारी हूं अधिष्ठाता जी, उनकी कृपा और उनके आदेश की अवज्ञा नहीं करूंगा। उत्तम बीज आपने नहीं दिये हैं मुझे प्राइवेट में बीज लेना पड़ा। मैं भी एक किसान हूं और अभी चौधरी चरण सिंह जी की बात आई। चौधरी चरण सिंह जी ने 1983 दिसम्बर में मुझे टिकट दी थी लोकदल की। उनका इरादा था कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी कम से कम एक उप चुनाव तो जीते और इसके लिये मैं चुना गया और दिल्ली बुलाया गया। 23 नवम्बर, 83 की सुबह हमारी चौधरी साहब की 7 बजकर पांच-छः मिनट पर मुलाकात हुयी। मैंने प्रणाम किया, चौधरी साहब ने मेरी बांह पकड़ी ऐसे। एक हाथ तो खाली हो गया दूसरा हाथ उनके हाथ में था। बैठ गये मसनद पर हाथ पकड़े। मैं भी उनके साथ में बैठ गया। कहा बेटे तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है आज यह रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं इस सदन में। माननीय कृषि मंत्री जी यह प्रकरण सम्बन्धित आपसे है। उन्होंने कहा बेटे, तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है। मैंने ऐसे पलट दिया और कहा नहीं तो। मेरे हाथ में फावड़ा चलाने के निशान हैं, उन निशानों को पूरब में ठेला कहा जाता है।

मान्यवर, इस पर चौधरी साहब का चेहरा बदल गया, एक आभा कौंधी और मुझे लगा कि मेरी टिकट पक्की हो गयी, मैं बुलाया गया था, वह मकसद पूरा हुआ। चौधरी चरण सिंह जी जैसे भाव श्रमिक के प्रति और किसान के प्रति आप में भी उदित हों और आपके चेहरे पर भी वह आभा कौंधे, यह मैं चाहता हूं मंत्री जी। चौधरी साहब ने मेरी टिकट पक्की कर दी। लेकिन आपकी मजबूरी है मेरी टिकट तो फावड़ा चलाने के ठेले पर मिली थी और आपकी टिकट तो धेले पर मिली है। इसलिये आप की दुश्वारी है कि आप कंठ से बात करेंगे, पेट से नहीं करेंगे। उत्तम बीज आपने नहीं दिया, बीज किसान ले गया, जमा नहीं। असली बीज नहीं मिला। असली बीज के नाम पर नकली बीज बिका है और खाद की बात कह दूं। आप कहेंगें कि केन्द्र की सरकार ने कम खाद दी, हमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता ज्यादा थी। मैं आपको सूचना दूं, आपकी खाद नैपाल में गई है, बेची गई है, तस्करी भारी पैमाने पर हुई है। आप कहते थे कि तस्करी रोक रहा हूं पता नहीं मिलीजुली व्यवस्था तो नहीं थी, मिलाजुला इन्तजाम तो नहीं था, उसकी ओर ध्यान दीजिए नहीं तो अगली फसल चौपट हो जायेगी। पानी का तो गजब हाल है "कौन-कौन गुन बरनो तोय कहां लौ झगड़ों तोय" इस वक्त पानी नहीं है जब गेहूं की फसल की सिंचाई लाजमी है नहीं तो गेहूं की फसल चौपट हो जायेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहरों में पानी नहीं है। फसलों के लिए आवश्यक दवाइयां नकली हैं, असली आपके स्टोर की दवाइयां बाजार में हैं। फसल खरीद का मामला तो बड़ा बेतुका है जब फसल होती है तो खरीदारी आप नहीं करते हैं जब किसान का अनाज बिचौलिया व्यापारी ले लेता है तब आप क्रय केन्द्र खोलते हैं और खरीद के लिए जब आप मंत्री लोग अपनी पीठ अपने आप थपथपाने लगते हैं तो मुझे शर्म लगती है जितना आपने खरीद किया वह व्यापारियों और बिचौलियों से किया, आप इसकी जांच करवा लीजिए और वाजिब कीमत किसान को दीजिए पूरी सुविधाएं दीजिए और उनका भुगतान सुनिश्चित कीजिए। धान का तो भुगतान शायद हो आया है लेकिन मा0 मंत्री जी गन्ने वाले [illegible]

"हमीं से मोहब्बत हमीं से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई-दुहाई।"

गन्ना मंत्री जी आप जियें और गन्ने को नाकामी के, बदहाली के और सत्य [illegible] के स्तर पर पहुंचाये है। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात स[illegible] करता [illegible] धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

हम सदस्यों से निवेदन करेंगे कि कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें और पांच तथा छः दोनों पर बोलने का प्रयास करें।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम गांव, गरीब किसान को तो बांटने का काम बन्द कर दें। अभी आपके साहित्य में थारू जनजाति क्षेत्र की योजना लागू की गई है इसे जनपद बलरामपुर तक ही सीमित रखा गया है। बहराइच में भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, लखीमपुर में भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उनको इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। आपने वर्ष 2008-2009 में लक्ष्य रखा है कि 25 सौ हेक्टेयर में 204 लाख 82 हजार रुपये खर्च करेंगे। लेकिन जो आपने साहित्य दिया है उसमें देख लीजिए अक्टूबर, 2007 तक मात्र आपने 62 हेक्टेयर में 1 लाख 53 हजार रुपया ही खर्च किया है। जबकि 2005-06 और 2006-07 में 25-25 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। यह आपके आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसी के सापेक्ष आपकी दूसरी योजना है राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम की, इसमें आपने 2008-09 में लक्ष्य रखा है कि 60 हजार हेक्टेयर भूमि पर 3 हजार 600 लाख रुपये खर्च करेंगे। माह दिसम्बर, 2007 तक 7622 हेक्टेयर में आपने मात्र 515.21 लाख रुपये खर्च किया है,

जबकि 2005-06 में 1760.74 लाख रुपया 2006-07 में 1230.66 लाख रुपये खर्च किया गया है। आपका लक्ष्य 3,600 लाख वर्ष 2008-2009 में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 2007-08 की प्रगति है उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आप इतना रुपया इतने क्षेत्र में, आप खर्च कर पायेंगे। योजनायें जो आपने घोषित की हैं वह बहुत अच्छी हैं। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 242.01 लाख हेक्टेयर है, जिसमें कृषि योग्य भूमि 168.01 लाख हेक्टेयर है। आपने मौसम बीमा योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव बताया है। सनई विकास कार्यक्रम पर ध्यान दिया है, गन्ना विकास योजना की बात कही है, जैविक खाद के उत्पादन एवं प्रयोग की बात कही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन की बात कही है।

श्री अधिष्ठाता-

सुरेश्वर सिंह जी समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जैविक खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जैविक खाद की ज्यादा आवश्यकता है। मृदा परीक्षण की आपने बात की है, मृदा परीक्षण के लिए आपके पास लैबों की कमी है, लैब हैं भी तो आपके पास उपकरण नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कम से कम लैबों को तो व्यवस्था करा दें, उसमें उपकरण की व्यवस्था करा दें जिससे मृदा परीक्षण ठीक-ठीक ढंग से सम्भव हो सके।

श्री अधिष्ठाता-

सुरेश्वर सिंह जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, जहां तक किसानों की बात है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश का किसान बहुत हिम्मतवाला है, 11 फीसदी भूमि है, 21 फीसदी उपज देता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 11 फीसदी भूमि में 21 फीसदी उपज देने वाला यहां का हिम्मती किसान जो दैवी आपदाओं से ग्रसित रहता है, उसको प्रोत्साहन का काम सरकार को करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

(डा0 अजय तोमर व प्रतिपक्ष के कई अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग शान्त रहें। हम सभी सदस्यों से निवेदन करेंगे कि आगे अभी और बजट हैं उसमें अपनी बात रख लीजिएगा।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आपके जो भी सुझाव हैं वह माननीय मंत्री जी को लिखकर दे देंगे, माननीय मंत्री उसको दिखवा लेंगे।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आगे अभी और भी बजट है उसमें अपनी बात मा0 सदस्य रख लेंगे।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, दैवी आपदा से प्रभावित जो भी किसान हैं, चाहे बुन्देलखण्ड हो, बाढ़ से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के हो या सूखे से प्रभावित क्षेत्र के हों सभी किसानों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

(डा0 अजय तोमर, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, श्री राम विशुन आजाद सहित कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

श्री अधिष्ठाता-

जितने भी माननीय सदस्य नहीं बोल पाये हैं वह आज ही लिखकर दे देंगे उसे कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा।†

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मुझे दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने मंत्री जी को बुला लिया है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं कृपया मुझे दो मिनट सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब बजट पर सामान्य चर्चा होती है तो दोनों पक्षों के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है। विपक्ष के कई सदस्य बोल चुके हैं। इस सम्बन्ध में चौधरी साहब से बात भी हुई थी। अब हर सदस्य को अवसर देना तो सम्भव नहीं हो सकता। अगर समय देना ही है तो फिर दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर दें। अधिष्ठाता महोदय, जैसा आप चाहें यह तो आप पर निर्भर है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। डाक्टर साहब दो मिनट में अपनी बात रख दें।

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 132-147 पर।

डा0 अजय तोमर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी गुस्से में आ रहे हैं। जिस दिन वह वित्त मंत्री जी की हैसियत से बजट पेश कर रहे थे उस दिन वह चौधरी चरण सिंह के जमाने के वर्मा जी नजर आ रहे थे।

श्री अधिष्ठाता-

बजट पर बोलें।

डा0 अजय तोमर-

मंत्री जी ने यह कहा है कि कृषि उत्पादन क्षेत्र बढ़ाएंगे। यह सरकार गंगा यमुना के दोआब की जमीन पर गंगा एक्सप्रेस वे ताज एक्सप्रेस वैसी जैसी परियोजनाएं चलाने जा रही है जिसमें बहुत सारी उपजाऊ जमीन चली जाएगी। आप कृषि उत्पादन क्षेत्र क्या आसमान में बढ़ाएंगे या पाताल में। आपकी योजनाओं से दोआब की उपजाऊ जमीन नहीं बचेगी क्या बंजर भूमि को लाने का काम करेंगे। मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें बंजर भूमि सुधार की कोई योजना नजर नहीं आई। उपजाऊ भूमि चली गई बंजर सुधार नहीं हुआ। बीज और खाद कृषि विभाग के पहले कृषि विभाग को यही नहीं पता कि विभाग कौन सा है। इनका काम क्या है। बीज स्टोर हुआ करता था सीड स्टोर हुआ करता था उनमें बीज खाद, यूरिया, पेस्टीसाइड्स मिलती थी। खाद बेचने का काम सहकारिता वाले करेंगे फिर फायदा क्या। खाद के साथ-साथ सीड स्टोर व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश का सीड स्टोर जर्जर हालत में है। इसके पहले कृषि विभाग द्वारा दो तीन योजनाएं चलाई जाती थीं बीहड़ सुधार योजना, ई0ई0सी0 योजना इन दोनों योजनाओं के विषय में क्या करने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0 अजय तोमर-

इस बजट में पारदर्शिता का नारा दिया गया आपके अनेक उपकरण पड़े हुए हैं उन उपकरणों का क्या करेंगे, इन लोगों का क्या करेंगे ? मृदा परीक्षण के लिए जो किट्स है इसमें सब्सिडी देने का व्यवस्था करें जिससे किसान अपने खेत की मृदा का परीक्षण कर सके। कृषि आयोग गठित हो जिसमें वैज्ञानिक, विधायक व कुछ जानकार लोग हों। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने सुझाव आज ही लिखकर दे दें वह कार्यवाही में आ जायेगा।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे अनेक साथियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव रखे हैं, मैं उनका आभारी हूं। माननीय जैन साहब ने यह कहा था कि किसानों के ऋण कांग्रेस ने माफ किये और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कुछ इस तरह का काम नहीं किया। मान्यवर, मैं उनसे अनुरोध

करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो हमेशा फूट डालो और राज करो ही किया है। आज भी जो उन्होंने किसानों के ऋण माफ किये हैं उसमें भी भेदभाव किया है। 5 एकड़ तक के नीचे के किसानों के माफ किये हैं और उसके ऊपर के 2.5 माफ किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह बी0एस0पी0 ही की सरकार है जिसने 105 करोड रुपये ट्यूबवेल लगाने के लिये चाहे वह छोटे किसान हों या बड़े किसान हों दिये हैं। 100 करोड़ रुपये बुन्देलखण्ड के किसानों की कर्जा माफी के लिए दिये हैं, ब्याज माफी के लिये उसमें भी किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया गया है। मान्यवर, जहां तक हमारे जैन साहब ने यह बात कही थी कि किसान भूख से मर रहे हैं। मैं जैन साहब को बताना चाहता हूं कि हर अन्नदाता जमीन को अपनी मां कहता है खेत को अपनी मां कहता है, हम धरती को धरती माता कहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भूख से कोई किसान नहीं मर रहा है। भूख से किसान मर रहा है तो जहां आपकी कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में किसान भूख से मर रहा है। आपके शरद पवार जी ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में भूख से किसान मर रहा है। मान्यवर आपने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं ताकि किसान कर्जा ले। मान्यवर, यह क्रेडिट कार्ड हमने नहीं बनवाये हैं यह आपके माननीय नरसिंम्हा राव जी ने बनवाये थे। किसानों को कर्ज लेना इस देश में कांग्रेस ने सिखाया है। पहले भारत के किसान सम्पन्न होते थे। जहां तक मान्यवर, कांग्रेस और किसानों के हित की बात है जब देश आजाद हुआ तो पहली पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का केन्द्र में 14.08 प्रतिशत बजट खेती पर खर्च किया जाता था और कांग्रेस के शासन में दूसरी योजना में 11.8, आठवीं योजना में 5.2 नवीं योजना में 4.9 और दसवीं योजना में 5.2 तो मान्यवर यह कांग्रेस का चरित्र पूरे देश के किसानों के सामने है प्रदेश के किसानों के सामने है। यह कितनी बड़ी हितैषी किसानों की सरकार है। मान्यवर, जहां आज ऋण माफ करने की स्थिति आ रही है कांग्रेस ने इस देश के किसानों को भिखारी बना दिया है जिससे यह ऋण माफ करने की स्थिति आई है। यह कांग्रेस के ही तो शासन में आई है, सबसे लम्बा कांग्रेस का ही शासन तो रहा है। कांग्रेस के शासन काल में देश के और प्रदेश के किसानों का सम्मान गिरा है और किसान ऊपर से नीचे की ओर पहुंच गया है। जैसा मैंने कहा था कि उत्तम से निषिद्ध बना दिया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आदरणीय विश्वनाथ जी ने बीज और दवाओं के सम्बन्ध में एक बात कही थी, शायद चले गये हैं। चौधरी साहब बैठे हैं मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय में आप कहीं का लिखकर दे दीजिये, जहां की भी शिकायत होगी उसकी तत्काल जांच होगी, तीन दिन में कार्यवाही कराकर उनको सूचित करा दिया जायेगा। हमारे जैन साहब एक और बात कही थी बारिश कराने के लिये, कृत्रिम बारिश के लिये। मैं आपसे अनुरोध कर दूं हमारे विभाग ने झांसी मण्डल के कमिश्नर और अपने ज्वाइंट डायरेक्टर को आन्ध्र प्रदेश में भेजा वो वहां से रिपोर्ट ले आये हैं और मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंप दी गई है, विशेषज्ञ इसका परीक्षण कर रहे हैं। 50 किमी0 के बीच में 20 करोड़ रुपये का खर्च आता है। यदि वैज्ञानिकों ने अपनी सहमति जाहिर कर दी तो निश्चित रूप से यह सरकार उसका प्रबन्ध करेगी।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अभी अजय तोमर जी कह रहे थे और एक बात जैन साहब ने कही कि मा0 वित्त मंत्री जी ने 5.7 की दर बताई और हमने 5.1 दर बताई इसमें अन्तर है

तो मैं बताना चाहूंगा कि जो 5.1 में दर बताई है वह शुद्ध कृषि की दर है और जो 5.7 दर है यह कृषि के साथ जो अन्य कार्यक्रम है वह है।

श्री अम्बिका चौधरी-

कृषि के साथ अन्य कार्यक्रम क्या हैं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जैसे पशु पालन है, मत्स्य पालन है। तोमर साहब ने एक और बात कही थी योजनाओं के सम्बन्ध में। किसानों के हित की योजनायें हैं इसी बारे में तो हैं। उद्यान के सम्बन्ध में, कोल्ड स्टोरेज चालू है। (शोर) बीच में भर्तियां रुकी हुई थीं अब बहन मायावती जी ने भर्तियां खोल दी हैं अब इसका प्रबन्ध किया जाएगा। एक बात हमारे भाई अनिल जी ने कही थी, तो जिस समय मैं 1998 में उद्यान विभाग देख रहा था आपको जानकारी होनी चाहिए मध्य प्रदेश में 817 कोल्ड स्टोरेज थे। उसमें से भी पचासों कोल्ड स्टोरेज बन्द थे मेरी नीति के कारण 1336 कोल्ड स्टोरेज है अगर उसको नहीं किया जाता तो कोल्ड स्टोरेज किसी कीमत पर नहीं बढ़ सकते थे। आलू सड़ जाता। मान्यवर, एक बात हमारे डाक्टर साहब ने यह कही थी कि चौधरी अजीत सिंह जी जब कृषि मंत्री जी थे तो उन्होंने एक नियम बनाया कि जो आलू सड़ जाएगा, इसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव न तो केन्द्र सरकार में बना, न कोई सूचना प्रदेश सरकार के पास आई, कि इस तरह का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने किया हो। जहां इस तरह की सूचना आएगी तो इस पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा। आदरणीय जैन साहब से मैं अनुरोध करूंगा मैंने अपनी बातों को यहां रखा है आप उसको देखते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। आप जो सुझाव देंगे उस पर निश्चित रूप से गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, जो मंत्री जी ने बातें कही हैं कृत्रिम बारिश की बात कही है बहुत अच्छा प्रयास है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं मान्यवर, झांसी में मरारी फार्म है वह 90 एकड़ का है उसमें बाउन्ड्री नहीं है। पिछली बार भी हमने प्रयास किया था और जो आपको विश्वविद्यालय खोलना है वह झांसी में खुल सकता है। हम चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड में एक जगह है उरई वहां अकाल जैसी स्थिति है। मान्यवर, कांशीराम ग्राम विकास योजना में विद्यालय खोलने की बात है उसमें एक उन्नत को लेंगे एक अवनत को लेंगे तो एक-एक पश्चिमी, पूर्व में ले लें। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा शोध कार्य पर पैसा खर्चा हो। हमारे मन में एक बात है कि जो आपके यहां समस्यायें हैं जैसे कि खण्ड प्रसार अधिकारी नहीं है, भूमि संरक्षण अधिकारी नहीं है, ...

श्री अधिष्ठाता-

जैन साहब आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मैं आपकी बात का पालन करते हुए आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी उत्तर प्रदेश की सरकार को केन्द्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने तीन गुना बजट दिया है ....

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

ठीक है, मान्यवर, हम आपकी बात का पालन करते हुए आपका संरक्षण चाहते हैं, मान्यवर, इस उत्तर प्रदेश की सरकार को केन्द्र की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने तीन गुना बजट दिया।

श्री अधिष्ठाता-

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, मेरी बात तो पूरी हो जाय। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 60 हजार करोड़ रुपये दिए, मंत्री जी उस बात को नहीं स्वीकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना बजट मांगा, उसका साढ़े तीन गुना दिया। उसका आभार मानने के बजाय, कांग्रेस की कमियां बता रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मैं कटौती पर बल देता हूं।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर पूरे नहीं तो जो डार्क ब्लाक घोषित हैं, उनमें योजनाएं लागू करें तो किसानों का बड़ा भला होगा। मैंने बीज की बात की थी, 2 करोड़ कुन्तल के बजाय आप उससे बहुत कम सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,45,32,96.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,86,06.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,45,22,15.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यह सहकारिता आन्दोलन इस प्रदेश में लघु एवं सीमान्त किसानों के हित को ध्यान में रखकर स्थापित करने का काम किया गया था। स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की बेहतरी के लिए अनेक सपने संजोये थे और उन्हीं तमाम महत्वपूर्ण सपनों में एक सपना सहकारिता का भी था। मान्यवर, देश की आजादी के साथ-साथ जब यह देखा गया कि छोटे-छोटे किसान साहूकारों के शिकंजे में फंसकर तबाही के कगार पर पहुंच जाया करते हैं तो इन साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए इस सहकारिता ढांचे को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के पैमाने पर फैलाने के लिए संकल्प लिया गया। लेकिन मान्यवर, देश की आजादी के 60 सालों में जो सहकारिता के सम्बन्ध में वास्तविकता रही है उससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना संजो करके सहकारिता आंदोलन को चलाने का संकल्प लिया उनका वह सपना साकार नहीं हो पाया और मान्यवर, इसीलिए हर प्रदेश में वहां

की भिन्न-भिन्न संस्कृति एवं स्थितियों को जोड़ने के लिए भारतीय संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की राज्य सूची में सहकारिता को शामिल करने का काम किया था। मान्यवर, पवित्र उद्देश्यों को लेकर के इस सहकारिता आंदोलन का गठन किया गया लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में जिन-जिन लोगों पर सहकारिता की जिम्मेदारी आयी और एक लम्बे अर्से तक जो सत्ता में कुण्डली मारकर बैठे रहे सहकारिता आंदोलन के मकसद को दिग्भ्रमित करने का काम किया और जो इस आंदोलन को स्थापित करने का संकल्प था उसमें कहीं न कहीं सवालिया निशान लगाने का काम किया गया। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में सात हजार चार सौ उन्यासी प्राथमिक साधन सहकारी समितियां हैं जिसमें से 12 सौ साधन सहकारी समितियां निष्क्रिय हो गयी हैं। मान्यवर, आज सहकारिता से लोगों का विश्वास उठ गया है क्योंकि जो लोग भाई-भतीजा परिवारवाद के नाते रिश्तेदारों का मकड़जाल बनाकर इस सहकारिता के शीर्ष पदों पर प्राथमिक साधन सहकारी समितियों से लेकर केंद्रीय समितियों तक कुण्डली मारकर बैठ गये थे उन्होंने इसको तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मान्यवर, करीब 50 जिला सहकारी बैंकों में से आज 29 जिला सहकारी बैंक मृतप्राय हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से आज बजट प्रस्तुत करते समय यह बताना चाहता हूं कि जिन साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीबों, किसानों को बचाने के लिए इसका संकल्प किया गया था आज 60 वर्षों में भी वह असत्य साबित हुआ और आज भी गाहे-बगाहे वह साहूकारों के चंगुल में फंसकर दम तोड़ता नजर आता है।

(इस समय 4 बजकर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, यद्यपि कि 2007 तक इससे जुड़े हुए लोगों की संख्या एक करोड़ चौवालीस लाख हो गयी है लेकिन व्यवहारिक रूप में जो सक्रिय रूप से सहकारिता से लेन देन करते हैं, साथ जुड़े हैं उनकी संख्या बत्तीस लाख है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने "सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय" की नीति के तहत समाज के गरीब और कमजोर लोगों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और साथ ही साथ उनके उत्थान के लिए, छोटे किसानों को भी ऋण दिलाने के लिए सहकारिता के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए संकल्प लिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में जिस तरीके से सहकारिता में तमाम समस्याएं पूर्व में नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे हुए लोगों ने इसको तबाही की कगार पर लाया है, इन्हीं तमाम समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने इसको मजबूत करने की दिशा में पहल करने के लिए प्रो0 वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनायी। प्रो0 वैद्यनाथन ने इसको फलीभूत करने के लिए तमाम सुझाव और दिशा निर्देश प्रख्यापित करने का काम किया है और उसी दिशा में हमने उनसे समझौते के तहत क्रियान्वयन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आडिट कार्य करवाने का काम किया है। पूर्व में कई वर्षों से लगातार सहकारिता में आडिट कार्य नहीं चलाया गया था और जिसका परिणाम यह रहा कि तमाम हमारी साधन सहकारी समितियां जिला सहकारी बैंक आज जीर्णशीर्ण और जर्जर हालत में पहुंच गये हैं। मान्यवर, इसी क्रम में मैं

आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में सघन अभियान चलाकर जो आडिट का काम कराया गया और साथ ही साथ इसमें गतिशीलता देने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम 1965 में संशोधन भी किया गया। साथ ही साथ मान्यवर, इसको सशक्त आंदोलन के रूप में स्थापित करने के लिए सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने जो सक्रियता दिखायी है उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी की मंशा के अनुरूप बड़े पैमाने पर गति प्रदान करते हुए अभियान चला करके कम समय में ही 6073 बैंक के आडिट कार्य को पूरा कराने का कार्य किया। मान्यवर, अधिकारियों की सक्रियता से समयबद्ध आडिट कार्य पूरा कराने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने जो प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति का गठन किया था और समिति की संस्तुतियों के मुताबिक जो आपसी समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सहकारिता को धन मिलना चाहिए था उसके तहत 551 करोड़ के ग्रान्ट्स तथा 50 करोड़ राज्यांश का धन अवमुक्त होने जा रहा है।

मान्यवर, यह एक बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है क्योंकि देश के इन 60 सालों में जिन लोगों की गलत नीतियों, काले कारनामों के फलस्वरूप आज इसकी जरजर हालत बनी है, हम उसको सुदृढ़ कर सकेंगें। मान्यवर, इसके साथ ही साथ इसको लोकप्रिय बनाने के लिए, सहकारिता से जन-जन को जोड़ने के लिए, काम को और तेजी से बढ़ाने के लिए रिवाइवल पैकेज के अन्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन हेतु भी नाबार्ड स्तर पर योजना तैयार की जा रही है। मान्यवर, कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम भी लागू करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ समितियों के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने का भी कार्य चल रहा है। मान्यवर, आज इसको सशक्त स्वरूप प्रदान करने के लिए, फिर से सहकारिता के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए और साथ ही साथ लोगों को इससे जोड़ने के लिए मान्यवर, हमने स्वयं इतने ही कम समय में तमाम मण्डलों के जनपदों का दौरा किया, जगह-जगह गोष्ठियां की और साथ ही साथ अधिकारियों को भी इस बात के लिए निर्देश दिये कि सहकारिता से जुड़े हुए लोगों के साथ सकारात्मक सहयोग देते हुए इस सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना सक्रिय योगदान दें और साथ ही साथ मान्यवर, हमारा प्रयास होगा,

(विपक्ष की तरफ से संक्षिप्त करो की आवाज आने पर)

आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम संक्षिप्त करने का प्रयास करेंगें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयास होगा कि जनता का पैसा जनता के लिए उसका उपयोग हो। जनता के पैसे को, सहकारिता आन्दोलन का अपने को महारथी बता कर उसको किसी को बेफजूल खर्च करने की छूट नहीं दी जायेगी और मान्यवर, आपके माध्यम से हम यह भी बताना चाहते हैं कि एक ओर जहां हम संस्थाओं को मजबूत करने के लिये लगे हुए हैं वहीं तमाम जो अनियमिततायें हैं और विशेष रूप से बिचौलियों के माध्यम से मिलकर जो गाढ़ी कमाई का पैसे का बहुत गोल माल किया गया, उस सम्बन्ध में अभियान चलाकर के उसके खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित कर रहे हैं और मान्यवर, अभी मात्र कुछ ही महीनों की हुई इस सरकार में कुल 127 गबन के मामलों

में एफ0आई0आर0 हमने लिखायी और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का काम किया है जिसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के माध्यम से की जा रही है।

मान्यवर, यही नहीं हमारा प्रयास यह है कि खाद, बीज या अन्य उर्वरक, रसायनिक खाद और बीजों के वितरण की समुचित व्यवस्था की जाये और मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने जिस विश्वास के साथ सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मुझको सौंपी थी और अपेक्षा की थी इसी क्रम में हमने प्रयास भी किया है। पूर्ववर्ती सरकारों में प्राथमिक साधन सहकारी समितियों के माध्यम से बटवाये जाने वाली खाद, अन्य उर्वरक, रसायनिक खाद और बीज बिचौलियों के माध्यम से ब्लैक मार्केटिंग का शिकार हो जाया करती थी। हमने प्रयास किया और समुचित वितरण कराके सीधे किसानों के हाथ में पहुंचाने का काम किया। यह भी एक ऐतिहासिक काम हुआ है। यही नहीं हमने उसमें और भी सक्रियता से किसानों को उर्वरक बीज सुलभ कराने के लिये मान्यवर, एडवांस स्टाकिंग शुरू की है। पहले से ही इसके भण्डारण की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष जून के पहले एक लाख टन वितरण का समय आने के पहले भण्डारण की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है और मान्यवर, हमारा प्रयास होगा कि आगामी खरीफ फसल के लिये 15 जून के पहले प्रदेश के सभी जिला के गोदामों में इसका वितरण सुनिश्चित करा दिया जाये। अभी तक था कि किसान विभाग के पास जाता था। हमारा प्रयास है कि अब किसान विभाग के पास नहीं आयेगा बल्कि सहकारिता विभाग किसान के पास जायेगा। यही नहीं मान्यवर, हमने कार्यक्रमों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिये भी कदम उठाये हैं। सहकारी समितियों में सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये एवं आडिट कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में हमने स्वयं जनपदों का दौरा करके समय-समय पर उन सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने का काम किया है और उसी का परिणाम यह हुआ कि जो समय सीमा तय की थी उस समय तक 6073 समितियों का आडिट कार्य पूरा हो गया था। इसी के साथ-साथ जैसी कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है माननीया मुख्य मंत्री जी की नीति है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त प्रशासन स्थापित करने की जो नीति बनी है इसी के तहत सहकारिता से भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का एक सघन अभियान चलाया है और 127 मामलों में अभियोग दर्ज कराकर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित करने का काम किया है। मान्यवर, इस वित्तीय चालू वर्ष 15-2-08 तक 2039 करोड़ फसली ऋण का वितरण किया जो विगत वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में 456.2 करोड़ ज्यादा है। मात्र इतने ही कम समय में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और इसके साथ ही साथ दीर्घकालीन ऋणों की वसूली बढ़ाने और किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिये एक मुश्त समाधान योजना भी चालू किया गया और जिसके माध्यम से 2 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज एवं उसके साथ-साथ मान्यवर, अतिरिक्त ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट देते हुए 21-1-08 तक 39346 किसानों को 11.67 करोड़ रुपये का लाभ दिलाया गया। मान्यवर, यद्यपि कि एक लाख के नीचे की वसूली पर रोक है उसके बावजूद हमने अभियान चलाकर स्वप्रेरित करके

तमाम ऐसे किसानों को तैयार करके लगभग 75 करोड़ रुपये की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा कराने का काम किया है। मान्यवर, इसी क्रम में मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि सहकारी ऋण अधिकोषण योजना संचालित करके इसके सफल क्रियान्वयन के लिए भी हमने एक साहसिक कदम आगे बढ़ाया है और सहकारी साख व्यवस्था सहकारिता की धुरी है और जिस साख को पूर्ववर्ती सरकार में बैठे हुए लोगों ने दीपक की तरह चाटकर चाट लिया। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार में बैठे हुए लोग जो अपने को सहकारिता का माई कहते थे, "जो कहते थे अपने का सहकारिता का माई" उन्होंने ही सहकारिता की साख है गिराई। मान्यवर, एक हो तो काम चल जाय भाई भी, भतीजा भी, चाचा भी, भयाहू भी, नाते रिश्तेदार भी क्या होगा ?

"बर्बाद गुलिश्ता करने को एक ही उल्लू काफी है,
जंहां हर साख पे उल्लू बैठे हों, अंजामें गुलिस्तां क्या होगा।"

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इनका कोई जोड़ नहीं है ये अकेले ही काफी हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और यही कारण है वह जानते थे आज हमला होगा इसीलिए मेरे सदन में इस बजट को प्रस्तुत करने के पहले मैदान छोड़कर वह सारे के सारे लोग भाग गये और मान्यवर, हमारा प्रयास है उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन आदि वस्तुओं को उचित दर पर समितियों के माध्यम से किसानों को पहुंचाना और साथ ही साथ अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के माध्यम से मान्यवर, हमने त्रिस्तरीय ढांचा, जो पैक्स समितियां हैं, प्राथमिक साधन सहकारी समितियां हैं, जिला सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक, इसके माध्यम से किसानों को बड़े पैमाने पर समय-समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मान्यवर, पैक्स के माध्यम से नगद एवं अंशधारक के रूप में प्रत्येक फसल के लिये ऋण दिया जा रहा है और उसकी वसूली उसी फसल से की जा रही है। मान्यवर, वर्तमान में यानि 15-2-2008 तक 2039.17 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 456.21 करोड़ अधिक है। वर्ष 2008-2009 में 2600 करोड़ के फसली ऋण बांटने तथा 6 लाख नये सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, सस्ते ब्याज दर पर फसली ऋण की व्यवस्था की गयी है और 6 प्रतिशत ब्याज की दर पर हमने 66.60 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान के रूप में व्यवस्था की है और मान्यवर, 2008-2009 में इस व्यवस्था को चलाये रखने का कार्यक्रम है जिसमें हमने 76.64 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित किया है।

मान्यवर, अबकी बार नया अभियान चलाया गया है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सहकारिता से जोड़ने के लिये सहकारी समितियों का सदस्य बनाने हेतु 2008-2009 के बजट में 80 लाख रुपये की व्यवस्था पहली बार की गयी है। मान्यवर, इसी तरीके से दीर्घकालीन ऋण वितरण के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश में 323 शाखाओं के माध्यम

से लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी, डेरी एवं मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, वाहन एवं पशु इत्यादि के लिये बड़े पैमाने पर ऋण की व्यवस्था कराई है। मान्यवर, इसके क्रम में हमने 2007-2008 में 425 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 15-2-2008 तक 298.61 करोड़ का ऋण वितरण किया है और इसके क्रम में हम यह अवगत कराना चाहते हैं कि 2008-2009 हेतु हमने 500 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है और मान्यवर, इस वर्ष जबकि पूर्ववर्ती सरकार में बैठे हुये लोगों ने खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया था इसका। लेकिन एक अभियान चलाकर हमने 75 करोड़ की अधिक वसूली लाकर के उसको फिर से स्थापित करने का शुभारम्भ किया है। मान्यवर, यही नहीं दीर्घकालीन ऋण में तमाम बड़े पैमाने पर बिचौलियों के माध्यम से मिलीभगत करके धन का दुरुपयोग किया जाता था। फोटो किसी का नाम किसी का, कर्जा कोई लेता था और उसको तब पता लगता था जब उसके पास वसूली के लिये कभी कुर्की आती थी और कभी वहां पर जब आर0सी0 कटती थी तब मालूम होता था। हमने ऐसे मामलों में एक सघन अभियान चलाकर ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिये जो आज इस सहाकारिता की साख पर धब्बे बन रहे थे। अभियान चलाया और 73 लोगों के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज कराकर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही किया है। यही नहीं एक ही स्थान पर हम उर्वरक, प्रमाणिक बीज और कृषि की अन्य सुविधाएं देने के लिये हमने सहकारी कृषि निवेश, आपूर्ति और वितरण योजना भी संचालित की है और मान्यवर, यही कारण है कि इस योजना के तहत हमने लगभग 8279 सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से इस चालू वर्ष 2007-2008 में 34.86 लाख मीट्रिक टन उर्वरक तथा 6.05 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष 15 फरवरी, 2008 तक 30.28 लाख मीट्रिक टन उर्वरक तथा 5.53 लाख कुन्तल उन्नतशील बीज का वितरण किया है। अभी हमारे कुछ साथी कृषि मंत्री से कह रहे थे कि हमें उन्नतशील बीज नहीं देते हैं। हम बीज देने के लिए तैयार हैं, किस वैराइटी का चाहिए, किस किस्म का चाहिए और जिस प्रकार का बीज आप चाहते हैं मैं देने के लिये तैयार हूं यह ऐसा बीज है जो अच्छी फसल देगा और आपकी तरक्की होगी। मान्यवर, इस तरीके से प्रदेश के उर्वरक वितरण में सहकारी क्षेत्र का योगदान 41 प्रतिशत रहा है।

मान्यवर, यही नहीं जैसा कि मैंने पूर्व में यह अवगत कराया कि भण्डारण के नाते आने वाले समय में जो खाद, बीज और उर्वरक का अभाव पड़ता है वह अभाव अब नहीं पैदा होने पायेगा। हमने सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए भी एक सघन अभियान चलाया है, जिसे पी0सी0यू0 द्वारा संचालित 6 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से लघु स्तरीय कर्मचारियों को एवं मध्यम स्तरीय कर्मचारियों को इन्दिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों को आई0सी0सी0एम0आर0टी0 द्वारा प्रशिक्षित किये जाने का काम किया जा रहा है और मान्यवर, अनुसूचित जाति/जनजाति के सहकारी सदस्यों पदाधिकारियों को प्रश्रय दिलाये जाने के लिए मान्यवर, इस वर्ष 50 लाख रुपये का बजट अलग से प्राविधानित किया गया है जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इसकी व्यवस्था नहीं की। यही नहीं समन्वित विकास के लिए एकीकृत सहकारी विकास योजना का

संचालन किया गया है और जिसके नाते प्रदेश के कुछ चुने हुए जनपदों में यह अभियान चला करके इसे और वृहद् रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष हमारी सरकार ने एक नया और फैसला लिया है, जो ऐतिहासिक फैसला है और साथ ही साथ इस सहकारिता आन्दोलन में चार चांद लगाने के लिए इसकी साख को आगे बढ़ाने के लिए जन-जन में विश्वास पैदा करने के लिए हमने अबकी बार सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।

मान्यवर, इसीलिए हमने यह पुरस्कार "मान्यवर, कांशीराम सहकारी पुरस्कार योजना" के माध्यम से संचालित करने का काम किया है और इस मद में हमने 25.23 लाख रुपये का बजट प्राविधानित किया है। यह योजना हमारी सरकार ने देश की आजादी के पचास सालों में पहली बार प्रारम्भ करने का काम किया है। इसी तरीके से हम यह अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से हमने 2007-2008 में लगभग 25 सौ करोड़ यानि कि दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा था जिसके सापेक्ष हमने 15 फरवरी, 2008 तक 2039.17 करोड़ का ऋण वितरित किया, जो गत वर्ष की तुलना में 456.21 करोड़ अधिक है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम्य विकास बैंक के माध्यम से 323 शाखाओं के द्वारा हमने तमाम इस प्रकार के ऋण वितरण का काम किये जिसमें 425 करोड़ के सापेक्ष 298.61 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है और इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमि0, पी0सी0एफ0 जिसका गठन 1945 में हुआ था, खाद बीज और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिये, लघु और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, सहयोग देने के लिए समय-समय पर निर्धारित मूल्यों पर किसानों को गेहूं, धान का क्रय और भण्डारण करने के लिए यह हुआ था।

मान्यवर, 2007-08 में हमने इसके माध्यम से 1945.71 करोड़ वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 31-1-2008 तक 1196.84 करोड़ का व्यवस्था किया जो गतवर्ष के इसी अवधि की तुलना में 564.00 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरीके से सहकारिता से जुड़े हुए व्यवसाय करने वाले लोगों से सहकारिता आन्दोलन के उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने के लिए हमने उपभोक्ता व्यवसाय भी प्रारम्भ किया है और इसके माध्यम से हमने 2007-08 में 80 करोड़ रुपये का व्यवसाय के लक्ष्य के सापेक्ष 31-1-08 तक रुपया 87.52 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है। यही नहीं हमने उ0प्र0 में सहकारी विधायन एवं शीत गृह संघ लिमिटेड, पैक्स-फेड, जिसका गठन 25 नवम्बर, 1974 को हुआ था और 1995 में पैक्स-फेड, को एक निर्माण एजेंसी के रूप में मान्यता दी गयी। हमने वर्ष 2007-08 में 14,350 लाख के व्यवसाय के सापेक्ष हमने 8007 लाख रुपये का व्यवसाय किया है। इसी तरह से हमने पी0सी0एफ0 के माध्यम से जन सामान्य का विभाग बनाने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षित करने का भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जिसके फलस्वरूप 2007-2008 में 64,607 सदस्यों को शिक्षित करने का काम किया। साथ ही साथ 3486 लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया है। मान्यवर, इसको बेहतर बनाने के लिए हमने सहकारिता मासिक पत्रिका और सहकारिता साप्ताहिक

पत्र का भी प्रकाशन नियमित रूप से संचालित करने का काम किया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमि0 के माध्यम से हमने 2007-08 में 30 करोड़ के निर्माण व्यवसाय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके सापेक्ष 15 फरवरी, 2008 तक 26.50 करोड़ का व्यवसाय हम कर चुके हैं और मान्यवर, 2008-09 में हमने 36.00 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है इसी प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के माध्यम से जिसका गठन 1958 में हुआ था, हमने तमाम कृषि, बीज, खाद, उर्वरक एवं अन्य अभिसूचित वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण की व्यवस्था की है। वर्ष 2007 में 27.48 लाख मी0 टन भण्डारण क्षमता कुल थी जिसमें 24.54 लाख मी0टन है उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड की है। इस तरह से सहकारिता आन्दोलन जिसको पूर्व में बैठे हुए लोगों ने ध्वस्त कर दिया तहस नहस कर दिया था उसे पुनर्जीवित करने के लिए हमने समय-समय पर एक नहीं अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं यही नहीं मान्यवर, हमने अभियान चलाकर जहां पर विभिन्न मण्डलों में साधन सहकारी समितियों से सम्बन्धित 126 मुकदमें दर्ज कराए हैं। भूमि विकास बैंक से सम्बन्धित मामलों में हमने कुल 73 मुकदमें दर्ज कराए हैं। हमने तमाम ऐसे लोग जो खाद वितरण में लापरवाही करते थे कहीं घटतौली किया करते थे कहीं न कहीं वह किसानों को न पहुंचाकर साहूकारों की गोदामों में पहुंचाया करते थे। खुद हमने कई जगह छापे मारे। शासन स्तर पर हमने अधिकारियों की टीम बनाकर पूरे प्रदेश में लगातार अभियान चलाकर एक नहीं अनेक छापे मारे जिसमें 20 लोगों के खिलाफ मौके पर जाकर पकड़ा गया एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई यहां तक गैंगेस्टर भी लगाया गया और उनको जेल भेजा गया उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। इसलिए आज जो बहन कुमारी मायावती की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरकार है उसमें अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं इसी क्रम में सहकारिता में भी तमाम ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। अभी हमारे विपक्ष के सदस्य न चाहते हुए भी परम्परा के अनुसार कटौती का प्रस्ताव रखेंगे लेकिन मान्यवर, मैं तो चाहूंगा कि अगर आप लोग अपना बदनुमा दाग मिटाना चाहते हैं और अपना कलंक धोना चाहते हैं तो एक स्वर से बिना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हुए इसको पारित करने का काम करिए जिससे उत्तर प्रदेश की जनता आपको बधाई देने का काम करे। धन्यवाद।

*श्री दीपनरायण सिंह 'दीपक यादव'-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या -18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सहकारिता आन्दोलन की कार्यशैली इतिहास की चर्चा की। मैं बैठे-बैठे सुन रहा था पहली बार चुनकर आया हूं उनकी सारी बातों को सुनकर मुझे महसूस हुआ कि बात कमजोर हो तो तेज आवाज में करनी चाहिए। जब बात-बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजबूत हो तो धीमे स्वर में काम चल जाया करता है। मंत्री जी ने जिस तरह से आरोप-प्रत्यारोप लगाए जो स्थितियां हैं समाज में जो सहकारिता का रूप है और उस पर एक चर्चा की है। निश्चित तौर पर हम लोग काफी दिनों से छोटी उम्र होने के बाद भी को-आपरेटिव से जुड़े हैं। मैं दो बार जिला को-आपरेटिव सहकारी बैंक का चेयरमैन भी रहा हूं मुझे काफी समय तक इस आन्दोलन में काम करने का मौका मिला है निश्चित तौर से यह महत्वपूर्ण विभाग है और इससे पूरे प्रदेश के किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अभी आदरणीय माननीय कृषि मंत्री जी ने अपनी चर्चा की। अगर को-आपरेटिव सिस्टम कमजोर हो जाय तो माननीय मंत्री जी की सारी घोषणायें अपनी जगह रखी रह जायेंगी मैं इसलिए कहने को मजबूर हूं कि जो भी व्यवस्था है कृषि पर आधारित, किसानों की तरक्की के जो भी ख्वाब सरकार दिखा रही है उसकी नींव सहकारिता से डाली जाती है, सहकारिता से चलती है और सहकारिता से मिलती है। माननीय मंत्री जी के सामने मैं उतना लम्बा भाषण तो नहीं दूंगा जितनी लम्बी बात उन्होंने अपने भाषण में कही है लेकिन उनके आंकड़ों से मैं उनकी बात को सदन के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 31-3-07 तक कुल कृषक संख्या 143 लाख थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि लगातार जब से यह सरकार बनी है को-आपरेटिव को मजबूत करने के लिये जबरदस्त प्रयास किये जा रहे हैं, सदस्यता बढ़ाई जा रही है और उन्हीं के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और यह प्रयास किया है कि पिछली सरकार में इस आन्दोलन को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, कुछ लोगों ने चलाने का प्रयास किया है लेकिन यह आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आपका सिस्टम फेल है और पिछड़ा आंकड़ा साफ है। आपके आंकड़ों के अनुसार 2006-2007 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी सदस्य बनाने का लक्ष्य 5 लाख रखा गया था और सदस्य बनाये गये 1 लाख 71 हजार। माननीय मंत्री जी आपके समय में लक्ष्य रखा गया 6 लाख का और सदस्य बने 1.13 लाख। यानि एक लाख 13 हजार। इसमें ही इतना अन्तर। इसके बाद आपने कहा कि हमने अपने अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया कार्यवाहियां की गईं पूंजी अंश धन बढ़ा है। यह भी आपका आंकड़ा बता रहा है। पिछली सरकार के समय 2005-2006 के समय सदस्यों का अंश दान का लक्ष्य रखा गया 850 लाख और उसके सापेक्ष में उपलब्धि आई 412.73 लाख। माननीय मंत्री जी आपने लक्ष्य रखा 1020 लाख लेकिन उपलब्धि क्या आई ? 180.95 लाख। आप किस स्थिति में खड़े हैं आप स्वयं आंकलन कर लें। आपने ऋण वितरण के सम्बन्ध में जोर दिया कि हमने लक्ष्य रखा बढ़ा टारगेट बनाया गया अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाने की योजनाएं बनाई गई। आपका ही आंकड़ा बता रहा है कि अल्पकालीन ऋण में आपने जो योजना बनाई पिछली मुलायम सिंह जी की सरकार में 1800 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था और उसके सापेक्ष जो वितरण हुआ 18 हजार 88 करोड़ रुपये लक्ष्य से अधिक वितरण हुआ। मान्यवर, आपने प्रयास क्या किया ? आपने 2007-2008 में अल्पकालीन ऋण का लक्ष्य रखा 2500 करोड़ रुपये 1844 करोड़ रुपये आप बांट पाये हैं। आपने मध्यकालीन ऋण में लक्ष्य रखा 8 करोड़ रुपये रखा। पिछली

सरकार में 8 करोड़ रुपये लक्ष्य रखा गया और उसके सापेक्ष 6 करोड़ 37 हजार रुपये का वितरण हुआ, लक्ष्य उपलब्ध हुआ। आपने 8.50 करोड़ रुपये रखा और जिसके सापेक्ष 3.55 लाख रुपये आप बांट पाये। आपने दीर्घकालीन ऋण की बात करी। बहुत बड़ा बजट आपने प्रस्तुत करने का प्रयास किया आपका ही आंकड़ा बता रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में 607 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था और उपलब्धि पाई थी 485 करोड़ रुपये और आपने क्या लक्ष्य रखा है 425 करोड़ और उपलब्धि क्या है 276 करोड़ ? तो मान्यवर, आप भाषण बहुत अच्छा दे रहे हैं लेकिन आपका ध्यान सहकारिता पर नहीं है। जिस दिशा में आपके अधिकारी काम कर रहे हैं आपको अवगत नहीं करा रहे हैं परन्तु यह आपकी ही किताब है और इसी को पढ़कर मैं आपसे जवाब मांगने का प्रयास कर रहा हूं। अभी बात आई कि हम अच्छा बीज देंगे जिससे उत्पादन बढ़ेगा मान्यवर, बीज की जो व्यवस्था है वह भी आपके सामने है। पिछली सरकार के सापेक्ष इस सरकार के बहुत बड़े आंकड़े हैं मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता वह आप सब लोग पढ़ लेंगे। वहीं एक महत्वपूर्ण काम जो है रसायनिक उर्वरक वितरण की बात कही गई है। माननीय कृषि मंत्री जी ने भी इस पर बड़ा जोर दिया इसके भी आंकड़े आपको पढ़कर सुना दें रहा हूं यह आंकड़े आपके हैं मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं मैं आपके आंकड़े पढ़कर सुना दे रहा हूं मान्यवर, मुलायम सिंह की सरकार में लक्ष्य रखा गया 30 लाख 25 हजार मीट्रिक टन और उपलब्धि पाई 30 लाख 26 हजार 539 मीट्रिक टन, मान्यवर, आपकी सरकार में क्या हुआ आपकी सरकार ने लक्ष्य रखा 34 लाख 86 हजार, उपलब्धि क्या है मान्यवर, कुल 25 लाख 94 हजार 572 पिछली सरकार के मुकाबले, पूरी खाद ही यह अभी किसानों को नहीं बांट पाए हैं और कह रहे हैं बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इसलिए भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आप कहते हैं कृषि विभाग तरक्की करेगा किसान तरक्की करेगा। समय पर बीज देंगे लेकिन हमारी जमीन की जो स्थिति है कि बिना खाद के जमीन पर पैदावार नहीं हो सकती है। एक सच्चाई जिससे अनभिज्ञ है कि आज इण्टर नेशनल मार्केट में डी0ए0पी0 की कीमत बढ़ी है आज उसकी वजह से देश की जो भी संस्थायें हैं जो को-आपरेटिव से जुड़ी हैं या राज्य सरकारों पर आधारित हैं उन्होंने डी0ए0पी0 का उत्पादन बंद सा कर दिया है या फिर वह 25 फीसदी डी0ए0पी0 बना रहे हैं।

मान्यवर, जो मार्केटिंग का काम संस्थायें करती थीं चाहे कृभकों हो चाहे जो संस्था हो उनके टारगेट आप मंगा लीजिए माननीय मंत्री जी तो आपको एहसास होगा कि आने वाले समय में डी0ए0पी0 की स्थिति क्या होने वाली है मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि इन स्थितियों पर सरकार चिन्ता करे और अपनी तरफ से किसानों को डी0ए0पी0 उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। माननीय मंत्री जी ने और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में बात हुई। सहकारी क्रय-विक्रय समितियों को बंधक व्यवसाय के रूप में अनुदान देने का काम हुआ है। मान्यवर, 2007-08 में 150 लाख रुपये का प्राविधान किया है लेकिन मान्यवर, अब किसानों की

चिन्ता समाप्त हो गई अब 2008-09 में सरकार ने बजट में कोई प्राविधान ही नहीं किया है। निर्बल कृषक गोदाम की मरम्मत के बारे में आपने अनुदान की बात कही है कि गोदाम के भण्डारण की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। भण्डारण की क्षमता आपने बताई कि 8.22 लाख मीट्रिक टन है आपने यह भी स्वीकार किया है कि निर्माण 20 से 25 वर्ष पुराने हो गए हैं। लेकिन मान्यवर, आपने व्यवस्था क्या कराई आपने 2007-08 में ढाई सौ लाख रुपये रखे लेकिन 2008-09 में तो आपने कोई व्यवस्था ही नहीं रखी उसमें तो कोई प्राविधान ही आपने नहीं किया तो मान्यवर, कैसे खाद रखी जायेगी और कहां रखी जायेगी यह चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं निर्बल सहकारी संघों की जो स्थितियां हैं, जिला सहकारी संघों की जो स्थितियां हैं 57 जिला सहकारी संघ हैं 33 संघ समर्पित हो गये हैं। 2007-2008 में आपने 33 लाख अनुदान की व्यवस्था की थी लेकिन मान्यवर, 2008-09 में फिर भूल गये फिर कोई व्यवस्था का प्राविधान इसमें नहीं किया गया तो मान्यवर, इस तरह से पूरा आन्दोलन बड़ी विकट स्थितियों में पहुंचने वाला है। आपने सहकारी श्रम योजना की बात कही, समाज के निर्बल, दलित वर्ग पिछड़े श्रमिक वर्ग की मदद करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आ।की कुल समितियां 577 हैं जिसमें 486 निष्क्रिय हो गई हैं। सन् 2007-08 के बजट में आपने प्रावि।ान किया 62.50 लाख का, लेकिन मान्यवर, आपने इस 2008-09 में फिर कोई प्राविधान नहीं किया गया। मान्यवर, सहकारी समितियों के लिए अधिनियम को बढ़िया बनाने की व्यवस्था बनाई जा रही है आपने कहा मान्यवर, यह आंकड़ा भी आपके सामने है आपने 2007-08 में 79.08 लाख का बजट रखा था इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपने बजट को घटा दिया आपने 64.92 लाख का बजट रखा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मान्यवर बहुत सारी चीजें हैं बहुत लम्बी बातें हैं जो हर बात यह प्रकट कर रही है कहीं न कहीं हमारा ध्यान सहकारी आन्दोलन पर नहीं है बल्कि इस पर लगा हुआ है कि कैसे लोगों को हटाया जाए ? आपने चर्चा की बैजनाथन रिपोर्ट की, आप कह रहे हैं कि बैजनाथन की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया है और उनकी शर्तों के अनुसार पूरे देश में सिस्टम को बनाने का प्रयास चल रहा है।

मान्यवर, उनकी बहुत बड़ी-बड़ी शर्तें हैं हम उन शर्तों पर नहीं जाते हैं मान्यवर, हम जानते हैं कि आपका समय कीमती है और साथियों को भी जल्दी है लेकिन मान्यवर उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29 में संशोधन करके प्रशासकों की व्यवस्था समाप्त की जाए यह स्पष्ट बैजनाथन की रिपोर्ट की सिफारिश है। लेकिन माननीय मंत्री जी की व्यवस्था क्या है हम चुने गए लोग पांच साल के लिए चुने गए लोग कानून में व्यवस्था करके, जब चुनाव कराये गये थे तो कहा गया कि 5 साल चेयरमैन रहेंगे, लेकिन बाद में नई व्यवस्था करायी जाती है और 2 साल बाद हटा दिया गया। क्या गलती की है ? मान्यवर, जिस तरह से हम लोगों ने बैंकों को चलाया है, आप अपने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर लें, किसी पर ऐसे ही आरोप लगाने से कोई बेईमान नहीं हो जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा

ध्यान अन्य किसी काम से हटाकर सहकारिता विभाग पर लगाये क्योंकि इससे प्रदेश की प्रगति का भविष्य किसानों का भविष्य और मजदूरों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मान्यवर, जब खेत का सवाल है जो खेत में बोया जायेगा, वह पेट में जायेगा, यह कुछ लोगों का सवाल नहीं है, यह पूरी आबादी का सवाल है इसलिए मेरे सुझावों को आप इसमें शामिल करने का कष्ट करें, धन्यवाद।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा और बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा कि सहकारिता एक आन्दोलन है, किसान और मजदूर तमाम लोग इससे जुड़े हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कहने का प्रयास किया। मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं, मैं यहां पर बैटे-बैठे आंकड़े लिखने का काम कर रहा था, मा0 दीपक जी ने बहुत अच्छी तरह से आंकड़े रखने का काम तो कर दिया, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह कोई एक ऐसा काम बताने का काम करें कि अपने कार्यकाल में जिसे उन्होंने लागू करने का काम किया है। मान्यवर, मंत्री जी ने प्रोफेसर वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानने की बात कही। आप एक ही काम करने का काम कर दीजिए और प्रो0 वैद्यनाथन कमेटी के जितने सुझाव हैं उन्हें पूरे प्रदेश में लागू करने का काम कर दीजिए तो को-आपरेटिव का उद्धार हो जायेगा। मान्यवर, इसे भी आपने लागू करने का काम नहीं किया जो आपकी मजबूरी थी, आपने आडिट कराने की बात कही और संख्या भी बताई कि 6073 में आडिट कराने का काम किया गया, यह संस्तुतियां भी प्रो0 वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट में है कि यदि आप इसको नहीं मानेंगे, आडिट कराने का काम नहीं करेंगे तो 551 करोड़ रुपया जो अनुदान मिलने वाला है, वह बन्द हो जायेगा, इसलिए मजबूरी में यह किया गया और यह पहले ही लागू हो गया था। एक योजना का आपने जिक्र किया, वह पहले से ही चल रही है। मान्यवर, पिछले समय से ऋण भी कम बांटने का काम कर रहे हैं। सहकारी समितियों के बारे में आपने कहा कि हमने 127 लोगों के खिलाफ गबन के केस दर्ज कराने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं क्या यह पहली बार हो रहा है। इससे भी ज्यादा लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है, कई लोग जेल भी गये हैं और क्या कारण है कि आपके विभाग के लोग, आपके विभाग के अधिकारी गबन करने का काम करते हैं, किसानों की गाढ़ी कमाई का गबन करने का काम करते हैं, कोई पब्लिक का आदमी नहीं करता है, सरकार के आदमी गबन का काम करते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इसमें कठोर प्राविधान करने का काम करें जिससे किसानों की गाढ़ी कमाई का गबन करने का ऐसे लोग काम न कर सकें। आपने क्या कोई नया काम एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का किया है ? यह तो वर्षों से चला आ रहा है लेकिन गबन तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपने यह नहीं बताया कि जो छोटी साधन सहकारी समिति आपकी है। तमाम सहकारी समिति आपकी डिफाल्टर है, तमाम जिला सहकारी बैंक आपके डिफाल्टर हैं। घाटे से उबरने का काम नहीं कर रहे हैं। आपने यह नहीं बताया कि इसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि घाटे में चल रहे बैंक और

समितियों को घाटे से उबारने का काम किया जाये। मान्यवर, आपने अपने भाषण में भी बड़े जोरदार ढंग से कहने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश तक लेकर आप आये लेकिन जिला बैंक और सहकारी समिति में तमाम जनप्रतिनिधि बैठकर वहां इस बात को देखने का काम करते थे कि किसान को ठीक से ऋण देने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसान को सहकारी समिति में ठीक से खाद देने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसान से जनप्रतिनिधि चुनकर आने का काम करते थे। आपने सिर्फ एक ही उपलब्धि का काम किया है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का समूह था जो किसानों की सहायता करने का काम करता था लेकिन आपने उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

बस करिये। माननीय ईश्वर चन्द्र शुक्ल जी आप 1 मिनट में बोल लें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि अगर आपको सहकारी आन्दोलन को जीवित करना है तो इसके चुनाव कराने की घोषणा कर दीजिए और जनप्रतिनिधियों को उनमें भाग लेने का काम कर दिया जाये। मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं कटौती पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात कि हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में जो सबसे पिछड़ा है, बार्डर है जहां खाद की बहुत दिक्कत होती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पी0सी0एफ0 के ए ग्रेड गोदाम बनवाने की कृपा करें और मान्यवर, हमारे यहां मार्केटिंग समितियों की बड़ी लम्बी-चौड़ी जमीनें हैं सब कब्जा हुयी चली जा रही है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, उनकी जमीन कब्जा हो रही है। तो उसके गोदाम को लेकर के आप ही उसमें खाद भरें। कम से कम आपकी बचत होगी और इन जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें और एक हमारे जिला सहकारी संघ में बहुत दिनों से उनके ऊपर 40 मुकदमें लिखे गये हैं लगभग 20 लाख रुपये के गबन के मामले हैं आज भी वह संघ के सचिव हैं। वीरेन्द्र मिश्रा नाम है और सारा को-आपरेटिव अकेले आज भी वही चला रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ हो नहीं रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे दिखवा लीजिए। सहकारिता प्रकोष्ठ में यह मामला दर्ज है। हमारे जिला सहकारी बैंक में मैंने आपसे निवेदन किया था हमारे ग्राम प्रधानों के और तमाम जिला पंचायतों के क्षेत्र पंचायतों के लगभग 40 करोड़ रुपया जमा है। जैसे आपने भूमि विकास बैंक में आप बधाई के पात्र हैं, भूमि विकास बैंक में आपने बहुत अच्छा कार्य कराया और एकमुश्त योजना लागू करा दिया, तमाम किसानों को फायदा करा दिया। आप बधाई के पात्र हैं। वैसे अगर जिला

सहकारी बैंक में भी एक मुश्त लागू करा दें तो कम से कम इसका कल्याण हो जाएगा और बहुत सारे किसानों का कल्याण हो जायेगा। अंतिम बात कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद के सोहरतगढ़ इटवा में एल0डी0बी0 बैंक की दो शाखाएं खुलवाने की कृपा करें। मैं इसी के साथ कटौती पर बल देता हूं और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी कटौती का प्रस्ताव रखा हमारे सम्मानित साथी श्री दीप नारायण सिंह जी ने और उनको शायद सुनने में थोड़ी गलतफहमी हो गयी थी, ध्यान नहीं दिया। हमारी जो भी सूचनाएं हैं वह 15-2-2008 तक की हैं। अभी मार्च के अंत तक बसन्त होता है, वहां पर आ जायेंगे तो इतना आगे निकल जायेंगे कि आपको भी चौकन्ना होना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने प्रोफेसर वैद्यनाथन कमेटी की बात कही, यह कहा गया कि आडिट कार्य पहले से हो रहा था तो यह पहले से नहीं हो रहा था। हमारी सरकार बनने के बाद ही काम कराया गया और बड़े पैमाने पर इसे हमने पूरा किया है। दूसरी चीज मान्यवर, हम बधाई देना चाहते हैं अपने सदस्य चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी जी को जिन्होंने मजबूरीवश कटौती पर बल जरूर दिया लेकिन उनका भाषण केवल हमारे बजट को समर्थन करता दिखायी पड़ा। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल जी ने भी वास्तविकता को स्वीकार किया, जो सराहनीय कार्य हमने किये उसकी उन्होंने सराहना की।

मान्यवर, हम जानते हैं कि यह कटौती के प्रस्ताव वापस ले चुके हैं क्योंकि हमने एजेन्डा देखा उसमें 72 लोगों ने प्रस्ताव रखा था और यहां पर मात्र 12 लोग मौजूद है यानि 60 लोगों ने जो हमारे समर्थन में थे, वह चले गये और इस तरह से 72 में से 12 बचे और उसमें से भी दो और हमारे समर्थन में आ गये तो कुल मिलाकर के हमारा समर्थन भी कर रहे हैं। दीप नारायण जी दिखने में तो भोले भाले लगते हैं लेकिन डर से अपने आला कमान के डर से, चाहते हुए भी जुबान नहीं खोलेंगे लेकिन फिर भी निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता आन्दोलन को गतिमान रखने के लिए हमें आपका सहयोग मिले, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इसके साथ ही साथ एक सूचना देना चाहूंगा। वह यह है कि सन् 2007-08 में रबी की फसल के लिए यूरिया और डी0ए0पी0 में हमने पिछले वर्ष की तुलना में दो लाख अड़सठ हजार मीट्रिक टन उर्वरक 15 फरवरी तक ज्यादा बांटा है, दूसरा रबी के अभियान में 2007-08 में पिछले वर्ष की तुलना में एक लाख पन्द्रह हजार कुन्तल बीज ज्यादा बांटी है। इसलिए कह देना चाहता हूं कि हर जगह हमने आगे बढ़ने का काम किया है। यदि आपका सहयोग मिलेगा तो और मजबूत हो जायेंगे। साथ ही साथ कुछ साथियों ने विशेष रूप से ईश्वर चन्द्र शुक्ल जी ने जो कहा कि जो इसमें घुन की तरह बैठे खोखला कर रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखायें

सत्येन्द्र सोलंकी जी ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को क्यों यहां बैठाल दिया तो मैं। यह कहना चाहता हूं कि उन्हीं चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने इसका बुरा हाल किया था, कुछ दिन और रहते तो सहकारिता खत्म हो जाता। इसीलिये ऐसे लोग जिन लोगों ने सहकारिता आन्दोलन को मिट्टी में मिलाने का काम किया। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को अपने स्वार्थ सिद्धी में लगाने में काम किया। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम हमने ही किया है, इसलिए मान्यवर, हम कह देना चाहते हैं कि आप भी किसानों के हितैषी लगते हैं क्योंकि आपका जो सुझाव रहा, वह हमारे पक्ष में रहा। इसलिए हम चाहेंगे कि इस आन्दोलन में आप भी हमारा साथ दें और पुनः निवेदन करूंगा भाई दीपक जी से कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री दीप नारायन सिंह 'दीपक यादव'-

मान्यवर, हमें उम्मीद थी कि सारे आंकड़े सुनने के बाद जो हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा, हमें यह भरोसा था कि माननीय मंत्री जी गम्भीरता से विचार करेंगे। मैं पहली बार चुनकर आया हूं। मैं आपसे सीखने का प्रयास करूंगा। मैं देख रहा हूं कि इसके बाद भी माननीय मंत्री जी कोई बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं तो एक बात और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने हटाने को लेकर बार-बार जोर दिया है, शायद आपके संज्ञान में यह बात हो कि केन्द्र सरकार ने को-आपरेटिव में नये संशोधन करके वैद्यनाथन रिपोर्ट की सिफारिश पर नया प्रस्ताव सरकार लाई है और इसी बजट सत्र में पांच साल के कार्यकाल के साथ वह पारित होने जा रहा है तो मान्यवर, उसके बाद फिर अपमान झेलना पड़ेगा और दोबारा से पांच साल लागू करना पड़ेगा, इसलिए आपके सामने अभी मौका है उसको जहां का तहां करके हम लोगों को जहां के तहां बहाल किया जाय। चुने हुए सारे लोग वहां बैठें। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर के एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,45,22,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-60-वन विभाग

* वन जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,92,73,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

राम बिशुन जी कटौती रखेंगे ? वैसे वन पर काफी चर्चा हो गई है, नीलगाय तक पहुंच गये। अगर फिर भी आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो प्रस्ताव रखिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इसके पूर्व जो सहकारिता के बजट पर हुआ मान्यवर, उसके ठीक विपरीत स्थिति वन में है।

श्री फतेह बहादुर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वन का मतलब शान्ति, पर्यावरण शुद्ध रहे, चाहे वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो †

*श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि वन विभाग का बजट है और पर्यावरण से सम्बन्धित है तो लोग गम्भीर हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है, लोग गम्भीर हैं, सिर्फ ध्वनि प्रदूषण से घबरा रहे हैं।

श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर के एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय मंत्री जी हमारे पूर्वांचल के हैं और मंत्री हैं और मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वह वन एरिया है। मान्यवर, मैं ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, चूंकि यह वन और पर्यावरण से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए मैं वन और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† मा0 वन मंत्री के लिखित बजट भाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 132-147।

पर्यावरण से सम्बन्धित कुछ बातें माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, वन और पर्यावरण का जो सम्बन्ध है, उसे किस तरह से सुधारा जाये उस सम्बन्ध में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्रकृति के असंतुलन के कारण ही आज सूखा, बाढ़ दैवीय आपदायें हो रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में वनों का विशेष योगदान है। वृक्षों में विषैली गैसों तथा धूल कणों को अवशोषित करने की अपार क्षमता होती है, इसलिए वृक्षों के महत्व को देखते हुए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नदियों में मैं गंगा हूं, ग्रहों में मैं सूर्य हूं और वृक्षों में मैं पीपल हूं। 93 घन मीटर का वन लगभग 8 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण को दूर करता है। एक हेक्टेयर में लगा वन 20 वाहन की पैदा की हुई कार्बन डाई आक्साइड को सोख लेता है। केन्द्र सरकार ने 10वीं योजना में समितियों को मजबूत करने के लिए 1489.42 करोड़ रुपये दिये परन्तु अधिकारियों द्वारा वन समितियों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश भर की पूरी आबादी को जरूरत भर आक्सीजन मुहैया कराने के लिए कम से कम 17 करोड़ वृक्ष बढ़ने चाहिए। 2000-2005 तक वृहद वृक्षारोपण के तहत प्रदेश में 7635.57 प्रतिशत लाख पौध लगाये गये। परन्तु अधिकांशतः स्थल पर नहीं है। मान्यवर, वन और मानव जीवन का सीधा सम्बन्ध है। वन से ही मानव जीवन की सभ्यता निकलती है। इस सभ्यता के अन्तर्गत चाहे अंग्रेजों का जमाना ले लीजिये चाहे पुराने जमाने को ले लीजिये, वन का क्षेत्र बहुत लम्बा था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे विकास होता गया वनों का कटान होता गया है और वन का क्षेत्रफल कम होता गया है। मान्यवर, वन संरक्षण सन् 1800 में लागू किया गया। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय राम बिशुन जी आप उस दिन वन विभाग के प्रश्नों पर बहुत अच्छा बोल लिये थे। आप मंत्री जी से अलग से बात कर लीजियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपको कहीं मंत्री जी अलग से पकड़कर वन में न ले जायें ?

श्री फतेह बहादुर सिंह-

मान्यवर, राम विशुन आजाद जी चाहें तो अपने सुझाव हमें लिखकर दे दें।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 है। वर्तमान में प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 21,833 वर्ग कि0मी0 है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 9.06 प्रतिशत है। मान्यवर, हमारे यहां पर कतरनियां घाट है वहां वन्य जीव हैं। इसी तरह से सुहेलनवा रेंज है। मान्यवर, यहां पर पोचिंग की घटनायें बढ़ रही हैं। नैपाल से और तराई बेल्ट में तिब्बती इलाके से लोग आकर शिकार करते हैं। उस पर रोक लगाने की जरूरत है। मान्यवर, 2003 में वन्य जीव क्षेत्र में बाघों की संख्या 283 थी वह 2005 में घटकर 273 रह गयी। इस पर

आपको ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, इसी तरह से जो आपका टाईगर प्रोजेक्ट है उसको सुधारने की जरूरत है। मान्यवर, वन्य जीव में सुधार पर ध्यान दिया है 2008-09 में 55 करोड़ रु0 का प्रावधान रखा है, वह बहुत कम है इससे वन्य जीव का सुधार नहीं हो पायेगा। मान्यवर, हम जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं। हमारे क्षेत्र में टिकरी रामगढ़ रेंज है और इस रेंज के नजदीक सादुल्लानगर रेंज और रेहरा रेंज है जहां पर भारी पैमाने पर अवैध कटान होता है और यह अवैध कटान आज पूरे प्रदेश में हो रहा है जिससे पर्यावरण भारी पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। मान्यवर, आपका इस अवैध कटान के कारण पर्यावरण संरक्षण का कार्य पूरी तरह से विफल हो चुका है। पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए शहरों में पुराने बागों व नये विकसित पार्कों में ऐसे पेड़ लगाने की आवश्यकता है जो तेजी से बढ़ती हुई कार्बन डाइआक्साइड की अधिकतम मात्रा को सोखें। जैसे कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रतिवर्ष कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा 45 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप 2030 ईस्वी तक पृथ्वी का तापमान चार डिग्री तक बढ़ जायेगा और जिससे हिम शिखर, ग्लेशियर पिघल कर समुद्र की ओर चलेगा और महानगर जलमग्न हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। जैसे कि देश में प्रतिवर्ष 13 लाख हेक्टेयर भू-भाग से वनों का कटान हो रहा है। प्रदेश में 33 प्रतिशत वन होना चाहिए परन्तु नहीं है। जैसा कि पुराणों में कहा गया है कि वृक्ष हमारी कामना, भावना और परम्परा के प्रतिरूप होते हैं जो बादलों की द्रवित चेतना को अपनी ओर लुभाकर धरती का श्रृंगार करते हैं और फसलों को आहार देते हैं।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वन विभाग ने पेड़ लगाये हैं। आपने वन विभाग को गिनीज बुक में शामिल कराया है। 1 करोड़ 5 लाख 86 हजार 4 सौ 48 पेड़ 31 जुलाई, 2007 तक लगाकर। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इतना वृक्षारोपण तो आपने करवा दिया परन्तु उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जब यह पेड़ सूखने लगे और वन विभाग को जानकारी हुई तो वन विभाग ने यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि 40 प्रतिशत पेड़ विभाग द्वारा लगाये गये थे और 60 प्रतिशत पेड़ एनजीओ, शिक्षकों एवं अन्य संस्थाओं से लगाये गये थे। कहावत है कि मीठा-मीठा गप्प और कड़ुवा-कड़ुवा थू। वन विभाग को चाहिये कि आप वृक्षारोपण करवायें परन्तु उसकी जिम्मेदारी भी सम्बन्धित अधिकारियों को सौंपे और अगर पौध सूखते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। आपने जो पेड़ लगवाये हैं वह सामाजिक वानिकी स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान, वनावरण वृद्धि हेतु सघर वृक्षारोपण योजना, वृक्षावरण विस्तार योजना, जिन भी योजना के अन्तर्गत आपने वृक्षारोपण कराया है यदि कागजी आंकड़ों में देखा जाये तो पूरे प्रदेश में 50 प्रतिशत वन लग चुके हैं लेकिन वस्तुस्थिति अलग है। आज वन का क्षेत्रफल प्रदेश में कम होने के कारण कार्बन डाइआक्साइड पूरे प्रदेश में फैल रही है। जब सही ढंग से विभाग एवं अन्य संस्थायें वृक्षारोपण के कार्य को करेंगी तभी प्रदेश हरा भरा हो सकता है। सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति गंभीर नहीं है आपको पर्यावरण संरक्षण की चिन्ता नहीं है और आप

हमें नहीं सुनना चाहते हैं इसलिए कि मैं आपके सामने वन की समस्याओं को रखना चाहता हूं। आप समस्याओं का निराकरण नहीं करना चाहते हैं आप जनता के प्रति गम्भीर नहीं हैं। इसलिए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बल देता हूं।

श्री फतेह बहादुर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के जो सुझाव आये हैं वास्तव में गम्भीर प्रवृत्ति के हैं। जहां तक अवैध शिकार की बात है अवैध शिकारों के सम्बन्ध में 221 मामले वन विभाग ने दर्ज किये और उनके विरुद्ध तमाम अपराधों में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत अपराध दर्ज होते हैं वह दर्ज किये गये। माननीय अध्यक्ष जी, वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वृक्षारोपण कराकर वन विभाग ने एक रिकार्ड कायम किया है। लगभग 35 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने एक बात कही, पीड़ा हुई जहां पर उत्तर प्रदेश विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने का स्थान रखने जा रहा है जो गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य अब वन विभाग के माध्यम से स्थापित होने जा रहा है और उस पर उंगली उठाई गयी, पीड़ा होती है। मान्यवर, मैंने जैसे ही वन विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार सम्भाला बहन कुमारी मायावती जी के शुरुआती जो पहला उन्होंने वृक्ष लगाया उसी वृक्ष के परिणामस्वरूप एक करोड़ वृक्ष योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को दी जो गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज होकर के उत्तर प्रदेश को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, यह छोटी बात नहीं है। इसको हल्के में लेने की बात नहीं है। बता दें माननीय सदस्य तमाम अन्य दलों के हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी विभाग में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ हो तो आप जो सजा देना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने प्रयास ही नहीं किया आज तक इतने बड़े पैमाने पर एक दिन में एक करोड़ पांच लाख वृक्षारोपण के कार्यक्रम के आयोजन में भाग लें जिसमें केवल वन विभाग ही नहीं जनसहभागिता स्वयंसेवी संस्थायें तमाम संस्थाओं ने इसमें भाग लिया। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, पेड़ लगाने के बाद कुछ पेड़ मृत पाये जाते हैं कुछ प्रतिशत पेड़ के आंकड़े हैं एक टास्कफोर्स बना रखा है कि वह टास्कफोर्स तय करेगा कि कितने प्रतिशत पेड़ जीवित रहेंगे। एक मानक बना हुआ है। उस मानक के हिसाब से कार्यवाही हम करेंगे। निश्चित रूप से हमने प्रयास किया है। मैं चाहूंगा आजाद साहब से कि हम लोगों ने आजादी के बाद एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में और उनका नाम भी आजाद है, हमारे पुराने साथी भी हैं। मैं उनसे कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने का निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर के एक रुपया कर दी जाये ?

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कटौती का प्रस्ताव तो मैं वापिस नहीं ले सकता। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा केवल दो सुझाव है। हमारे क्षेत्र में टिकरी रामगढ़ रेंज है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड के अलग होने से वन हमारे प्रदेश में 2 प्रतिशत रह गया है। हमारा एरिया वन बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर पर्यटकों के आने के लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाये जिससे कि वहां पर पर्यटक आयें। इसलिए कि वहां टिकरी रामगढ़ रेंज से अयोध्या 20 किलोमीटर है। टिकरी रामगढ़ रेंज के बगल में अरंगा झील है जो 1000 एकड़ में फैला हुआ है जहां बारह महीने शुद्ध और निर्मल पानी भरा रहता है वहीं से कुछ दूरी पर स्वामी नारायण छपिया सम्प्रदाय मंदिर है, दुनिया के 110 देशों में इस सम्प्रदाय का मंदिर बना हुआ है बाहर से लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं, विदेशी भी आते हैं। टिकरी रामगढ़ रेंज में हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर, जंगली गाय, बंदर, मोर, सांभर आदि हैं तो अगर उसका सौन्दर्यीकरण करा दिया तो बाहर से लोग वहां आयेंगे। इससे पर्यटकों को लाभ मिलेगा और प्रदेश की आमदनी भी होगी। किसानों की फसलों का जो नुकसान जंगली जानवरों द्वारा किया जाता है। सरकार उन पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति देने का काम करे।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर के एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, आप कटौती नहीं रखने दिये और अब दो मिनट का समय भी नहीं दे रहे हैं। मेरी एक बात भी नहीं आयेगी तो यह कौन सी बात है। मान्यवर, यह मेरे साथ अन्याय है। हम तो आपका संरक्षण चाहते थे यह तो अन्याय हो गया। मैंने केवल दो मिनट आपसे मांगा था, मुझको ज्यादा नहीं बोलना था, मैंने सब रख दिया था अंदर। इसके बावजूद भी मुझे दो मिनट नहीं दिया गया। जिस तरह से वन विभाग में भ्रष्टाचार है, आप जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार जंगल विभाग में फैला हुआ है। अवैध लकड़ी कट रही है पूरा जंगल साफ हुआ जा रहा है। सब लोग मनमाने तरीके से लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप इसके बारे में बोल चुके हैं। अच्छा भाषण दिये हैं आप। एक मिनट मेरी बात सुनिये। आपको उसी समय बोल देना चाहिये था। उत्तर भाषण के बाद तो प्रश्न प्रस्तुत करते हैं कि वापस ले रहे हैं कि नहीं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से टोकाटाकी करने पर शोर)

आप लोग शान्त रहिये। बोलिये मत। जो वह कहते हैं, उनको सुना करिये। वह गुस्से में नहीं हैं। बहुत खुश हैं, वह सोच रहे हैं कि हम दोनों लोग मिलकर बात कर लें, आज सामने चाहते थे। हमने कहा दोनों लोग बाद में मिलकर बात कर लीजियेगा। दोनों लोग अपना पड़ोसी है। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,92,73,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा एवं मतदान, श्रम विभाग (सेवायोजन)

*सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री भगवती प्रसाद सागर)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,03,80,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(श्री राम विशुन आजाद जी द्वारा सदन से वापस जाते समय सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से कुछ टोकाटाकी करने पर शोर के मध्य)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, यह हू-हू किया जा रहा है, यह रोड पर खड़े हैं, हजरतगंज में बैठे हैं जो सीटी बजायी जा रही है, इन्हें सिखाइये। हम भी सीटी बजाना जानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप रुकिये एक मिनट। कोई माननीय सदस्य टोकाटाकी और इस तरह का काम नहीं करेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राम विशुन आजाद जी इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत थोड़े से सदस्य सदन में ऐसे हैं जो सातवीं बार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जोतकर आये हैं। वह बहुत वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं और अगर कोई इतने वरिष्ठ सदस्यों के साथ इस तरह का आचरण करेगा, जबकि उन्होंने समय के साथ आपके साथ पूरा सहयोग किया है। मान्यवर, सचमुच में यह दुख का विषय है। आपस में यह सब बातें चलती रहती हैं। तनाव कम करने के लिये, लेकिन कोई वरिष्ठ सदस्य अगर उठते हैं और लोग सीटी बजायें तो यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं मैं भी इसका पक्षधर नहीं हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, किसी ने भी सीटी नहीं बजायी और माननीय आजाद जी की हम लोग इज्जत करते हैं। उनका सम्मान है वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने हम लोगों के अनुरोध को मान लिया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखें।

श्री दीप नारायण सिंह 'दीपक यादव'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1.03,80,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वर्ष 2008-2009 के लिए उ0 प्र0 विधान सभा की विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2008-2009 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, 07 मार्च, 2008 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2-नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, 10 मार्च, 2008 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	मंगलवार, 11 मार्च, 2008 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक
4-निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान-	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के लिए	मंगलवार, 18 मार्च, 2008
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या-44-ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए उ0 प्र0 विधान सभा की विभिन्न समितियों में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2008-2009 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति' तथा 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2008-2009 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा की समितियों और स्थायी समितियों के नाम-निर्देशन का जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अतः इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2008-2009 की ''लोक लेखा समिति'', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2008-2009 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में

नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद मऊ में घाघरा नदी के किनारे ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री उमेश पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 25-2-2008 को सूचना दी गयी है कि ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[विधान सभा क्षेत्र-191 नत्थुपुर जनपद मऊ में घाघरा नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव विगत कई वर्षों से नदी के कटान के कारण धीरे-धीरे नदी के आगोश में समाये जा रहे हैं। उक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु घाघरा नदी के किनारे 1-धर्मपुर विशुनपुर 2-विन्टोलिया 3-नुरुल्लाहपुर 4-सूरजपुर कुटी के पास 5-मोलनापुर में ठोकर बनाने के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 सिंचाई मंत्री जी से वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि घाघरा नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु घाघरा नदी के दांयें तट पर 12.4 किमी0 की लम्बाई में सूरजपुर बांध निर्मित है। इस बांध के कि0मी0 7.00 से 12.00 के मध्य ग्राम धर्मपुर विशुनपुर नुरुल्लाहपुर, सूरजपुर कुटी इत्यादि ग्राम तटबन्ध एवं घाघरा नदी के मध्य स्थित फ्लड जोन में बसे हुये हैं। बांध एवं नदी के मध्य फ्लड जोन में बसे ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये शासन की नीति नहीं है।]

नोट :- | यह अंश पढा हुआ माना गया।

वाराणसी में रामनगर स्थित पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के निवास को एक स्मारक के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के आवास के वर्तमान स्वरूप को संरक्षित करने के परिप्रेक्ष्य में उसके प्रवेश द्वार के निर्माण, उसके समक्ष स्थित भूमि के क्रय आदि हेतु रु0 4.00 करोड़ के स्वीकृति के आदेश वर्ष 2005-06 में जारी किये गये हैं .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[.....तथा जिलाधिकारी, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार शास्त्री जी के नाम पर वरुणा तट, कचहरी के निकट पक्के घाट का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा रामनगर में गंगा नदी के किनारे पक्के घाट के निर्माण कार्य के अन्तर्गत बालू भराई एवं नाली का डाइवर्जन कार्य, नाला बनाने का कार्य, टो वाल का निर्माण एवं मढ़ी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 04 अदद सीढ़ी, 02 अदद रिटेनिंग वाल रामनगर किला रोड से पंचवटी रोड तथा पंचवटी रोड से कटरिया बाईपास तक सड़क व नाली के निर्माण का अधिकांश कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में कछुआ प्रजनन प्रकरण में कार्य अवरुद्ध है। सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी से आदेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

स्पष्ट है कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी के इस महत्वपूर्ण प्रकरण के प्रति सरकार स्वयं संवेदनशील है और अवशेष पर समुचित कार्यवाही भी शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।]

जनपद बलरामपुर के ग्राम गालिबपुर की अधिग्रहीत भूमि पर लोक निर्माण विभाग का नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सागर अकेला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री राम सागर अकेला, मा0 विधायक, इकौना श्रावास्ती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर के ग्राम-गालिबपुर परगना व तहसील उतरौला में भूमि गाटा संख्या-28, 30, 121 ....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[158 एवं गाटा संख्या-183 में से कुल रकबा 3 एकड़ 34 डिसमिल भूमि को लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत करने तथा कृषकों का मुआवजा दिये जाने के बाद भी अभी तक उक्त भूमि को सरकारी कागजात में लोक निर्माण विभाग के नाम अंकित न होने के कारण आम जनता में आक्रोश होने तथा आये दिन सीमा विवाद का सामना करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है।

2-मा0 विधायक द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद बलरामपुर के ग्राम-गालिबपुर परगना व तहसील-उतरौला में भूमि गाटा सं0-28, 30, 121, 158 एवं गाटा संख्या-183 में से कुल रकबा 3 एकड़ 34 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण लेटरल रोड प्रोजेक्ट (एल0आर0पी0) हेतु किया गया था। पूर्व में जनपद-बलरामपुर गोण्डा जनपद का भाग था। अतः भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी समस्त अभिलेख पूर्व जनपद-गोण्डा में उपलब्ध थे। उक्त समस्त अभिलेख गोण्डा से जनपद-बलरामपुर को स्थानान्तरित कराने हेतु उप जिलाधिकारी, उतरौला, जनपद-बलरामपुर ने पत्र दिनांक 11-01-06 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर ने पत्र दिनांक 12-1-06 द्वारा जिलाधिकारी, जनपद-गोण्डा से अनुरोध किया गया। वर्ष 2007 में उक्त अभिलेख जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-बलरामपुर को स्थानान्तरित हो गये हैं जिसके आधार पर जनपद-बलरामपुर में लेटरल रोड प्रोजेक्ट (एल0आर0पी0) हेतु उक्त अधिग्रहीत भूमि के अमलदरामद की कार्यवाही प्रगति में है।]

जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों के निजी नलकूपों के नये विद्युत कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, वर्तमान में प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घण्टे ....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समाज कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[तहसील स्तरीय नगरों को 15 घण्टे, जनपद स्तरीय नगरों को 16 घण्टे, मण्डल स्तरीय नगरों को 18 घण्टे एवं महानगरों को 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने का विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम निर्धारित किया गया है परन्तु विद्युत की मांग के सापेक्ष राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत गृहों से एवं केन्द्र सेक्टर से आयात की जा रही विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण विद्युत प्रणाली की सुरक्षा के दृष्टिगत समय-समय पर आपातकालीन विद्युत कटौती किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 26-02-2008 को 177 परिवर्तक क्षतिग्रस्त थे तथा 15 उपलब्ध थे जिनको बदलने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस वित्तीय वर्ष में जनपद मुजफ्फरनगर में अब तक 319 परिवर्तक चोरी हो चुके हैं जिसके कारण भी परिवर्तकों की कमी हुई है।

उक्त क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के प्रतिस्थापन हेतु विभागीय कार्यशाला एवं मरम्मत कार्यशाला में परिवर्तक शीघ्र अतिशीघ्र मरम्मत कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में नये परिवर्तकों को उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर में परिवर्तक कृषकों के समक्ष ही कार्यशाला से उठाये जाते हैं तथा वहां पर अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी (कार्यशाला) उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता (भण्डार) सहारनपुर सप्ताह में तीन दिन नियमित रूप से भण्डार के कार्य के अनुश्रवण हेतु स्वयं जाते हैं। परिवर्तक उपलब्ध कराने पर किसी तरह की वूसली किये जाने की सूचना विभाग के संज्ञान में नहीं आई है तथापि यदि कोई मामला विभाग के संज्ञान में आयेगा तो सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।]

प्रदेश के हजारों प्रशिक्षण प्राप्त उर्दू प्रशिक्षुओं को मानदेय न दिये जाने एवं 2006 के द्वितीय बैच के उर्दू प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश सरकार ने अलग-अलग शासनादेश के तहत ....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समाज कल्याण एवं नगर विकास मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[तीन हजार उर्दू अध्यापकों को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2005 में तथा पांच हजार को वर्ष 2006 में इसके बाद 2006 के द्वितीय बैच के रूप में पांच हजार उर्दू अध्यापकों का चयन उर्दू बी0टी0सी0 विशेष प्रशिक्षण हेतु किया गया था। जिसमें आठ हजार प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण भी शुरू करा दिया गया था। उसके बाद जब 2006 के दूसरे बैच को प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाना था तभी कुछ लोगों द्वारा न्यायालय में इस चयन प्रक्रिया के विरोध में याचिका दाखिल कर दी गयी जिस पर दिनांक 14 मई, 2007 को मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अरुण टण्डन द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षकों के पक्ष में अपील दायर की गयी जिसमें अपील पर फैसला देते हुये मुख्य न्यायाधीश श्री एच0एच0 गोखले तथा श्री पंकज मित्तल ने चयन की पूरी प्रक्रिया को सही करार देते हुये सभी 13 हजार उर्दू बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने तथा मानदेय देने के आदेश जारी किये थे, परन्तु तीन माह बीत जाने के बावजूद 2006 के द्वितीय बैच के 5000 उर्दू प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण नहीं शुरू हो सका है और न ही पहले से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आठ हजार प्रशिक्षुओं को रु0 2500/-प्रतिमाह मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जिससे 13000 उर्दू विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं में आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संदर्भित प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा रिट याचिकायें योजित की गयीं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-44085/2006 कु0 सुम्बुल नकवी बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में दिनांक 22-12-2006 को यह अन्तरिम आदेश पारित किये गये कि याचिका की अगली सुनवाई तक विशिष्ट बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम (उर्दू) 2006 में कोई प्रवेश प्रभावी नहीं होगा तथा जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है उन्हें अगली सुनवाई तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये भी गये थे।

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अग्रेतर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए पारित आदेश दिनांक 14-9-2007 द्वारा बी0टी0सी0 उर्दू 2005 तथा 2006 (प्रथम तथा द्वितीय) सम्बन्धी शासनादेशों एवं विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा विशेष अपील योजित की गयी, जिसमें पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-10-2007 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14-9-2007 को स्थगित कर दिया गया तथा उक्त अपील में दिनांक 28-11-2007 को हुई सुनवाई में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णय दिया गया।

उल्लेखनीय है कि बी0टी0सी0 उर्दू 2005 तथा 2006 (प्रथम) के अनन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम सत्रात परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है तथा उनका द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहा है। बी0टी0सी0 उर्दू 2005 के प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों के छः माह के मानदेय भुगतान हेतु आवंटित धनराशि शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद तथा समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 को दिनांक 28-6-2006 को प्रेषित की जा चुकी है। तत्समय मा0 उच्च न्यायालय के उपयुक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 22-12-2006 द्वारा प्रवेश तथा मानदेय भुगतान पर रोक लगाये जाने के कारण इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गयी। सम्प्रति मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णय दिये जाने के उपरान्त उर्दू बी0टी0सी0 2005 तथा 2006 (प्रथम) के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।]

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, पांच हजार उर्दू प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू नहीं हो सका है। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष जी उत्तर में केवल आठ हजार के बारे में बात की जा रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरा उत्तर आ गया है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, मैंने कहा था कि द्वितीय बैच के पांच हजार उर्दू प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण नहीं शुरू हो सका है और न ही पहले से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आठ हजार प्रशिक्षुओं को रु0 2500/-प्रतिमाह मानदेय नहीं दिया जा रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर की आखिरी लाइन पढ़ लें। उर्दू बी0टी0सी0 2005 तथा 2006 प्रथम के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

माननीय सदस्य शायद सुबह उपस्थित नहीं थे माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुबह इसी सम्बन्ध में घोषणा की थीं और इसका जवाब भी आ गया है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन पांच हजार प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण शुरू नहीं हो सका इसे कब तक शुरू करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

जो वक्तव्य मिला है उसका अध्ययन करें इसमें लिखा हुआ है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

इसमें उन पांच हजार के बारे में कोई बात नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

उस्मानी जी, आप प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ें आपके प्रश्न का जवाब मिल जायेगा।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

उत्तर में लिखा है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णय दिये जाने के उपरान्त उर्दू बी0टी0सी0 2005 तथा 2006 प्रथम के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि इनका प्रशिक्षण कब से शुरू करा देंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

जब प्रशिक्षण होगा तभी तो मानदेय दिया जायेगा।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

प्रशिक्षण केवल आठ हजार का हो रहा है। पांच हजार का प्रशिक्षण ही नहीं शुरू हुआ है।

मान्यवर, हमको बता दें कि 5 हजार उर्दू प्रशिक्षुओं का कब से प्रशिक्षण शुरू करा रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

जब प्रशिक्षण होगा तब ही तो मानदेय दिया जायेगा।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

अभी उनका प्रशिक्षण हो ही नहीं रहा है। अभी तो केवल 5 हजार, 3 हजार, 8 हजार का हो रहा है। 5 हजार का प्रशिक्षण तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप देखे काहे के लिये उसमें नहीं-नहीं कर रहे हैं इसमें दिया है कि उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में कतिपय अभ्यर्थियों

द्वारा रिट याचिकाएं योजित की गई हैं। प्रशिक्षण और दूसरा उसी में मानदेय का भी प्रकरण है। यह दोनों विचाराधीन है तो उसमें अब क्या। प्रशिक्षण का कहां उसमें आ गया ?

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय न्यायालय ने जजमेंट दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

जजमेंट दे दिया तो ठीक है न्यायालय के आदेश का पालन होगा।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

न्यायालय ने तो विभाग के पक्ष में जजमेंट दे दिया। इन्होंने उत्तर दिया है कि उसके उपरान्त उर्दू ब्री0टी0सी0 2005 और 2006 के प्रथम के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

हां यह ठीक। पहले बैच का।

श्री लालजी वर्मा-

2005 और 2006 दोनों के पहले बैच का।

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी जी हमारी भी सुन लीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

2005 और 2006 के पहले बैच के जो थे उन दोनों के प्रक्रियाधीन है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मानदेय देने की बात है।

श्री लाल जी वर्मा-

मानदेय तो तब मिलेगा जब प्रशिक्षण लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय उस्मानी जी, आप इतना समझ लीजिये। माननीय मंत्री जी, दो विषय है आपका। एक बैच प्रशिक्षण लिया, एक बैच प्रशिक्षण नहीं लिया। जिसने प्रशिक्षण लिया उसके सन्दर्भ में आप अपना वक्तव्य मांग रहे हैं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं क्या है। नहीं-नहीं कौन सा शब्द है। बात सुनिये हमारी।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, पांच हजार उर्दू टीचरों के....

श्री अध्यक्ष-

अरे हमारी बात सुनिये। मैं कह रहा हूं कि उर्दू टीचरों के प्रशिक्षण के सन्दर्भ में उत्तर में आया कि प्रशिक्षण जो करने वाले हैं जो बचे हुए हैं उसमें कुछ ने प्रशिक्षण के सन्दर्भ में याचिका दाखिल कर दी। शेष जिनका प्रशिक्षण हुआ है उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। उस मानदेय के बारे में भी एक याचिका दाखिल हुई। दो याचिकाएं दाखिल हुईं। एक प्रशिक्षण के बारे में और एक मानदेय के बारे में। अब दोनों याचिकाओं पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है फैसले के बाद। आपका भी यही कहना है कि प्रशिक्षण के लिये जो एक बैच बच गया है उनका प्रशिक्षण अभी नहीं कराया जा रहा है। उसी में से कुछ अभ्यर्थी 2-4-10 ने उसके साथ-साथ कुछ लोग प्रशिक्षण के बाद मानदेय नहीं पा रहे हैं उन लोगों ने भी याचिका दाखिल कर दिया। दोनों का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि प्रशिक्षण से सम्बन्धित कुछ लोगों ने याचिका किया है और प्रशिक्षण लेने के बाद जो लोग मानदेय नहीं पा रहे हैं उन्होंने भी याचिका दायर किया है। जो प्रभावी कार्यवाही है, वह विचाराधीन है। अब इसमें आप उसका इन्टरप्रिटेशन करेंगे तो बहुत लम्बी बात हो जायेगी। राम बिशुन आजाद जी को इतना समझा लिया गया।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, जो प्रशिक्षण शुरू करना है, उसके बारे में मंत्री जी बता दें कि कब शुरू करेंगे बस। जब न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तब।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो लोग अपीयर हुए उन्हीं के बारे में है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा एक बात है, आपको जो शंकाएं हैं उसके बारे में आप मंत्री जी को लिखकर के दे दें और माननीय विधायक जी आप सुनिये।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

5 हजार उर्दू टीचरों की इसमें बात ही नहीं आ रही है, जो हम पूछ रहे हैं और हमको घुमाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं घुमाया नहीं जा रहा है। हजारों प्रशिक्षण प्राप्त उर्दू प्रशिक्षुओं को मानदेय न दिये जाने और 2006 में दूसरी बैच के हजारों उर्दू शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में आपने कहा और जब जवाब आ गया कि उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित प्रशिक्षण के सम्बन्ध में, सन्दर्भित मतलब दूसरे बैच के जितनी भी संख्या हो 5 हजार, 4 हजार के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा रिट याचिकाएं दाखिल की गई है।

फिर दूसरा उसी में कह दिया मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या फलां-फलां पर यह भी अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया कि याचिका की सुनवाई तक विशिष्ट बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम में कोई प्रवेश प्रभावी नहीं होगा तथा जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है उन्हें अगली सुनवाई तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अब तो फंस गया मानदेय वालों का भी और उनका भी रिट विचाराधीन है। उक्त के सम्बन्ध में किसके सम्बन्ध में जहां आपने प्रशिक्षण की मांग कर रहे हैं कि उनका प्रशिक्षण कैसे होगा। आलरेडी रिट विचाराधीन है अगर आपके पास वह अभ्यर्थी आते हैं तो ....

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

आगे देखिये।

श्री अध्यक्ष-

आगे तो हो गया। अब क्या आगे ?

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, देंखे इसमें है कि अग्रेतर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए पारित आदेश दिनांक 14-09-2007 द्वारा बी0टी0सी0 उर्दू 2005 तथा 2006 (प्रथम तथा द्वितीय) सम्बन्धी शासनादेशों एवं विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के..

श्री अध्यक्ष-

यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

यह इसके दूसरे पृष्ठ पर दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप कहां से पढ़ रहे हैं। कभी हमारी भी तो सुना करिये। यह जो चार पांच लाइन आप पढ़े हैं यह कहां से पढ़े हैं ? इसी में का है वक्तव्य का ? कहां निरस्त कर दिया गया है ?

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

यह इसके दूसरे पृष्ठ पर दिया हुआ है। इसमें दिया है। इससे पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 10-10-2007 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14-09-2007 को स्थगित कर दिया गया तथा उक्त अपील में दिनांक 28-11-2007 को हुई सुनवाई में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णय दिया गया। इसमें लिखा है कि विभाग के पक्ष में निर्णय दिया गया। इसी में आगे लिखा है कि-'उल्लेखनीय है कि बी0टी0सी0 उर्दू 2005 तथा 2006 (प्रथम) के अनन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम सत्रांत परीक्षा सम्पन्न हो चुकी

है तथा उनका द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहा है। बी0टी0सी0 उर्दू 2005 के प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों के छः माह के मानदेय भुगतान हेतु ....

श्री अध्यक्ष-

वेतन भुगतान का प्रकरण है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या यह मानदेय का भुगतान करेंगे जो 6 महीने का बाकी है।

श्री अध्यक्ष-

बी0टी0सी0 उर्दू 2005 के प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों के छः माह के मानदेय भुगतान हेतु जो बात कही है उस पर हमें नहीं जाना है सीधा-सीधा कह दिया गया है जो शेष प्रशिक्षण का दूसरा बैच है इसमें कुछ लोगों ने याचिका दायर की है जो विचाराधीन है वहीं इसका पटाक्षेप हो जाता है। अब आप तो मानदेय का पढ़ रहे हैं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

इसमें है प्रवेश तथा मानदेय भुगतान पर रोक लगाये जाने के कारण इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष-

रोक लगी है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

आगे है सम्प्रति मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णय लिये जाने के उपरान्त, फिर भी कह रहे हैं उर्दू टीचरों को प्रशिक्षण दिलाया जाए। उर्दू बी0टी0सी0 2005 तथा 2006 (प्रथम) के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इसी में जोड़ देते पांच हजार उर्दू टीचरों जिनको प्रशिक्षण देना है वह भी प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष-

सब आ गया आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। रिट याचिका विचाराधीन है।

श्री लालजी वर्मा-

जो चयन हुआ है उनके प्रशिक्षण के बारे में जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री जी को लिखकर दे दें अगर कोई सन्देह है। आप लिखकर दीजिए कि पांच हजार लोगों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं लिखा है कि प्रभावी कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है। आप लिखकर दे दें पांच हजार प्रशिक्षुओं के बारे में हमें क्लीयर नहीं हो रहा है।

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी के अन्तर्गत नियुक्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जनवरी, 2006 से जून, 2006 तक का वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के माध्यम से ....

एक सदस्य-

पढ़ा मान लिया जाए।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[शासन के संज्ञान में लाया गया है कि विशिष्ट बी0टी0सी0 2004 के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति जनवरी, 2006 से जून,2006 तक नहीं दिया गया। उ0प्र0 सरकार ने सन् 2004 में विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत हजारों की संख्या में प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्यापकों का चयन किया था, ट्रेनिंग के उपरान्त उनकी नियुक्ति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में की गई, नियुक्ति के बाद जनवरी, 2006 से जून, 2006 तक प्रदेश के हजारों शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया, जब इस वेतन को रोकने की वजह मालूम की गई तो अधिकारियों ने यह कहा कि प्रमाण-पत्रों की जांच के बाद ही वेतन जारी किया जायेगा। परन्तु आज 2 वर्ष बीतने के बाद भी नहीं दिया गया। बार-बार पता करने पर यह बताया जाता है कि जिलों में उसका बजट नहीं आया है। वेतन न दिए जाने से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण बच्चों की शिक्षा, इलाज की समस्या उत्पन्न हो गयी है। परिवार उनका भुखमरी के कगार पर है। इससे शिक्षकों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विशिष्ट बी0टी0सी0 2004 के लिए 6,186 रिक्त पदों के सापेक्ष बी0एड0 एवं समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आंमन्त्रित करने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ के माध्यम से चयन किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी।

उक्त चयन में प्रथम सूची में लगभग 32000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कराने के उपरान्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन्न वर्ग/श्रेणी का ध्यान रखते हुए जनपद आवंटित किए गये। उक्त जनपदों में दूसरे जनपदों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी नियुक्ति हेतु भेजे गये थे। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने हेतु अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधान के अनुसार इन

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाना अति आवश्यक था, जिससे कि फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति से बचा जा सके। वह प्रक्रिया नियुक्ति से पूर्व की जानी थी। शिक्षकों की कमी तथा शासन पर इन विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की तरफ से बनाये गये दबाव के कारण शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति देने का आदेश हुआ जिसके फलस्वरूप इन्हें नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रदान कर दी गयी।

प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गये थे कि प्रथमतः प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराते हुए वेतन भुगतान प्रारम्भ कर दिया जाय। कुछ जनपदों में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराने में विभिन्न विश्वविद्यालयों में विलम्ब हुआ जिसके कारण कुछ महीनों तक उन्हें वेतन भुगतान की कार्यवाही नहीं हो सकी। शासन द्वारा उनके अवशेष वेतन का भुगतान करने हेतु कभी भी रोक नहीं लगायी गयी और धनराशि की भी कमी प्रतीत नहीं हुई।

विशिष्ट बी0टी0सी0 नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन मद में पड़ी कमी की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त अनुदान का आवंटन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जिस जनपद में धनराशि की कमी होती है तो जनपद के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें तत्काल धन आवंटित कर दिया जाता है।]

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, विशिष्ट बी0टी0सी0 जिनकी नियुक्ति 2006 में हुई। तो उनको जनवरी, 2006 से जून, 2006 तक का वेतन नहीं दिया गया। उनका 6 महीने का वेतन किन कारणों से रोक लिया गया है। जनवरी से जून तक का वेतन नहीं दिया गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

क्या जानना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, विशिष्ट बी0टी0सी0 वालों की ट्रेनिंग हुई उसके पश्चात् उनकी नियुक्ति हुई। प्रथम नियुक्ति जनवरी, 2006 में हुई तो जनवरी, 2006 से जून, 2006 तक का उनको वेतन नहीं दिया गया। वेतन शिक्षकों का रोक लिया गया। तो उनको 6 महीने का वेतन मंत्री जी दिलवाने की कृपा करेंगे जो हजारों शिक्षकों का रोक लिया गया है। जब उनको नियुक्ति-पत्र दे दिया गया तो वेतन भी मिलना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है कि प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गये थे कि प्रथमतः प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराते हुए वेतन भुगतान प्रारम्भ कर दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। कुछ जनपदों में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराने में विभिन्न विश्वविद्यालयों में विलम्ब हुआ जिसके कारण कुछ महीनों तक उन्हें वेतन भुगतान की कार्यवाही नहीं हो सकी। शासन द्वारा उनके अवशेष वेतन का भुगतान करने हेतु कभी भी रोक नहीं लगायी गयी और धनराशि की भी कमी प्रतीत नहीं हुई। मान्यवर, अब इसके बाद क्या रह गया। विशिष्ट बी0टी0सी0 नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन मद में पड़ी कमी की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त अनुदान का आवंटन किया गया है। पूरा स्पष्ट उत्तर दिया है। उक्त के अतिरिक्त जिस जनपद में धनराशि की कमी होती है तो जनपद के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें तत्काल धन आवंटित कर दिया जाता है। अब क्या रह गया, मान्यवर ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

आप बात तो सुन लें, आपने जो उत्तर दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें स्पष्ट दिया है कि नियुक्ति के सम्बन्ध में आवंटित की गई धनराशि, अगर किसी जिले में उसके आवंटन में जो धनराशि है, उसमें कमी है तो वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा जो मांग किया जायेगा उसके अनुसार तत्काल आवंटित किया जाता है, तो फिर कहां मान्यवर, रोका गया है ? मान्यवर, आप इसमें देख लें, इसमें रोका ही नहीं गया है। अगर कहीं कमी है, नहीं मिला है तो उस जिले के वित्त एवं लेखाधिकारी मांग करेंगे, उसके अनुसार आवंटित कर दिया जाता है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 मंत्री जी आप केवल इतना ही कह दें कि जो जनवरी, 2006 से जून, 2006 का बकाया है, उस वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

आप इसको स्वयं पढ़ लें, इसमें प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गये थे कि प्रथमतः प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कराते हुए वेतन भुगतान प्रारम्भ कर दिया जाए। कुछ जनपदों में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराने में विभिन्न विश्वविद्यालयों में विलम्ब हुआ जिसके कारण कुछ महीनों तक उन्हें वेतन भुगतान की कार्यवाही नहीं हो सकी। शासन द्वारा उनके अवशेष वेतन का भुगतान करने हेतु कभी भी रोक नहीं लगायी गयी और धनराशि की भी कमी प्रतीत नहीं हुई। जो अवशेष वेतन रह गया उस पर न तो कोई रोक लगायी गयी। मान्यवर, एक प्रक्रिया है, कभी-कभी स्थिति ऐसी आ जाती है।

श्री अध्यक्ष-

आपने केवल 6 महीने के वेतन का पीरियड बताया है कि वेतन नहीं दिया गया इसके बारे में इन्होंने कह दिया कि विशिष्ट बी0टी0सी0 नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन मद में पड़ी कमी, 6 महीने की कमियां जो पड़ी थीं, उसके सन्दर्भ में प्रतिपूर्ति के लिए, अतिरिक्त धराशि का आवंटन किया गया है, अब जा करके उन्होंने धनराशि का आवंटन किया है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

बहुत छोटी बात मैं कह रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं कि 6 महीने का वेतन जो बकाया है, वह सरकार करा देगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, स्पेशिफिक कोई मामला होगा, यह दे देंगे तो उसको दिखवा लेंगे, जो नियमानुसार होगा, वह किया जायेगा। कहीं डिमाण्ड आया ही नहीं, मान्यवर, किसी जिले का स्पेशिफिक मामला होगा, लिखकर माननीय सदस्य दे देंगे, उसको परीक्षण करा लिया जायेगा और जो नियमानुसार होगा, वह किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मेरी नियम-51 की सूचना स्वीकार की और मैं समझता हूं कि पूरे विवेक के साथ इसको स्वीकार करके और इसको वक्तव्य के लिए आपने कहा है। इसमें कहने में क्या दिक्कत है कि जो 6 महीने का बकाया है, उसका भुगतान कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी, वक्तव्य के नीचे का शब्द पढ़िए, इसका क्या मतलब है ? वक्तव्य का निचला पैरा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैंने पढ़ लिया है। मान्यवर, इतना ही बता दें कि यह धन कब आवंटित किया ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 सदस्य स्पेशिफिक किसी जिले का नाम बतायेंगे, उसकी सूचना प्राप्त करके दे दी जायेगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैं लखनऊ के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, इसकी सूचना प्राप्त करके बता दिया जायेगा।

जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ की शाखा संग्रामगढ़ को ग्राम सभा संग्रामगढ़ की सीमा के अन्तर्गत रखे जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)

मान्यवर, जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ की शाखा संग्रामगढ़...

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[को ग्राम सभा अशोगी से हटाकर पुनः ग्राम सभा-संग्रामगढ़ की सीमा में स्थानान्तरित किये जाने से सम्बन्धित श्री प्रमोद तिवारी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25-2-2008 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि जिला सहकारी बैंक लि0 प्रतापगढ़ विगत कई वर्षो से संग्रामगढ़ कस्बे में किराये के भवन में संचालित थी तथा किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। किन्तु प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह के साथी श्री प्रदीप सिंह जिन पर लगभग 35 मुकदमें दर्ज हैं तथा जो थाना संग्रामगढ़ के हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं, ने उक्त शाखा संग्रामगढ़ ग्राम सभा से हटाकर एक सुनसान जगह ग्राम सभा अशोगी में अपने पारिवारिक भवन में खोल ली है। जिस मकान में जिला सहकारी बैंक की संग्रामगढ़ शाखा स्थानान्तरित की गयी है उसी मकान के एक हिस्से में श्री प्रदीप सिंह स्वयं भी रहते हैं तथा दर्जनों अपराधियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे सहकारी बैंक/साधन सहकारी समिति के कर्मचारी, खाताधारक तथा क्षेत्रीय जनता बैंक आने-जाने में डरती है और हमेशा बन्दूक की नोक पर रहती है तथा उनके साथ जोर-जबरदस्ती एवं दुर्व्यवहार होता रहता है।

2-इस सम्बन्ध में निबन्धक, सहकारी समितियों से प्राप्त आख्या के अनुसार जिला सहकारी बैंक लि0 प्रतापगढ़ की शाखा संग्रामगढ़ विगत में स्थानीय कस्बे में किराये के भवन में संचालित थी जिसकी स्थिति काफी जर्जर थी। भवन स्वामी से अनुरोध किये जाने के बावजूद भी भवन की मरम्मत नहीं करायी गयी। अतः माह जनवरी, 2005 में उक्त शाखा नये भवन में स्थानान्तरित की गयी। बैंक शाखा के भवन स्वामी का नाम श्री गिरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री बेनी बहादुर निवासी ग्राम बिजयी मऊ है।

3-जहां तक बैंक शाखा पर अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा लगने का प्रश्न है यह आरोप असत्य एवं निराधार है क्योंकि जब से उक्त भवन में शाखा स्थानान्तरित हुई है तब से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। यह भी उल्लेखनीय है कि नये भवन में शाखा स्थानान्तरित होने के समय दिसम्बर, 2004 तक शाखा-संग्रामगढ़ का डिपाजिट रु0 142.91 लाख तथा लोन एवं एडवान्स रु0 166.47 लाख था जो जून, 2007 तक बढ़कर क्रमशः रु0 181.99 लाख एवं रु0 335.85

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाख हो गया। स्पष्ट है कि शाखा संग्रामगढ़ के व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः उक्त स्थान पर बैंक शाखा होना बैंक एवं जनहित में उचित है।]

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित साधन सहकारी समिति लिमिटेड बल्ला मजरा कार्यालय में लाखों रुपये का कथित घोटाला करने वाले पूर्व सचिव के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल वारिस खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर स्थित साधन सहकारी समिति लिमिटेड....

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[बल्लामजरा में श्री रामेश्वर प्रसाद पूर्व सचिव द्वारा समिति का उर्वरक स्टाक अपहृत किये जाने पर तत्कालीन अपर जिला सहकारी अधिकारी कैराना श्री एम0एल0 गौतम द्वारा दिनांक 17-3-2004 को थाना झिझाना जनपद मुजफ्फरनगर में श्री रामेश्वर प्रसाद पूर्व सचिव के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-57/04 धारा-409 भा0द0वि0 में रु0 2046710.40 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। कार्यवाही लम्बित है किन्तु कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

2-136 किसानों द्वारा तत्कालीन प्रभारी सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-70 के अधीन मध्यस्थ वाद दायर किये गये थे जिसकी धनराशि 31.12 लाख रु0 थी। इसमें से 61 वाद निस्तारित हो चुके हैं निर्णीत 61 वादों में से 53 वादों में श्री रामेश्वर प्रसाद को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध डिक्री आदेश पारित किये गये हैं। शेष 08 वादों में किसानों के विरुद्ध डिक्री आदेश पारित किये गये हैं। लम्बित 75 वादों की सुनवाई में से 10 वाद संयुक्त निबन्धक सहकारी समितियां उ0प्र0 मेरठ मण्डल के स्तर पर, 25 प्रकरण जिला सहायक निबन्धक मुजफ्फरनगर के स्तर पर तथा 40 वाद अपर जिला सहकारी अधिकारी कैराना के स्तर पर निर्णय हेतु लम्बित हैं। चूंकि सेवाच्युत पूर्व सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद सुनवाई की तिथियों में सम्मन भेजे जाने पर भी अनुपस्थित रहे हैं इसलिये वादों के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है। इन सभी प्रकरणों में या तो सुनवाई अन्तिम चरणों में है अथवा पूर्ण हो चुकी है अथवा निर्णय आना शेष है।

नोट:-[ ] यह अश पढ़ा हुआ माना गया

3-श्री रामेश्वर प्रसाद के विरुद्ध निर्णीत वादों में उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-92 के अधीन निष्पादन कार्यवाही समिति के द्वारा करायी जा चुकी है इस प्रकार 53 कृषक सदस्यों के खाते में लगे ऋण को श्री रामेश्वर प्रसाद के नाम डालते हुए वसूली की कार्यवाही करायी जा रही है तथा सम्बन्धित कृषक नियमानुसार ऋण पाने के पात्र हो चुके हैं। श्री रामेश्वर प्रसाद की अचल एवं चल सम्पत्तियां खुर्द बुर्द विक्रय/अन्तरण पर रोक लगाने हेतु समस्त सम्पत्तियों को कुर्क करने के आदेश धारा-94 के अधीन निर्गत किये जा चुके हैं। प्रश्नगत समिति अपने कृषक सदस्यों को खरीफ अभियान में 151.00 लाख रुपये तथा रबी अभियान में दिनांक 15-2-2008 तक 70.00 लाख रुपये का अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण भी कर चुकी है तथा उनकी आवश्यकतानुसार कृषि निवेशों की उपलब्धता भी अपने उर्वरक बिक्री केन्द्र चौसाना के माध्यम से करा रही है। समिति में लेखा परीक्षा का कार्य नियमित रूप से चल रहा है तथा निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी विद्यमान है। जिसके अध्यक्ष श्री मुबारक अली हैं। समिति लाभ पर कार्यरत है किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और उनमें रोष व्याप्त नहीं है।]

जनपद रामपुर की तहसील मिलक की भवरकी में सैजनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद रामपुर की तहसील मिलक की भवरकी.....

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[में सैजनी नदी पर पुल न होने के कारण लगभग 50-60 गांवों का रास्ता बन्द हो जाता है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पुल को बनवाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। इस पुल के निर्माण से 50-60 गांवों के लोगों को काफी सुविधा हो जायेगी। जनहित में इस पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के अनुसार प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम में 15 कि0मी0 पर केमरी-कमुआ नगला मार्ग पर 46.60 मीटर लम्बा

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सेतु बना हुआ है। अपस्ट्रीम में उपलब्ध उक्त सेतु के दृष्टिगत सम्प्रति प्रश्नगत स्थल पर सेतु का निर्माण विचाराधीन नहीं है।]

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा कम बिजली उपभोग करने के बाद भी निर्धारित यूनिट के अनुसार विद्युत मूल्य लिये जाने में हो रही धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन "आदित्य" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा कम बिजली.....

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[राज्य क्षेत्र के विद्युत गृहों एवं केन्द्रीय सेक्टर से उपलब्ध विद्युत के आधार पर निर्धारित विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराये जाने के प्रयास किए जाते हैं परन्तु विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी के कारण प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपातकालीन विद्युत कटौती कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है। उपभोक्ताओं से दुगुनी मात्रा में बिजली की कीमत वसूल किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऐसे घरेलू बत्ती, पंखा श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं, जिनके परिसर में स्थापित बिजली के मीटर कार्य कर रहे हैं, उनसे वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत कर राजस्व वसूली की जाती है परन्तु जिन उपभोक्ताओं के मीटर लम्बी अवधि से खराब चल रहे हैं, उनसे अस्थाई रूप से प्रोविजनल विद्युत बिल निर्गत कर राजस्व वसूली की जा रही है। खराब मीटर बदल दिए जाने के उपरान्त इन उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित सही मीटरों के द्वारा अंकित की गई मीटर रीडिंग के औसत के आधार पर पूर्व में निर्गत अस्थाई विद्युत बीजकों का संशोधन किए जाने का प्राविधान है।]

जनपद वाराणसी के रामनगर में गंगा नदी के दायें तट पर किले के समीप घाट के अधूरे निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद वाराणसी के रामनगर में गंगा नदी के दायें.....

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है।)

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[तट पर पक्का घाट के निर्माण के लिए परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति की 132वीं बैठक दिनांक 26-10-2004 द्वारा रु0 355.29 लाख की स्वीकृति हुई तथा मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या-145/32/2004 दिनांक 01-06-2004 क्रम संख्या-40370042213 द्वारा इस कार्य को कराये जाने की घोषणा की गई थी। दिनांक 08-11-04 को शासन से वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 277.55 लाख अवमुक्त हुआ था। इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 31-12-2005 को किया गया। लगभग रु0 40.00 लाख का धन भी कार्य में लगाया जा चुका है। इसी दौरान प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दिनांक 18-05-2006 के अनुपालन में आदेश द्वारा जून, 2006 में कार्य बन्द करा दिया गया। यह भी अवगत कराना है कि वन विभाग के द्वारा एवं लेखपाल आदि द्वारा गंगा नदी के क्षेत्र के मानचित्र पर अंकित किया गया, इसका सर्वे कराया गया संलग्न मानचित्र से स्पष्ट है कि पक्के घाट के निर्माण हेतु दो वाल एवं लांचिग एप्रन गंगा नदी क्षेत्र में नहीं आ रहा है। अतः वन विभाग द्वारा लगाये गये रोक को समाप्त कराकर तत्काल घाट का कार्य पूरा कराया जाये।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी की नगर पालिका परिषद्, रामनगर में गंगा नदी के दायें तट पर पक्का घाट के निर्माण बाघी के लिए रिवाल्विग फण्ड से शासनादेश संख्या-1975/नौ-9-2004-91ज/04टीसी, दिनांक 08-11-04 द्वारा रु0 227.55 लाख की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी थी। कार्यदायी संस्था बाघी प्रखण्ड वाराणसी को रु0 40.00 लाख की धनराशि निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी थी। इस दौरान स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म शताब्दी पर प्रस्तावित कार्य योजना में गंगा घाट निर्माण कार्य योजना को भी सम्मिलित कर लिये जाने के कारण अवशेष धनराशि रु0 187.55 लाख राजकोष में जमा कर दी गयी। अब यह योजना संस्कृति विभाग के अन्तर्गत आ गई है तथा संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या-4279/चार-06-70(बजट)/05, दिनांक 13-11-06 द्वारा संस्कृति निदेशालय को रु0 1.00 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0 प्र0 शासन वन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4170/14-3-62/89 (अधिनियम सं0-53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल द्वारा वाराणसी शहर के निकट गंगा नदी के मध्य धारा के किनारे लगभग 07 कि0मी0 तक फैले (उर्द्धव प्रवाह सीमा रामनगर किला से अर्द्ध प्रवाह सीमा मालवीय रेल एवं सड़क पुल राजघाट तक) क्षेत्र को कछुवा वन्य जीव विहार क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने पत्र संख्या-3356/26 रामनेगर दिनांक 18-05-06 द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और यह कहा कि वन्य जीव विहार के अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय प्राधिकृत समिति से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। कार्यदायी संस्था बाघी प्रखण्ड वाराणसी द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा मा0 केन्द्रीय प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

ऐसी स्थिति में वन्य जीव विहार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य कराया जाना मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होगा एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के विपरीत होगा।]

वाराणसी नगर में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध खुली देशी व विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स के नवीनीकरण को रोकने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आबकारी मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, वाराणसी नगर में मा0 उच्चतम नयायालय के निर्णय.....

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के नियम-5(4) में यह प्राविधान है कि "किसी सार्वजनिक समागम के स्थान, स्कूल, अस्पताल, पूज्य स्थान या फैक्ट्री या किसी भी बाजार अथवा आवासिक कालोनी के प्रवेश माार्ग के बिल्कुल निकट किसी भी नयी दुकान या उप दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। किसी दुकान या उप दुकान को लाइसेंस देने में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई समस्त आपत्तियों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।" उक्त प्राविधान के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दृष्टिगत वाराणसी नगर में देशी व विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स नियम विरुद्ध नहीं दिये गये हैं और न ही वर्ष 2008-09 में नियम-विरुद्ध नवीनीकरण किया जाएगा।

2-वाराणसी नगर में बाबा विश्वनाथ मन्दिर के एक किलोमीटर की परिधि को पूर्ण मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य में शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों तथा रिहायशी इलाकों के 100 मीटर के दायरे में मदिरा की दुकानें ने खोलने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-02-2008 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा रही है, प्रति प्राप्त होने पर यथावश्यक नियमनुसार कार्यवाही की जाएगी।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम महिउद्दीनपुर कनावली में ग्राम प्रधान एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित पट्टे की भूमि को प्राइवेट कम्पनी को बेचे जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम-महिउद्दीनपुर कनावली.....

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[परगना लोनी तहसील दादरी में ग्राम प्रधान एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से वर्ष 1994 में किये गये अनुसचित जाति के व्यक्तियों को ग्राम समाज की भूमि के आवंटित पट्टों को निरस्त कर प्राइवेट कम्पनी को बेचने की सूचना दी गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि ग्राम-महीउद्दीनपुर-कनावली, तहसील-दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर में दिनांक 30-6-1994 को कुल 11 व्यक्तियों को खसरा सं0 525, 526/4,527 का कृषि पट्टा किया गया था। उक्त में से 7 अनुसूचित जाति तथा 4 पिछड़ी जाति के पट्टेदार हैं।

उक्त पट्टेदारों को खतौनी वर्ष 1409-1411 फसली में दिनांक 03-10-2003 को प्रथमतः असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किया गया था और बाद में उप जिलाधिकारी-दादरी के आदेश दिनांक 18-9-2006 के अन्तर्गत संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किया गया। इस प्रकार वास्तव

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में वर्ष 1409-1414 फसली की खतौनी में प्रथम बार पट्टेदारों का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हुआ।

उक्त पट्टे कभी भी निरस्त नहीं हुए हैं अपितु पट्टेदारों ने तत्कालीन उप जिलाधिकारी-दादरी के न्यायालय में धारा-143 उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित भूमि को आकृषिक घोषित कराकर उसे मैसर्स यू0 एम0 आर्किटेक्चर्स कान्ट्रेक्टर्स लि0 के पक्ष में 20-11-2006 व 21-11-2006 को विक्रय कर दिया, जिसका अमलदरामद तत्कालीन तहसीलदार-दादरी के आदेश दिनांक 9-2-2007 को किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा सं0 525, 526/4, 527 पर मैसर्स यू0एम0 आर्किटेक्चर्स कान्ट्रेक्टर्स लि0 का नाम दर्ज हैं।

तत्कालीन उप जिलाधिकारी, दादरी द्वारा धारा143 उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-11-2006 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 8-5-2007 को निरस्त की गयी अतः इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से निगरानी दर्ज करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है और निगरानी न्यायालय द्वारा मामले में पारित आदेशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। दिनांक 03 मार्च, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 36 मिनट पर सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2008 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 1 मार्च, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 अधिष्ठाता के आदेश पीछे पृष्ठ 100 पर।)

माननीय वन मंत्री जी का बजट भाषण (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

(2008-2009)

श्रीमन् मैं, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, तीन अरब, बानवे करोड़, तिहत्तर लाख, दस हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वन विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इस प्रदेश की मुख्य मंत्री आदरणीय बहन मायावती जी का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे वन विभाग का दायित्व देकर यह अवसर प्रदान क़िया कि वन विभाग का बजट प्रस्तुत कर सकूं।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का वनावरण एवं वृक्षावरण, 9.26 प्रतिशत है। हमारी सरकार वृक्षावरण की वृद्धि एवं वन्य जीव के संरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राण वायु आक्सीजन एवं पर्यावरण के संतुलन बनाने हेतु वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आम जन मानस के दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे-जलौनी की लकड़ी, इमारती लकड़ी, घास, चारा, पत्ता एवं उद्योग धन्धों में कागज, प्लाई बोर्ड, खेलकूद का सामान, पैकिंग केस आदि के लिए कच्चा माल की उपलब्धता वन विभाग करता है। इसमें लाखों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर प्रदान होता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एक दिन में एक करोड़ पांच लाख छियालिस हजार चार सौ अड़तालिस पौधों का रोपण करके गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में नाम दर्ज कराया।

मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल भारत देश ही नहीं विश्व में इस प्रयास से उत्तर प्रदेश की सराहना हो रही है।

भारत के संविधान के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। जिससे जनमानस के बीच वृक्षारोपण के प्रति अभिरुचित पैदा होगी।

मान्यवर, सदन का ध्यान इस वित्तीय वर्ष में वन विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों की ओर आकर्षित करते हुए सरकार की ओर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वन विभाग अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित है।

यहां हम सभी के लिए गर्व की बात है कि विभाग ने एक दिन में 1,05,86,448 (एक करोड़ पांच लाख छियासी हजार चार सौ अड़तालिस) पौधों का रोपण करके विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

वन विभाग राज्य के संसाधनों के साथ-साथ भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश के वन क्षेत्र को बढ़ाने और वन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाली गरीब जनता का आर्थिक स्तर उठाने की दिशा में जापान बैंक से रु0 468 करोड़ 55 पैसे प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण ले रहा है। जिसकी अदायगी 40 वर्ष में की जायेगी।

मान्यवर, सदन यह जानकर प्रसन्न होगा कि वन विभाग के इतिहास में शीतकालीन वृक्षारोपण किया गया जिसके अन्तर्गत विगत एक माह में लगभग 4000 हे0 क्षेत्र में लगभग पैंतीस लाख तिरपन हजार पौधों का रोपण किया गया है।

इसी प्रकार वन विभाग ने माननीया मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देश में 763 लोगों की भर्ती करके बैकलाग का कार्य निर्धारित समय में पूरा किया है।

मान्यवर, माननीय सदस्य इस बात से भलीभांति परिचित होंगे कि वन्य जीव हमारे सामाजिक परिवेश के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर सदन में समय-समय पर चर्चा होती रही है। वन विभाग इस समस्या से पूरी तरह भिज्ञ है और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रदेश स्तर पर व्यापक प्रवर्तन कराया गया है। इसके अन्तर्गत 221 मामले दर्ज कराये गये जिनमें 509 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई एवं रु0 6.48 लाख का जुर्माना वसूल कर अवैध शिकारों पर प्रभावशाली अंकुश लगाया गया है।

वन विभाग अवैध कटान पर प्रभावी नियंत्रण के प्रति सदैव सजग है। वर्ष 2007-08 में अब तक 2155 मामलों में 5811 वृक्षों जिनका मूल्य रु0 69.52 लाख है के कटान के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। इसमें संलिप्त 1882 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा रु0 62.97 लाख के मूल्य का प्रकाष्ठ जब्त किया गया तथा रु0 95.64 लाख का मुआवजा वसूल किया गया।

दुधवा टाइगर रिजर्व प्रदेश का एक प्रतिष्ठित वन्य जीव वास स्थल है। इस क्षेत्र से शारदा एवं सुहेली नदियां गुजरती हैं। शारदा नदी इस पार्क में कटान करके तथा सुहेली नदी बाढ़ से पार्क में अपूर्णीय क्षति कर रही थी। इस समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार ने अपने स्रोतों से रु0 615.55 लाख की व्यवस्था करके इन समस्याओं के निराकरण की दिशा में सराहनीय प्रयास किया है।

मान्यवर, वन विभाग प्रदेश के वनावरण और वृक्षावरण को सुरक्षित रखने के साथ उसे बढ़ाने, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी संख्या में वृद्धि का मुख्य कार्य वर्षों से करता चला आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वन विभाग ने राजस्व के विभिन्न स्रोतों का अनुसंधान करके प्रदेश के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में अपना नाम सम्मिलित करवाया है। इस दिशा में वन विभाग में माह फरवरी, 2008 तक गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रु0 6011.48 लाख की

वृद्धि करके रु0 23496.49 लाख का राजस्व अर्जित किया गया है। जो गत वर्ष की अपेक्षा 34.38 प्रतिशत अधिक है। 126 नये बैरियर स्थापित कर राजस्व में 8.62 करोड़ की वृद्धि की गयी है।

मान्यवर, प्रदेश से उत्तराखण्ड पृथक होने के बाद वनावरण और वृक्षावरण कम हो जाने के कारण सरकार और समाज पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि इस दिशा में विशेष प्रयास किया जायें। वन विभाग ने पहली बार विभागीय बजट के अलावा भारत सरकार, प्रदेश सरकार के दूसरे विभागों से, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निजी उद्योग घरानों आदि से सम्पर्क करके लगभग रु0 87 करोड़ की धनराशि प्राप्त की है और लगभग 27 करोड़ की धनराशि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है।

मान्यवर, वनों की सुरक्षा, विकास के साथ-साथ प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। इसलिए वन क्षेत्रों में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में वन प्रबन्धन को आधुनीकृत करने का प्रयास किया गया है। विभाग ने प्रयास कर भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर रु0 4.54 करोड़ की व्यवस्था की है, जिसका प्रयोग आधुनिक संचार साधन एवं संयंत्र (मोबाइल फोन, जी0पी0एस0, ट्रैक्यूलाइजर गन, वाहन आदि), परिवहन तथा अग्निशमन हेतु वाहन (मोटर साइकिल, ट्रैक्टर टैंकर) आदि की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जायेगा।

मान्यवर, मैं सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि वन विभाग में आम जनता की सुविधा के लिए कई ऐसे सराहनीय कार्य किये गये हैं जो कि सफलता की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

उदाहरण के लिए वन विभाग के इतिहास में पहली बार बांदा एंव चित्रकूट के ग्रामीण अंचलों में बांस पर आधारित उद्योगों से जुड़े परिवारों को उनके दरवाजे पर सस्ते दर पर बांस उपलब्ध कराया जा रहा है।

वन विभाग के इतिहास में पहली बार रिहायशी मकान के लिए वन निगम के फुटकर बिक्री केन्द्र खोलकर उच्च गुणवत्ता की चिरान लकड़ी बाजार भाव से सस्ते दर पर आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही है।

आम जनता की परेशानी को देखते हुए श्मशान घाटों पर रियायती दरों पर जलौनी लकड़ी की व्यवस्था की गयी है।

वन विभाग के इतिहास में पहली बार रु0 4.56 करोड़ की धनराशि वन विश्राम गृहों के व्यापक जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध कराई गई है।

महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि वन विभाग ने भारत सरकार से सम्पर्क करके केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2006-07 में अवमुक्त रु0 751 लाख की तुलना में वर्ष 2007-08 में भारत सरकार द्वारा रु0 944 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

इसी प्रकार लखनऊ एवं कानपुर प्राणि उद्यानों में वन्य जीवों के भोजन, चिकित्सा तथा सुरक्षा के लिए रु0 213.14 लाख की व्यवस्था करके गुणात्मक सुधार लाया गया है।

महोदय, प्रदेश में पिछले 34 वर्षों में एक भी प्राणि उद्यान की स्थापना न होना एक चिन्ता का विषय है। प्राणि उद्यान आम जनता को वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सशक्त माध्यम हैं। इनसे न केवल आम जनता अपना मनोरंजन करती है बल्कि आधुनिकीकरण की बढ़ती दौड़ में वन्य जीवों के प्रति बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए प्राणि उद्यानों की स्थापना करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस दिशा में वन विभाग ने आगरा, मुरादाबाद एवं गोरखपुर में प्राणि उद्यान स्थापित करने की आवश्यकता है और संचालित प्राणि उद्यानों में पक्षिओं और वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में लखनऊ प्राणि उद्यान ने नन्दन कानन प्राणि उद्यान से बाघों का एक जोड़ा, मैसूर प्राणि उद्यान से चिम्पैन्जी का एक जोड़ा एवं टाटा प्राणि उद्यान से तीन रीव्स फीजेन्ट्स, दो गोल्डेन फीजेन्ट, 3 ग्रे लैग गूज़ एवं दो लकड़बग्घा प्राप्त किये गये हैं एवं पश्चिम बंगाल सरकार से पांच हाथियों की व्यवस्था की गई है।

ऐसा ही एक सफल प्रयास विभाग ने वन्य जीवों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में किया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर वन्य जीवों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गति अवरोधक एवं सूचना पट लगाये जा रहे हैं एवं प्रभावी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में आम जनता की सहभागिता का विशेष महत्व है। अतः आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2007-08 में वृक्ष बन्धु पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गयी है।

मान्यवर, अब मैं 2008-09 के प्रस्तावित बजट में जिन महत्वपूर्ण प्रस्ताओं को सम्मिलित किया गया है उनको सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक समझता हूं।

1-वृक्षारोपण को व्यापक और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 2008-09 में रु0 282 करोड़ व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

वन्य जीव चिकित्सालय

- वन्य जीव चिकित्सालय हेतु एक उच्च स्तरीय चिकित्सालय के अभाव को पिछले कई वर्षों से महसूस किया जाता रहा है। इस अभाव को दूर करने के लिए वर्ष 2008-09 में रु0 184.43 लाख की व्यवस्था करके एक राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव चिकित्सालय लखनऊ प्राणि उद्यान में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

बाल ट्रेन

- लखनऊ प्राणि उद्यान में बाल ट्रेन बच्चों का एक मुख्य आकर्षण रहा है। प्राणि उद्यान में आगन्तुकों की बढ़ रही संख्या

और उसमें विशेष कर बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बाल ट्रेन के आकार और प्रकार में विस्तार करने के लिए रु0 25.20 लाख की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

इलेक्ट्रिक फेन्सिंग

- उत्तराखण्ड का सृजन होने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की सीमाओं पर जंगली हाथियों द्वारा जन मानस और फसलों को हानि पहुंचाने की कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटित हुई हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु भारत सरकार से रु0 277.94 लाख प्राप्त करके सीमा पर इलेक्ट्रिक फेन्सिंग की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नये टाइगर व हाथी रिजर्व

- वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य से पीलीभीत जनपद में एक और टाइगर रिजर्व एवं बिजनौर जनपद में हाथी रिजर्व घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

जैव विविधता बोर्ड

- उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के लिए रु0 5 करोड़ की व्यवस्था कराई जा रही है।

सामान्य वर्ग भर्ती

- माननीया मुख्य मंत्री जी की दृढ़ इच्छा और दूरदर्शिता का परिचायक है कि उन्होंने लगभग 15 वर्ष से सामान्य वर्ग की भर्ती पर लगी रोक को हटा कर भर्ती करने का निर्देश दिया है।

नये प्राणि उद्यान

- प्रदेश में पिछले 34 वर्षों में किसी नये प्राणि उद्यान की स्थापना नहीं हुई है। जन मानस में वन्य जीवों की बढ़ती जिज्ञासा और रुचि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आम जनता को वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनाया जाये। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008-09 में 3 नये प्राणि उद्यानों की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

वन्य जीव योजना

- राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्य जीव विहारों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2008-09 में रु0 475.02 लाख का प्रस्ताव है।

वृक्ष बन्धु पुरस्कार

- वृक्षारोपण वृद्धि में जन सहभागिता बढ़ाने हेतु वृक्ष बन्धु पुरस्कार हेतु रु0 5 लाख की व्यवस्था कराई जा रही है।

केन्द्रीय सहायता

- वर्ष 2008-09 में वृक्षारोपण वन्य जीव योजनाओं में भारत सरकार से लगभग रु0 39 करोड़ की धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

वृक्षारोपण में आम जनता की भागीदारी

- वन निगम के माध्यम से आम जनता की भागीदारी के आधार पर वृक्षारोपण की नई योजना लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में खाली पड़ी।

वर्ष 2008-09 के महत्वपूर्ण प्रस्तावित कार्य

मैंने अपने सम्बोधन में विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख किया है जिसमें महत्वपूर्ण कार्यों के साथ-साथ अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाने और उनका बेहतर प्रयोग किये जाने की दिशा में सदन में कुछ विवरण रखा है। इन्हीं प्रयासों को और सुदृढ़ करते हुए वर्ष 2008-09 के प्रस्तावित बजट में महत्वपूर्ण प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं जिन्हें मैं सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक समझता हूं।

वृक्षारोपण की व्यापकता

- वृक्षारोपण को व्यापक बनाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 में रु0 282 करोड़ व्यय किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

वन खेलकूद परिषद्

- प्रदेश में गठित उत्तर प्रदेश राज्य वन खेलकूद परिषद् को सुदृढ़ करने हेतु रु0 15 लाख की धनराशि की व्यवस्था की जा रही है तथा प्रदेश में एक राष्ट्रीय स्तर का वन खेलकूद काम्प्लेक्स विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

जैव विविधता पार्क

- प्रदेश में 5 जैव विविधता पार्कों का विकास किये जाने का प्रस्ताव है।

बांस वृक्षारोपण

- प्रदेश में बांस संवर्धन कार्यक्रम को वृहद् स्तर पर संचालित करते हुए 2000 हे0 क्षेत्र में बांस का रोपण एवं संवर्धन कराया जाना प्रस्तावित है।

वन क्षेत्रों का सर्वे सीमांकन

- प्रदेश में वन क्षेत्रों के सर्वे सीमांकन कराने हेतु रु0 216.40 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने में सहायता मिलेगी।

संयुक्त वन प्रबन्ध

- प्रदेश में गठित 2511 संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों को सुदृढ़ करने हेतु संयुक्त वन प्रबन्ध के अन्तर्गत रु0 30 करोड़ की सहायता भारत सरकार से प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

वन प्रबन्ध में भागीदारी

- प्रदेश के वन क्षेत्रों में 500 नई वन समितियों को गठित किया जायेगा। इन वन समितियों से जुड़े लोगों को स्थानीय तौर पर उद्योग धन्धों हेतु वन उत्पाद और वन से जुड़े कार्यों को सम्पन्न कराने का अवसर दिया जायेगा।

वन उत्पाद में भागीदारी

- वन समितियों को उनके कार्य क्षेत्र में वन प्रबन्धन के अधिकार देते हुए वन उत्पाद का 50 प्रतिशत हिस्सा उन्हें दिया जायेगा। इससे स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलेगी।

मार्ग वृक्षारोपण में प्रजातियां

- वृक्षारोपण में सड़कों के किनारे होने वाले वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जायेगी और वृक्षारोपण में लगाई जाने वाली प्रजातियों में शीशम, आम, नीम, इमली, जामुन, बेल एवं महुआ को वरीयता दी जायेगी।

फुटकर बिक्री केन्द्र

- प्रदेश की जनता को रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु कटी लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु 10 बड़े शहरों में नये बिक्री केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

डिपो का सुदृढ़ीकरण

- वन निगम की विपणन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु रु0 20 करोड़ की धनराशि व्यय करके बिक्री डिपो को सुदृढ़ किया जायेगा। विपणन प्रणाली में सुधार करके निगम की आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

वन अग्नि सुरक्षा

- वनों में आग की रोकथाम हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करके फायर फाइटिंग व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का प्रस्ताव है।

वन विभाग का आधुनिकीकरण

- वन विभाग के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु रु0 636.54 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

बुलेट प्वाइंट

- विश्व स्तरीय कीर्तिमान :-विभाग ने एक दिन में 1,05,86,448 (एक करोड़ पांच लाख छियासी हजार चार सौ अड़तालिस) पौधों का रोपण।
- जापान बैंक :-रु0 468 करोड़ (रु0 चार सौ अड़सठ करोड़) 55 पैसे प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण। अदायगी 40 वर्ष में।

- शीतकालीन वृक्षारोपण लगभग 4000 हे0 क्षेत्र में लगभग 35,53,000 (पैंतीस लाख तिरपन हजार) पौधों का रोपण।
- माननीया मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देश में 763 लोगों की भर्ती करके बैकलाग पूरा किया है।
- वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में व्यापक प्रवर्तनः- इसके अन्तर्गत 221 मामले दर्ज कराये गए जिनमें 509 व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं रु0 6.48 लाख का जुर्माना वसूल।
- अवैध कटान पर प्रभावी नियंत्रण :-वर्ष 2007-08 में अब तक 2155 मामलों में 5811 वृक्षों, जिनका मूल्य रु0 69.52 लाख है, के कटान। इसमें संलिप्त 1882 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा रु0 62.97 लाख का मूल्य का प्रकाष्ठ जब्त किया गया तथा रु0 95.64 लाख का मुआवजा वसूल किया गया।
- दुधवा टाइगर रिजर्व प्रदेश का एक प्रतिष्ठित वन्य जीव वास स्थल है। इस क्षेत्र से शारदा एवं सुहेली नदियां गुजरती हैं। शारदा नदी के कटान तथा सुहेली नदी बाढ़ से पार्क में अपूरणीय क्षति। इस समस्या के निदान के लिए रु0 615.55 लाख की व्यवस्था।
- राजस्व : रु0 23496.49 लाख का राजस्व अर्जित। जो गत वर्ष की अपेक्षा 34.38 प्रतिशत अधिक है। 126 नये बैरियर स्थापित कर राजस्व में 8.62 करोड़ की वृद्धि की गयी है।
- विभागीय बैजट के अलावा भारत सरकार, प्रदेश सरकार के दूसरे विभागों से, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निजी उद्योग घरानों आदि से सम्पर्क करके लगभग रु0 87 करोड़ की धनराशि प्राप्त की है और लगभग 27 करोड़ की धनराशि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की संभावना है।
- वन प्रबन्धन को आधुनिकीकृत :-भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर रु0 4.54 करोड़ की व्यवस्था की है, जिसका प्रयोग (मोबाइल फोन, जी0पी0एस0, ट्रैक्यूलाइजर गन, वाहन आदि), परिवहन तथा अग्निशमन हेतु वाहन (मोटर साइकिल, ट्रैक्टर टैंकर) आदि की व्यवस्था।
- बांदा एवं चित्रकूट के ग्रामीण अंचलों में बांस पर आधारित उद्योगों को उनके दरवाजे पर सस्ते दर पर बांस।
- रिहायशी मकान :-वन निगम के फुटकर बिक्री केन्द्र।
- श्मशान घाटों पर रियायती दरों पर जलौनी लकड़ी की व्यवस्था।

- रु0 4.56 करोड़ की धनराशि वन विश्राम गृहों के व्यापक जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध कराई गई।
- केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रु0 944 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक।
- लखनऊ एवं कानपुर प्राणि उद्यानों में वन्य जीवों के भोजन, चिकित्सा तथा सुरक्षा के लिए रु0 213.14 लाख की व्यवस्था।
- लखनऊ प्राणि उद्यान ने नन्दन कानन प्राणि उद्यान से बाघों का एक जोड़ा, मैसूर प्राणि उद्यान से चिम्पैन्जी का एक जोड़ा एवं टाटा प्राणि उद्यान से तीन रीब्स फीजेन्ट्स, दो गोल्डेन फीजेन्ट. 3 ग्रे लैग गूज एवं दो लकड़बग्घा प्राप्त किये गये हैं एवं पश्चिम बंगाल सरकार से पांच हाथियों की व्यवस्था की गई है।
- वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर वन्य जीवों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गति अवरोधक एवं सूचना पट लगाना एवं प्रभावी पेट्रोलिंग।
- एक वित्तीय वर्ष में 14 नई योजनाओं के माध्यम से रु0 6745.47 लाख की व्यवस्था।
- आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्ष बन्धु पुरस्कार योजना प्रारम्भ।

वर्ष 2008-09 के महत्वपूर्ण प्रस्तावित कार्य

- वृक्षारोपण की व्यापकता : वर्ष 2008-09 में रु0 282 करोड़ व्यय का प्रस्ताव।
- वन्य जीव चिकित्सालय : रु0 184.43 लाख की व्यवस्था करके एक राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव चिकित्सालय लखनऊ प्राणि उद्यान में स्थापित करने का प्रस्ताव।
- बाल ट्रेन : लखनऊ प्राणि उद्यान में बाल ट्रेन का आकार और प्रकार में विस्तार करने के लिए रु0 25.20 लाख की व्यवस्था का प्रस्ताव।
- सामान्य वर्ग भर्ती माननीया मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देश पर सामान्य वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जायेगा।
- 2008-09 में 3 नये प्राणि उद्यानों की स्थापना आगरा, मुरादाबाद एवं गोरखपुर में।
- इलेक्ट्रिक फेन्सिंग : उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की सीमाओं पर जंगली हाथियों द्वारा जनमानस और फसलों को हानि से बचाने के लिए रु0 277.94 लाख सीमा पर इलेक्ट्रिक फेन्सिंग व्यवस्था।
- वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य से पीलीभीत जनपद में एक और टाइगर रिजर्व एवं बिजनौर जनपद में हाथी रिजर्व घोषित करने की कार्यवाही।

- उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के लिए रु0 5 करोड़ की व्यवस्था।
- राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्य जीव विहारों के विकास के लिए वर्ष 2008-09 में रु0 475.02 लाख का प्रस्ताव।
- वृक्षारोपण वृद्धि में : जन सहभागिता बढ़ाने हेतु वृक्ष बन्धु पुरस्कार हेतु रु0 5 लाख का प्रस्ताव।
- केन्द्रीय सहायता : वर्ष 2008-09 में वृक्षारोपण वन्य जीव योजनाओं में भारत सरकार से लगभग रु0 39 करोड़ की धनराशि प्राप्त करने का प्रयास।
- वन निगम के माध्यम से आम जनता की भागीदारी के आधार पर वृक्षारोपण की नई योजना लागू करने की व्यवस्था की जा रही है।
- उत्तर प्रदेश राज्य वन खेलकूद परिषद् के लिए रु0 15 लाख की धनराशि की व्यवस्था।
- प्रदेश में एक राष्ट्रीय स्तर का वन खेलकूद काम्प्लेक्स विकसित किया जाना प्रस्तावित।
- प्रदेश में 5 जैव विविधता पार्कों का विकास किये जाने का प्रस्ताव।
- प्रदेश में बांस संवर्धन कार्यक्रम हुए 2000 हे0 क्षेत्र में बांस का रोपण एवं संवर्धन प्रस्तावित।
- प्रदेश में वन क्षेत्रों के सर्वे सीमांकन कराने हेतु रु0 216.40 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में गठित 2511 संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों को सुदृढ़ करने हेतु संयुक्त वन प्रबन्ध के अन्तर्गत रु0 30 करोड़ की सहायता भारत सरकार से प्राप्त करने का प्रयास।
- प्रदेश के वन क्षेत्रों में 500 नई वन समितियां प्रस्तावित।
- वन समितियों को उनके कार्य क्षेत्र में वन प्रबन्धन के अधिकार देते हुए वन उत्पाद का 50 प्रतिशत हिस्सा उन्हें दिया जायेगा।
- सड़कों के किनारे होने वाले वृक्षारोपण को प्राथमिकता। वृक्षारोपण में लगाई जाने वाली प्रजातियों में शीशम, आम, नीम, इमली, जामुन, बेल एवं महुआ को वरीयता दी जायेगी।
- रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु कटी लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु 10 बड़े शहरों में नये बिक्री केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित।
- वन निगम की विपणन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु रु0 20 करोड़ की धनराशि व्यय करके बिक्री डिपो को सुदृढ़ किया जायेगा।
- वनों में आग की रोकथाम हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करके फायर फाइटिंग व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त ।

- वन विभाग के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु रु0 636.54 लाख की धनराशि प्रस्तावित।

श्री महिपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2008-09 के कृषि विभाग के वार्षिक बजट उद्देश्यों, उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2007-08 का बजट प्रस्तुत करते समय माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्तमान सरकार की नीतियों एवं प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि हमारी सरकार का लक्ष्य "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" के सिद्धान्त पर चलकर समतामूलक समाज की स्थापना करना है। हमारी सरकार ने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी योजनायें शुरू की हैं।

मान्यवर, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का स्थान महत्वपूर्ण है, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। प्रदेश की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। वर्ष 1857 में कृषि विभाग की स्थापना की गयी। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट 1919 के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति प्रतिपादित किये जाने के फलस्वरूप कृषि विभाग को 1 दिसम्बर, 1919 से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया तथा 1 मई, 1920 को इसकी विधिवत् स्थापना हुई, तबसे आज तक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

मान्यवर, आज सदन में प्रस्तुत किये गये कृषि बजट 2008-09 के लोक कल्याणकारी योजनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारी सरकार की प्राथमिकता गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का शीघ्र भुगतान कराने की है, जिससे किसानों का हित प्रभावित न हो। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का सरकार द्वारा घोषित वाजिब दाम मिले, जिससे उनकी खुशहाली बढ़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि को मजबूती देने के लिए बिजली की निर्वात उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र को लगभग 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 10500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके गांव के सभी किसानों व कृषि क्षेत्रों को बिजली देने का लक्ष्य है। सिंचाई के वर्तमान स्तर को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का लक्ष्य है, जिससे कृषि फसलों की उचित सिंचाई हो सके। वर्ष 2008-09 में कृषि उत्पादन में 797 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 12 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष खरीफ में 147.13 लाख मीट्रिक टन तथा रबी में 286.75 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2008-09 के बजट में 283 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2007-08 में एक करोड़ 67 लाख

71 हजार 546 किसान क्रेडिट कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश के समस्त जनपदों में समस्याग्रस्त भूमि को उत्पादक लायक बनाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में बहुआयामी 'किसान हित योजना' लागू की गयी है। 890 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के द्वारा 5 वर्षों में 7 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 1999 में उत्तर प्रदेश 'कृषि नीति' घोषित की गयी थी। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किसानों को लाभकारी योजनाओं के तहत कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले वाटरपम्प, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर तथा रसायनिक खाद एवं कीटनाशक पर कर की दर को पिछली सरकारों के मुकाबले 4 प्रतिशत कम किया गया है। हमारी सरकार ने सभी प्रकार के बीजों एवं मोटा अनाज (ज्वार, मक्का, बाजरा जौ आदि) को कर मुक्त किया है। प्रदेश के कृषकों को अच्छे किस्म के बीजों एवं विविध उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। कृषि सूचना तंत्र को मजबूत बनाने एवं कृषि जागरूकता कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों/मेलों का भी आयोजन कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। कृषकों को कृषि बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन एवं उत्पादकता में आ रहे ठहराव के दृष्टिगत कृषि शिक्षा शोध एवं प्रचार एवं प्रसार को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु 300 करोड़ रुपये अनन्तिम परिव्यय का निर्धारण किया गया है। कृषि के विस्तारीकरण की योजना भी है। जिसके अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना तथा नये-नये शोध एवं प्रचार-प्रसार केन्द्रों की स्थापना तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने की तकनीक अपनायी जा रही है।

मान्यवर आने वाले समय में माननीया मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में उ0 प्र0 का कृषि क्षेत्र आशातीत और विकासोन्नमुख रास्ते पर चल पड़ेगा। हम सभी लोगों का यह प्रयास होगा कि माननीया बहन जी के निर्देशन में प्रदेश के चौमुखी विकास हेतु उनको सहयोग प्रदान करें, जिससे हमारे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके।

मान्यवर, आज उद्यान विभाग का बजट भी सदन में रखा जा रहा है। सहारनपुर जनपद में कम्पनी बाग में पर्याप्त व्यवस्था है। वहां पर हार्टीकल्चर महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें जिससे सहारनपुर जनपद में आम आदि बागों की आलू की उपज अथवा नई-नई प्रजाति को बढ़ावा दिया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कल्याणकारी कृषि बजट का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं और अपना समर्थन व्यक्त करता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मंत्री, सहकारिता विभाग के बजट 2008-2009 पर समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, बहन कु0 मायावती जी लोकप्रिय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के कुशल मार्ग-दर्शन में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा प्रस्तुत बजट सराहनीय है। मान्यवर, जैसा कि पूरा उत्तर प्रदेश यह जानता है कि पूर्व की सरकार ने क्या किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। मान्यवर, स0पा0 के पूर्व सरकार ने क्या किया, मैं कहना चाहता हूं मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में किसानों की समस्यायें कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। यदि कोई नहीं जानता है तो वह हैं स0 पा0 के लोग। मान्यवर, "जिनके पैर फटी न बेवाई, क्या जाने वह पीर पराई।" मान्यवर, हमारे गांव में रहने वाला किसान जो दर-दर की ठोकरें खाता था और अपनी इस मातृभूमि को सिंचित करने के लिए खाद-बीज-पानी के लिए कहीं साहूकारों के यहां हाथ फैलाता था, वहां भी उसको खाली हाथ लौटना पड़ता था। आज जब बहन कु0 मायावती जी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता विभाग में एक नई क्रान्ति आई है, तो मान्यवर, डा0 भीमराव अम्बेडकर की जो सोच थी कि समाज में एक समानता हो, सभी को बराबर अधिकार मिले, आज जब माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। जो एक सराहनीय कदम है तो आज इनको जो विपक्ष में बैठे हैं, इनको हमारी अच्छाई नहीं भा रही है। मान्यवर, मैं अन्त में केवल इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि स0 पा0 ने जो भी किया था, अपनी बात के लिए भाई-भतीजा, जाति विशेष समुदाय के लिए, हम जो भी किए और जो कुछ कर रहे हैं, श्रीमन् "सर्वजन सुखाय एवं सर्वजन हिताय" के लिए। इसी के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सहकारिता के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए प्रस्ताव करता हूं तथा सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा जनपद लखीमपुर खीरी का क्षेत्र निघासन तहसील, पलिया तहसील पूरी तरह से बाढ़ के पानी से प्रभावित कृषि भूमि के कटान का इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में शारदा नदी, सुहेली नदी, सरयू नदी व मुहाना तथा जोहरा नाला आदि में जबरदस्त बाढ़ आती है जिससे 1000 हेक्टेयर जमीन कट जाती है। इसकी रोकथाम के लिए ठोकर लगाकर तथा बांध बनाकर इस उपजाऊ भूमि को कटान से रोका जाय तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस बजट में किसानों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना तथा बजट नहीं दिया साथ ही मान्यवर, आपके मांध्यम से कृषि मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों को सस्ते सामान की कैन्टीन चीनी मिल परिसरों में उपलब्ध कराई जाय तथा उनकी जोतबही या कार्ड बनाकर सामान दिलाये जाने की व्यवस्था की जाय। जिस तरह मिलेट्री सैनिकों व अफसरों को कैण्टीन सुविधा है तथा सरकारी कर्मचारियों को कैण्टीन की सुविधा है। इसी आधार पर किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए। अन्त में कृषि बजट पर जैन साहब के कटौती प्रस्ताव पर बल देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री दद्दन मिश्र-

मान्यवर, कृषि विभाग के बजट में थारू जनजाति के गांवों के विकास सम्बन्धी परियोजना का जिक्र किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र भिन्गा, जनपद-श्रावस्ती के विकास खण्ड सिरसिया में कई थारू जनजाति बहुल गांव हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि थारू जनजाति सम्बन्धी जो भी परियोजना हो उसे जनपद श्रावस्ती के थारू बहुल गांवों में भी लागू किया जाय।

श्री राम प्रकाश कुशवाहा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2008-2009 के कृषि बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, किसान धरती की कोख का वह सपूत है जो कि सारी प्राकृतिक दुश्वारियों और झंझावातों को झेलते हुए सभी का पेट पालता है। मान्यवर, मैं उस जाति से हूं जिसका पैतृक पेशा ही खेती है। लिहाजा मैंने अपने बाल्यकाल से आज तक खेती-किसानी की परेशानियों को खुद महसूस किया है। एक समय था जब प्रदेश की अधिकतर खेती बंजर थी। आज भी 168 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 120 लाख हेक्टेयर जमीन असुरक्षित है। पेश बजट में 56 लाख हेक्टेयर भूमि को इस वर्ष उपचारित करने का प्रावधान है, जिस पर साढ़े तेरह अरब रुपये खर्च होगा कि पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में पांच गुना है चूंकि नेता विरोधी दल कथित तौर पर धरती पुत्र कहे जाते हैं इसलिए यहां पिछली सपा सरकार और वर्तमान बसपा सरकार की कृषक कल्याणकारी योजनाओं की तुलना करना समीचीन होगा। मान्यवर, आज देश के 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं क्योंकि उन्हें खाने को खाना मयस्सर नहीं है। इस दिशा में जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश असुरक्षित रहेगा। किन्तु बहन सुश्री मायावती जी की इस सरकार ने भूमि उपचारित करने का जो बीड़ा उठाया है। वह सराहनीय है। जहां पिछली सरकार ने इस मद में सिर्फ साढ़े तीन अरब रुपये का प्रावधान किया था वहीं बसपा सरकार ने साढ़े तेरह अरब रुपये की राशि देकर खाद्यान्नों में खाद्य उत्पादन बढ़ोत्तरी की नई किरण जगा दी है। मान्यवर, जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र में कुप्रभाव न पड़े। खेती को सुचारु रूप से सिंचाई के लिए पानी मिलना आवश्यक है। 53 जिलों में चलाये जा रहे जलागम विकास कार्यक्रम से 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि उपचारित करने का प्रावधान बजट में है। जो कि पूर्ववर्ती सरकार से तीन गुना अधिक राशि का है। बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले क्षेत्रों के लिए बजट में अतुलनीय राहत के कदम उठाये गये हैं जिससे भूमि कटाव मृदा का ह्रास आदि नुकसान रुकेगा। पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना में दोगुनी राशि दी गई है। जलागम क्षेत्र में शत-प्रतिशत अनुदान पर भूमि को उपचारित किया जायेगा ऐसा प्रयास इससे पूर्व प्रदेश में कभी नहीं किया गया। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में सूखा को लेकर हाय-तौबा मचाने वाले विपक्ष को मैं बता देना चाहता हूं कि बहन सुश्री मायावती जी की सरकार ने वर्षा जल-संचयन की नवीन योजना बुन्देलखण्ड में शुरू की है, इससे 2200 हेक्टेयर भूमि जल प्लावित होगी, जिससे भूमि का विकास होगा तथा बुन्देलखण्ड के किसानों को राहत मिलेगी। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि

बुन्देलखण्ड में अचानक ही सूखा पड़ गया हो। पूर्व सपा सरकार के पूरे कार्यकाल में बुन्देलखण्ड सूखे से जूझता रहा तब उसने वहां के किसानों के लिए ऐसी योजना क्यों नहीं बनायी, इसका मुझे दुख होता है कि जन समस्याओं पर राजनीति करने वाले आखिर पीड़ितों की सुध कब लेंगे। बुन्देलों की धरती पर प्रदेश सरकार ने ड्रिप इरीगेशन प्रणाली यानी फव्वारे से सिंचाई की अभिनव योजना शुरू की है। इसमें लाभार्थी को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इससे बुन्देलखण्ड में फिर से हरियाली और खुशहाली फैलने की उम्मीद जागी है। मौसम बीज योजना तो बुन्देलखण्ड किसानों के लिए वरदान है। इस नवीन योजना में बीज नष्ट होने पर किसानों को बीज तथा खेती की लागत प्राप्त होगी इससे किसानों का भविष्य सुरक्षित होगा।

मान्यवर, खाद एवं उर्वरक उपलब्धता के मामले में सरकार प्रतिबद्ध नजर आती है। नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाश जैसे कृषि रसायन में पिछले बजट से सवा गुना अधिक राशि का प्रावधान होना सरकार का किसान हितकारी होना दर्शाता है। इसी प्रकार बायो पेस्टी साइड व इको फ्रेंडली रसायनों पर 50 प्रतिशत का अनुदान देने से स्पष्ट है कि सरकार किसानों के साथ आमजन के स्वास्थ्य पर भी गम्भीर है।

मान्यवर, किसान हितैषी का ढिंढोरा पीटने वाली पूर्ववर्ती सरकार के सापेक्ष बसपा सरकार बीज वितरण पर पिछली सरकार से अधिक ध्यान दे रही है। उसकी तुलना में बसपा सरकार ने पांच लाख कुन्तल अधिक बीज वितरण लक्ष्य निर्धारित करके इसे सिद्ध भी कर दिया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों को 4000 रुपये प्रति कुन्तल बीज पर अनुदान देने की व्यवस्था बताती है कि बसपा सरकार ही किसानों की सच्ची हितैषी है।

मान्यवर, मृदा स्वस्थ होने पर ही कृषि क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास सफलीभूत होंगे इसके लिए बहन जी की सरकार ने मृदा सर्वेक्षण कार्यक्रम योजना में दो गुनी राशि दी है जो कि प्रदेश को कृषि में नये आयाम दिलाने का अद्वितीय कदम है। बजट से प्रतीत होता है कि प्रदेश के किसानों को मानक व गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण कार्यक्रम चलाना अप्रतिम प्रयास है।

मान्यवर, इसके अलावा कृषि क्षेत्र का ऐसा कोई भी पहलू और समस्या नहीं है जो कि इस कृषि बजट में न की गई हो। सरकार ने प्रत्येक समस्या के निदान हेतु उपाय किये हैं। मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर योजना, कृषि प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण, कृषक सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण आदि योजनाएं दर्शाती हैं कि बसपा सरकार प्रदेश के प्रत्येक किसान के चेहरे पर खुशी लाकर ही रहेगी।

मान्यवर, आज कृषि यंत्रों के बिना किसानी करना लोहे के चने चबाने सा है। कृषि यंत्रों को हर किसान के हाथों में देने की जो आम बजट से निकल रही है उससे प्रदेश में हरितिमा फैलना निश्चित है। ट्रैक्टर 25 प्रतिशत से लगाकर 50 प्रतिशत अनुदान देने की बात हो या प्रति

ब्लाक में 100 कृषि यंत्रों को बांटने का प्रावधान, ये यही दिखाता है कि सिर्फ बसपा सरकार ही किसानों का असली दर्द समझती है।

मान्यवर, अंत में कहना चाहूंगा कि आज तक कृषि विभाग का ऐसा उल्लेखनीय बजट देखने में नहीं आया। इससे उम्मीद है कि प्रदेश ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के कृषि विकास दर का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। मैं माननीय कृषि मंत्री और परम आदरणीया बहन सुश्री मायावती जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा कृषि बजट दिया जो अपने आप में एक मिसाल है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 43 विधान सभा (78)-11-6-08-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।